विषय सूची

श्री राम धन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, की ओर से भारत के राष्ट्रपति को पत्र

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राष्ट्रीय आयोग की स्थापना एवं उसके कार्य	1-12
2.	आयोग का संगठनात्मक ढांचा	12-18
3.	शिक्षा	19-37
4.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास	38-49
5.	सेवा सुरक्षण	50-74
6.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार	75-106
7.	भाग I — पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों (1951-1991) में की गई सिफ़ारिशों का संक्षिप्त सार	107-110
	भाग II — इस रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशें/प्रेक्षण	111-115

सं० 1/1/93-आर० सी०

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

लोकनायक भवन (तल 5)
नई दिल्ली - 110 003
15 अगस्त, 1994

प्रेषकः राम धन
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

सेवा मेंः भारत के राष्ट्रपति,
नई दिल्ली

श्रीमान,

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990, द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को क़ानूनी दर्जा मिलने के बाद उसकी पहली वार्षिक रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आरंभिक अवस्था में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने और राष्ट्रीय आयोग के कार्यकरण के संबंध में असंगति होने के कारण आयोग के सामने कुछ अवरोध आए। यह अत्यन्त खेद की बात थी कि जिस दिन, अर्थात् 12-3-92 को, राष्ट्रीय आयोग को पुनर्गठित किया गया उसी दिन कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोग के 106 पद समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, आयोग को सौंपे गए कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए आयोग ने अतिरिक्त कर्मचारियों की मंज़ूरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे लेकिन उन पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आयोग की यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने में थोड़ा विलंब हो गया है।

राष्ट्रीय आयोग का कार्यक्षेत्र विस्तृत है और उसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समस्याओं और उपायों के अनेक पक्ष अन्तर्निहित हैं। उन सब के बारे में एक ही वर्ष में कार्रवाई करना संभव नहीं है। सुरक्षणों के कार्यकरण की जांच-पड़ताल करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आयोग को विभिन्न समयों पर अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करके उनका अध्ययन करना होगा। आरंभिक अवस्था में आयोग ने सेवा संबंधी सुरक्षणों और आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के बारे में की जाने वाली विशिष्ट शिकायतों पर कार्यवाही करने पर ज़ोर दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र अन्य जातियों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर किए जाने वाले अत्याचार के मामलों की जांच से संबंधित है। आयोग ने उन सभी मामलों में जांच शुरू की है जो उसके ध्यान में लाए गए और जिनमें हत्या, बलात्कार, घरों और सम्पत्ति को आग लगाने और घातक चोट पहुंचाने जैसे जघन्य अपराध सम्मिलित थे। आयोग के निष्कर्ष और सिफ़ारिशें तुरंत कार्यवाही के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों को उपयुक्त स्तरों पर भेज दी गई हैं।

आयोग की इस रिपोर्ट में इन्हीं पक्षों पर जोर दिया गया है और आर्थिक विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का विहंगम चित्र प्रस्तुत किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट सांविधानिक आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों के लिए उपयोगी होगी।

भवदीय,
(राम धन)

अध्याय 1

राष्ट्रीय आयोग की स्थापना एवं उसके कार्य

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में मूलतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। विशेष अधिकारी का कर्तव्य था कि वह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन सुरक्षणों के कार्यकरण के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। इस प्रावधान के अनुसरण में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति पहली बार 18 नवम्बर, 1950 को की गई जिसका पदनाम आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रखा गया। 1965 तक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधीन 17 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न राज्यों में खोले गए। इन कार्यालयों के प्रमुख के रूप में सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियुक्त किये गए जिनका पदनाम जुलाई 1965 में बदल कर उपायुक्त कर दिया गया।

आयुक्त का यह क्षेत्रीय संगठन जून 1967 में 5 आंचलिक कार्यालयों के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा उसे समाज कल्याण विभाग में नवस्थापित पिछड़ा वर्ग कल्याण महानिदेशालय के अधीन रखा गया। प्रत्येक आंचलिक कार्यालय का प्रमुख आंचलिक (ज़ोनल) निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण (नवसृजित पद) होता था और पहले सृजित किए गए क्षेत्रीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पदों का नाम बदल कर उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण कर दिया गया तथा उन्हें आंचलिक निदेशक, चंडीगढ़ (उत्तरी अंचल) भोपाल (मध्य अंचल), पटना (पूर्वी अंचल), बड़ौदा (पश्चिमी अंचल) तथा मद्रास (दक्षिणी अंचल) के नियंत्रणाधीन रखा गया। पूर्वी अंचल कार्यालय की दो शाखाएं—भुवनेश्वर तथा शिलंग में थीं तथा बाद में केन्द्रीय अंचल कार्यालय की एक शाखा लखनऊ में भी स्थापित की गई। इन सभी शाखा कार्यालयों का प्रमुख उप निदेशकों को बनाया गया। पश्चिमी अंचल कार्यालय को 1969 में अहमदाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया। यह व्यवस्था नवम्बर 1978 तक बरक़रार रही। 1-12-1978 से क्षेत्रीय कार्यालयों को नये गठित अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया तथा आंचलिक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण का पदनाम फिर से बदल कर क्रमशः निदेशक, अ० जा० और अ० ज० जा० तथा उप निदेशक, अ० जा० और अ० ज० जा० कर दिया गया। कुछ समय के बाद आंचलिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और आयोग के अधीन पुनः 17 क्षेत्रीय कार्यालय आ गए। चूंकि क्षेत्रीय निदेशक, आयुक्त, अ० जा० और अ० ज० जा० के लिए भी कार्य करते थे, अतः उनका पदनाम पुनः बदलकर निदेशक, अ० जा० और अ० ज० जा० तथा पदेन उपायुक्त, अ० जा० और अ० ज० जा० कर दिया गया।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना

1.2 संसद में तथा अन्यत्र अ० जा० और अ० ज० जा० के प्रतिनिधियों की एक सतत मांग थी कि अनुच्छेद 338 के अधीन संपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए एक अकेला अधिकारी होने के बजाय पर्याप्त शक्तियों से युक्त एक बहुसदस्यीय आयोग होना चाहिए तभी यह समर्थ बन सकता है। अ० जा० और अ० ज० जा० को दिए गए सांविधानिक सुरक्षणों से संबंधित समस्याओं के महत्व एवं विस्तार को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया। जुलाई 1978 में, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया जिसमें एक अध्यक्ष एवं संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी सहित चार सदस्य थे। यह गृह मंत्रालय के संकल्प सं० 13013/9/77-एससीटी (1) 21 जुलाई, 1978 (संलग्नक 1.I) द्वारा किया गया, जिसमें आयोग के कार्यों को निम्नलिखित रूप से सूचीबद्ध किया गया—

(I) संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा भी शामिल होगी जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

(II) छूआछूत समाप्त करने और छुआछूत के कारण उत्पन्न होने वाले पक्षपातपूर्ण भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने के उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।

(III) लागू क़ानूनों के रास्ते में आने वाली बाधाओं की समाप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध किए जाने से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और अन्य संबंधित परिस्थितियों का पता लगाना और समुचित प्रतिकारी उपायों की सिफ़ारिश करना जिसमें अपराधों की शीघ्रता से जांच करना भी शामिल है।

(IV) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षण से वंचित किए जाने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन दिनांक 1-9-87 से प्रभावी

1.3 गृह मंत्रालय के 21-7-78 के संकल्प में उल्लिखित अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग और संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त विशेष अधिकारी के कार्य काफ़ी हद तक एक जैसे थे। जुलाई, 1987 में, सरकार ने दोनों संगठनों के कार्यों का सीमांकन करके, अ०जा० और अ०जा०जा० आयोग का नाम बदल कर राष्ट्रीय अ०जा० तथा अ०ज०जा० आयोग रखने और अ०जा० तथा अ०ज०जा० आयुक्त के संगठन को सुदृढ़ बनाने के निर्णय की घोषणा की। तद्नुसार कल्याण मंत्रालय के 1-9-87 के संकल्प संख्या बी०सी०-13015/12/86-एससीडी-VI के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। (संलग्नक-1.II)

1.4 कल्याण मंत्रालय के 1-9-87 के संकल्प में राष्ट्रीय आयोग के कार्य निम्नानुसार वर्णित हैः—

(i) अस्पृश्यता की सीमा तथा विस्तार तथा उससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक भेदभाव तथा वर्तमान उपायों के प्रभाव का अध्ययन करना तथा आगे किए जाने वाले उपायों की सिफ़ारिश करना,

(ii) उन सामाजिक आर्थिक तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करना जिनके कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध किए जाते हैं तथा ऐसे अपराधों की तुरन्त जांच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतिकारी उपायों की सिफ़ारिश करना,

(iii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के समूहों को सभी प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इनके विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। इन अध्ययनों में सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, कला, साहित्य, भाषा, आवास, संचार, कृषि, वानिकी, बाग़वानी, मत्स्य-पालन, पुनर्वास, प्रदूषण तथा पर्यावरण के क्षेत्र शामिल होंगे, तथा

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समझे गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के किसी पहलू से संबंधित सामान्य नीति बनाने के लिए आयोग को सौंपे गए अन्य कार्य।

सांविधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

1.5 यद्यपि अनुच्छेद 338 के तहत सन् 1950 से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त सांविधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था, तथापि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की व्यापक समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए एक व्यक्ति के स्थान पर सांविधानिक प्राधिकरण के रूप में विस्तृत आधार वाले बहु-सदस्यीय निकाय का गठन करने का निर्णय लिया ताकि उसे और भी अधिक प्रातिनिधिक और अधिक सशक्त बनाया जा सके। मंतव्य यह था कि विशेष अधिकारी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त) के संगठन का आयोग के संगठन के साथ विलय हो जाएगा। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करने के विचार से 3-8-1978 को लोक सभा में संविधान (छयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 (1978 का विधेयक सं० 119) प्रस्तुत किया। समयाभाव की वजह से संसद के 1978 के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक पर कार्रवाई नहीं की जा सकी और इसे लोक सभा में संविधान (इक्यावनवां संशोधन) विधेयक, 1979 के रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया। 16-5-1979 को लोक सभा में इस विधेयक पर बहस की गई, लेकिन 17-5-1979 को मतदान के दौरान, यह विधेयक अपेक्षित बहुमत न होने के कारण गिर गया। ऐसी परिस्थितियों में ये दोनों संगठन, अर्थात् भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग" तथा संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त 11 मार्च, 1992 तथा साथ-साथ अस्तित्व में रहे। संसद द्वारा एक नया विधेयक, संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के रूप में पारित किया गया और इसे 7-6-1990 (संलग्नक 1.III) को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। यह अधिनियम 12 मार्च, 1992 को प्रभावी हुआ।

1.6 संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के तहत बनाए गए नियमों में व्यवस्था है कि उक्त आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होंगे। कल्याण मंत्रालय ने 12-3-1992 की अधिसूचना सं० 13040/2/90-एससीडी-VI के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति की घोषणा की जिन्होंने प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख को कार्यभार ग्रहण किया—

1.	श्री राम धन	अध्यक्ष	12-3-1992
2.	श्री टी० मुच्ची राय मुंडा	उपाध्यक्ष	(कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही निधन हो गया)
3.	श्री बी० सामय्या	सदस्य	20-3-1992
4.	डा० सरोजिनी महिषी	सदस्य	1-4-1992
5.	चौधरी हरी सिंह (संसद सदस्य)	सदस्य	16-3-1992
6.	श्री फणीन्द्र नाथ ब्रह्मा	सदस्य	3-4-1992
7.	श्री झीणाभाई आर० दरजी	सदस्य	24-3-1992

श्री बंदी उरांव, विधान सभा सदस्य (बिहार) को कल्याण मंत्रालय की 16-6-1992 की अधिसूचना संख्या 13014/2/90-एससीडी-VI के द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री उरांव ने 26-6-1992 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री राम धन को केन्द्रीय केबिनेट मंत्री और श्री बंदी उरांव को केन्द्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। यह हैसियत उनकी व्यक्तिगत है।

आयोग के कार्य

1.7 संशोधित अनुच्छेद 338 के खण्ड (5) में प्रावधान है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अनवेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफ़ारिश करे; तथा

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुच्छेद 338 का खण्ड (4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति देता है।

1.8 अनुच्छेद 338 के खण्ड (8) के अनुसार आयोग को खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवार के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज़ को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

1.9 अनुच्छेद 338 के खण्ड (9) में यह प्रावधान है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

1.10 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सांविधानिक और अन्य सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करने से संबंधित खण्ड 5 (क) में आयोग के कृत्य के निम्नलिखित तीन भाग हैं—

1. अन्वेषण
2. अनुवीक्षण (निगरानी)
3. मूल्यांकन

अन्वेषण

1.10 (क) इस अनुच्छेद में सुरक्षणों से संबंधित किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए आयोग के लिए असीमित क्षेत्र का प्रावधान है। वाक्यांश "सभी विषयों का" एक व्यापक सामर्थ्यकारी प्रावधान है और आयोग को उन विषयों के संबंध में निर्णय लेना होता है जिन्हें वह समय-समय पर अन्वेषण के लिए लेगा। अन्वेषण की प्रक्रिया और कार्य विधि आयोग द्वारा ही निर्धारित किए जाने का प्रावधान है।

अनुवीक्षण

1.10 (ख) आयोग को सुरक्षणों के कार्यकरण का अनुवीक्षण करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। 1978 और 1987 में गठित दो पूर्ववर्ती आयोगों को यह कार्य नहीं दिया गया था।

1.10(ग) संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16, 17, 19(5), 46, 164(1), 244, 244क, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 371क, 371ख और 371ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न सुरक्षणों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों की रक्षा के लिए पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और अनेक अधिनियम तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के कार्यकारी आदेश भी हैं। इनमें से कुछ अधिनियम जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, सीमाशुल्क नीतियां अ०जा० और अ०ज०जा० की भूमि हस्तांतरण नियंत्रण विधि, लोक वितरण प्रणाली, पैट्रोल, किरोसिन, एल०पी०जी० दुकानों जैसी फुटकर एजेंसियों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान ऐसे सुरक्षण हैं जिनका मंतव्य अ०जा० और अ०ज०जा० के लोगों के हितों की रक्षा करना है।

1.10(घ) यह समझना कठिन नहीं है कि सांविधानिक प्रावधानों, विधियों एवं सरकार के आदेशों के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर निगरानी रखने के कार्य की परिधि इतनी विस्तृत है कि इसमें बहुत से कार्मिकों और क्रियाविधि सम्पन्न एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। सार्थक अनुवीक्षण में कतिपय विषयों पर निगरानी रखना तथा कमियों की ओर ध्यान दिलाते रहना आवश्यक होता है ताकि कार्य के बीच में ही उन्हें तुरंत ठीक किया जा सके। ऐसा समवर्ती मूल्यांकन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए होता है। केवल सांख्यिकी या आंकड़े एकत्र करना ही अनुवीक्षण नहीं है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग के पास अनुवीक्षण करने से संबंधित कोई कार्य करने के लिए अपेक्षित स्टाफ़ नहीं था।

मूल्यांकन

1.10(ङ) जब कोई कार्यक्रम पूरा कर लिया जाता है तो उसके प्रभाव और अच्छे व बुरे लक्षणों का पता लगाने के लिए उसका अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रकार से उसकी कार्योपरांत समीक्षा होती है जो भावी कार्यक्रम तैयार करने में योजनाकार और प्रशासक की सहायता करती है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग कुछ अनुसंधान संस्थानों और विद्वानों ने मूल्यांकन तकनीकें विकसित की हैं, जिनका उपयोग आयोग के द्वारा किया जा सकता है।

विशिष्ट शिकायतों की जांच

1.11 खंड 5(ख) में अपेक्षित है कि आयोग अ०जा० और अ०ज०जा० को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विशिष्ट शिकायतों की जांच करे। इस आयोग को सेवा सुरक्षणों, अत्याचारों, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक विषयों से संबंधित और अ०जा० और अ०ज०जा० की अन्य विभिन्न शिकायतों के बारे में व्यक्तियों या एसोसिएशनों/संगठनों से अनेक शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते समय आयोग संविधान, विधि आदि में दिए गए सुरक्षणों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए जांच आरंभ करता है। पूर्ववर्ती आयोगों और आयुक्त के कार्यालय का यह अनुभव रहा है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनके पत्रों के सकारात्मक जवाब दिए जाते हैं और बहुत सी ग़लतियों को जांच के दौरान ही सुधार लिया जाता है। औपचारिक और तकनीकी अर्थ में आयोग द्वारा यह जांच और अन्वेषण जांच आयोग के पैटर्न पर करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग तथ्यों को एकत्र कर सकता है और शपथ पर साक्ष्य ले सकता है तथा किसी भी प्राधिकारी से, यहां तक कि किसी न्यायालय से भी दस्तावेज़ मांग सकता है। इस आयोग को दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई हैं ताकि वह व्यक्तियों को उपस्थित होने या दस्तावेज़ या शपथ पर अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सके, लेकिन सभी मामलों में इन शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं हो सकता। इन विधिक प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना बड़ी संख्या में शिकायतें निपटाई गई हैं और उसके निश्चित परिणाम निकले हैं।

योजना प्रक्रिया में भाग लेना

1.12 अनुच्छेद 338 के खण्ड 5(ग) में, आयोग को अ०जा० और अ०ज०जा० के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सलाह देने तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। केन्द्र में यह आयोग अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए अनन्य रूप से विकास कार्यक्रम बनाने या जनजाति उप योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना तैयार करने में योजना आयोग और संघ के विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध होना चाहिए। राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना बनाने की प्रक्रिया में शुरू से ही आयोग को शामिल करें। इस कार्य में, आयोग और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को अभिन्न रूप से जुड़ना होगा। रिपोर्टाधीन वर्ष में इसके लिए प्रक्रिया पूर्णतः स्थापित नहीं थी।

सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर सरकार द्वारा आयोग से परामर्श

1.13 अनुच्छेद 338 के खण्ड(9) के अनुसार केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वे अ०जा० और अ०ज०जा० को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करें। इस उपबंध में यह अन्तर्निहित है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण विधायी या कार्यकारी उपाय करने से पहले आयोग से परामर्श लेना चाहिए। रिपोर्टाधीन वर्ष में ऐसे परामर्श (राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग की स्थापना) का केवल एक ही मामला आयोग के समक्ष आया है।

संलग्नक 1. I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001
21 जुलाई, 1978 / 30 आषाढ़, 1900

संकल्प

सं॰ 13013 / 9 / 77-एस॰सी॰टी॰-1

संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है जिसका कर्त्तव्य संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और इन संरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को निर्धारित अवधियों में रिपोर्ट देना होगा। इसके अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो आमतौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहलाता है। समस्या की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह विचार है कि विशेष अधिकारी के कार्य तथा प्राधिकार के अतिरिक्त, इन मामलों को एक ऐसे उच्चस्तरीय आयोग को सौंपना उचित होगा जिसमें सार्वजनिक जीवन में सुप्रसिद्ध तथा उच्चप्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हों। आयोग के क्रियाकलाप से विशेष अधिकारी के प्राधिकार कम नहीं होंगे।

2. तद्नुसार, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है जिसमें अध्यक्ष और संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी सहित चार से अधिक अन्य सदस्य नहीं होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. प्रस्तावित आयोग के कार्य मोटे तौर पर वही होंगे जो इस समय संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन विशेष अधिकारी को सौंपे हुए हैं, और यह कार्य निम्नलिखित होंगे—

(1) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस प्रक्रिया का पुनरीक्षण भी शामिल होगा जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

(2) छुआछूत समाप्त करने और इसके कारण उत्पन्न होने वाले पक्षपातपूर्ण भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने के उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।

(3) लागू कानून के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध किए जाने से संबंधित सामाजिक आर्थिक और अन्य संबंधित परिस्थितियों का पता लगाना और समुचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना जिसमें अपराधों की शीघ्रता से जांच करना भी शामिल है।

(4) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संरक्षण से वंचित किए जाने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

5. अपने कार्यों के निष्पादन के बारे में आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाएगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आयोग को समय-समय पर यथा अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार का विश्वास है कि राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधित अन्य, आयोग को अपना पूरा-पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

6. आयोग अपने कार्यों और सिफ़ारिशों का विवरण देते हुए राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगा। किन्तु यदि आयोग आवश्यक समझे तो अपने कार्य के क्षेत्र में आने वाले मामलों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को किसी भी समय दे सकता है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, और उसके साथ एक ज्ञापन, जिसमें उसकी सिफ़ारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण होगा, और केन्द्रीय सरकार से संबंधित किन्हीं सिफ़ारिशों की अस्वीकृति के कारण स्पष्ट किए गए होंगे, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह०/-
(बी० जी० देशमुख)
अपर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक 1. II

भारत सरकार

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली

1 सितम्बर, 1987

सं॰ बी॰सी॰ 13015/12/86-एससीडी-VI

संकल्प

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग (एतदुपरांत इसे आयोग कहा गया है) की स्थापना गृह मंत्रालय के 21 जुलाई, 1978 के संकल्प सं॰ बी॰सी॰ 13015/9/77 (एतदुपरांत इसे संकल्प कहा गया है) के अतर्गत की गई थी।

2. जहां उपरोक्त संकल्प के अनुसार उक्त आयोग के कार्य विशेष अधिकारी को, संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत मुख्यतः सौंपे गए कार्यकलापों के अनुरूप है।

3. तथा जहां आयोग के कार्य में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, जैसा कि विशेष अधिकारी के और आयोग के कार्यकलापों में किसी भी प्रकार की अतिव्याप्ति के परिहार के लिए मूल रूप से उपरोक्त संकल्प में विचार किया गया था।

4. अतः अब उपर्युक्त संकल्प का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने उक्त आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने का निश्चय किया है। इसमें एक अध्यक्ष होगा तथा ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सरकार प्रत्येक मामले में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करेगी, बशर्ते कि उनका कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न हो।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास-स्तरों तथा व्यापक मामलों की नीति निर्धारण के बारे में एक राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार निकाय होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयोग में, समाज मानव विज्ञान, समाज कार्य तथा अन्य संबंधित समाज विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

6. राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य निम्न प्रकार होंगे—

(क) अस्पृश्यता की सीमा तथा विस्तार तथा उत्पन्न होने वाले सामाजिक भेदभाव तथा वर्तमान उपायों के प्रभाव का अध्ययन करना तथा आगे किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना।

(ख) सामाजिक-आर्थिक्र तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करना, जिनके कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं तथा ऐसे अपराधों की तुरन्त जांच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफ़ारिश करना।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के समूहों को समाज के सभी वर्गों की मुख्य धारा से मिलाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इनके विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। इसके अध्ययनों में सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, कला, साहित्य, भाषा, आवास, संचार, कृषि, वानिकी, बाग़वानी, मत्स्य-पालन, पुनर्वास, प्रदूषण तथा पर्यावरण के क्षेत्र शामिल होंगे, तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समझे गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के किसी पहलू से संबंधित सामान्य नीति बनाने के लिए आयोग को सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य।

8. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज़ तथा सहयोग प्रदान करेंगे। भारत सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा अन्य राष्ट्रीय आयोग को अपना पूरा सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

9. अध्ययन समाप्त हो जाने पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्टें परियोजना-आधारित होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह०/-
(बी० के० मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

रजिस्ट्री सं. डी(डीएन) 127/88 संलग्नक 1.III REGISTERED NO. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 1990/JYAISTHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि तथा न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को जून 7, 1990, को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और एतद्वारा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है—

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990

(जून 7, 1990)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 में,— अनुच्छेद 338 का संशोधन।

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।";

(ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे, अर्थात्:—

"(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाएगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदयों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे।

(4) आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्:—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उत्रयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रतिस्थापित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्थापित कार्रवाई को, और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेंगे।

(8) खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां, होंगी, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।"

(ग) विद्यमान खंड (3) को खंड (10) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा।

ह॰/-
(वी॰ एस॰ रमा देवी)
सचिव, भारत सरकार

अध्याय 2

आयोग का संगठनात्मक ढांचा

संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 द्वारा आयोग को सौंपे गए कार्यों का क्षेत्र काफी व्यापक है। संविधान में अथवा सरकार के किसी क़ानून या किसी आदेश के अंतर्गत अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के लिए दिए गए सुरक्षणों के कार्यकरण की छानबीन करने, उनका अनुवीक्षण करने तथा उनका मूल्यांकन करने की आयोग से अपेक्षा की जाती है। इसे अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के लोगों के अधिकारों तथा सुरक्षणों के अतिक्रमण की विशेष शिकायतों की भी जांच-पड़ताल करनी होती है। अनुभव से पता चला है कि आयोग द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें केवल वे नहीं होती हैं जो किसी अधिकार या सुरक्षण के स्पष्ट अतिक्रमण से संबंधित हों बल्कि ये लोग अपनी विभिन्न प्रकार की शिकायतें तथा समस्याएं भी आयोग को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग को योजना प्रक्रिया में भाग लेना होता है तथा योजना और विकास के मामलों पर सरकार को परामर्श देना होता है। आयोग के सामने विविध निर्दिष्ट विषय तथा कार्य भी आते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जन शक्ति की आवश्यकता है लेकिन दुर्भाग्यवश आयोग के समक्ष यह एक बाधा है। आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का कार्यक्षेत्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूतपूर्व आयुक्त और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्ववर्ती असांविधिक राष्ट्रीय आयोग द्वारा निष्पादित कार्यों के कार्यक्षेत्र की तुलना में काफी व्यापक है।

2.2 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार था—

मुख्यालय

अध्यक्ष एवं सदस्य	5
अवैतनिक सदस्य	2
सचिव	1
संयुक्त सचिव	1
उप सचिव	1
निदेशक	1
उप महानिरीक्षक, पुलिस	1
पुलिस अधीक्षक	2

तकनीकी स्टाफ़

उप निदेशक	2
सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी	5
वरिष्ठ अन्वेषक	11
अन्वेषक	3

प्रशासनिक स्टाफ़

अवर सचिव	1
सहायक निदेशक (रा॰भा॰)	1
पुस्तकालयाध्यक्ष	1
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक	3
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
लेखाकार	1
प्र॰श्रे॰ लिपिक	3
अ॰श्रे॰ लिपिक	7

2.3 सेवा सुरक्षणों, विकास तथा अत्याचारों से संबंधित कार्यों को करने वाले तीन अध्ययन एकक थे। इन एककों द्वारा निष्पादित कार्य निम्नानुसार थे—

अध्ययन एकक I

यह एकक केन्द्र तथा राज्य सरकार की सेवाओं में और केन्द्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के लिए दिए गए सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों को करता था। इस एकक में सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व से संबंधित अधिनियमिति / सरकारी आदेशों तथा अनुदेशों से संबद्ध नीतिगत मामलों के अतिरिक्त अ०जा० / अ०ज०जा० के व्यक्तियों के सेवा मामलों से संबंधित सभी शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्य किया जाता था। इस एकक द्वारा समय-समय पर सेवा मामलों के संबंध में विभिन्न साविधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन से संबद्ध मूल्यांकन अध्ययन / सर्वेक्षण भी किए जाने थे।

अध्ययन एकक II

यह एकक अ०जा० और अ०ज०जा० के विकास से संबंधित मामलों पर कार्य करता था। इस एकक को सौंपे गए कार्य की विशिष्ट मदें इस प्रकार थी— (I) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, (II) अनुसूचित जाति विकास निगम / जनजाति विकास निगम, (III) अत्याचार, अस्पृश्यता का व्यवहार तथा सेवा मामलों से इतर मामलों पर उनकी शिकायतों के संबंध में अ०जा०/ अ०ज०जा० के व्यक्तियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन / की गई शिकायतें, (IV) जनजाति उप योजना (V) पिछड़ी जातियों के कल्याण से संबंधित मामले, (VI) जनजाति अनुसंधान संस्थान तथा अन्य अनुसंधान निकाय (VII) भूमि सुधार अधिनियम तथा उनका कार्यान्वयन, (VIII) भूमि का स्वामित्व परिवर्तन, (IX) अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए शैक्षिक योजनाएं।

अध्ययन एकक III

यह एकक अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचारों से संबंधित विषयों और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, आदि से संबंधित मामलों पर कार्य करता था। इस एकक द्वारा इन विषयों पर मूल्यांकन अध्ययन एवं सर्वेक्षण भी किए जाते थे।

क्षेत्रीय संगठन के कार्य

2.4 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से चौकसी रखने के कार्यों को निष्पादित करने के साथ-साथ अ०जा० और अ०ज०जा० के कल्याण तथा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन में राज्य सरकारों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों की सक्रिय रूप से सहायता करने की भी अपेक्षा की जाती थी। इनके सामान्य कार्य थे— (I) आयोग की ओर से राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ प्रभावी संपर्क बनाए रखना, (II) आयोग की ओर से राज्य स्तरीय सलाहकार परिषदों / समितियों / निगमों, आदि के काम में शामिल होना, (III) अ०जा० और अ०ज०जा० के कल्याण हेतु संघ सरकार की राज्यों की अधिकारिता में आने वाली नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना संबंधित राज्यों को देना और अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों को प्रभावित करने वाले राज्य के महत्वपूर्ण विकास कार्यों, सामाजिक आंदोलनों तथा नीतिगत परिवर्तनों के बारे में मुख्यालय को सूचित करना, (IV) अनुसंधान अध्ययनों, नमूना सर्वेक्षणों तथा मूल्याकन अध्ययन स्वयं करना या आयोग द्वारा उन्हें सौंपे गए अध्ययन आयोजित करना, (V) अ०जा० और अ०ज०जा० में कार्य करने के लिए कल्याण मंत्रालय से सीधे सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण का निरीक्षण करना। (VI) केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का निरीक्षण करना। (VII) अ०जा० और अ०ज०जा० के लोगों पर अत्याचारों के मामले में घटनास्थल पर जांच पड़ताल करना, और (VIII) सेवा संबंधी मामलों सहित विभिन्न विषयों पर प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना।

क्षेत्रीय कार्यालय

2.5 पिछले आयोग के 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे जिनमें से 12 क्षेत्रीय कार्यालय निदेशकों के अधीन थे और 5 क्षेत्रीय कार्यालय उप निदेशकों के अधीन थे। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र और पदनाम का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	स्थान	प्रभारी अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	अगरतला	उप निदेशक	त्रिपुरा	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
2.	अहमदाबाद	निदेशक	गुजरात, दादरा और नागर हवेली	
3.	बेंगलूर	निदेशक	कर्नाटक	

	स्थान	प्रभारी अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र	टिप्पणियां
4.	भोपाल	निदेशक	मध्य प्रदेश	
5.	भुवनेश्वर	निदेशक	उड़ीसा	
6.	कलकत्ता	निदेशक	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	
7.	चण्डीगढ़	उप निदेशक	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
8.	गुवाहाटी	उप निदेशक	असम	
9.	हैदराबाद	निदेशक	आन्ध्र प्रदेश	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
10.	जयपुर	निदेशक	राजस्थान	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
11.	लखनऊ	निदेशक	उत्तर प्रदेश	
12.	मद्रास	निदेशक	तमिलनाडु, पांडिचेरी	
13.	पटना	निदेशक	बिहार	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
14.	पुणे	निदेशक	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव	
15.	शिलंग	निदेशक	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम	
16.	शिमला	उप निदेशक	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर	
17.	तिरुवनन्तपुरम्	उप निदेशक	केरल, लक्षद्वीप	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का संगठन

2.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, जो दिनांक 11-3-1992 तक अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत सवैंधानिक प्राधिकारी थे, का स्थापन (निजी स्टाफ़ तथा वर्ग घ कार्मिकों को छोड़कर) निम्न प्रकार से था—

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त	1
विशेष आयुक्त	2
उपायुक्त	2
सहायक आयुक्त	1
तकनीकी कर्मचारी	
सहायक निदेशक	4
अनुसंधान अधिकारी	2
अन्वेषक	8
प्रशासनिक कर्मचारी	
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1
सहायक	7
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2
प्रवर श्रेणी लिपिक	7
अवर श्रेणी लिपिक	12

2.7 यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि जिस दिन आयोग का गठन किया गया उसी दिन, अर्थात् 12-3-92 को, कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोग के 106 पदों को समाप्त कर दिया गया। इनमें पिछले आयुक्त के उस कार्यालय के 75 पद भी शामिल थे जिसे संविधान (पैंसठवां) संशोधन अधिनियम, 1990 के रूप में पारित तथा अधिसूचित संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलाया जाना था। समाप्त किए गए पदों में पिछले आयोग के कार्यालय के 31 पद ऐसे भी थे जो उक्त तारीख को खाली पड़े हुए थे। इन पदों में, तीन निदेशक (पटना, जयपुर एवं हैदराबाद), दो पुलिस अधीक्षक, चार उप निदेशक, एक सहायक निदेशक, एक अनुसंधान अधिकारी, नौ वरिष्ठ अन्वेषक, छः अन्वेषक, एक वरिष्ठ निजी सहायक, दो सहायक, एक अधीक्षक एवं एक डिस्पैच राइडर के पद सम्मिलित हैं। हालांकि राष्ट्रीय आयोग के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि की गई थी, फिर भी स्टाफ़ की संख्या में कमी की गई। तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को जिनके अन्तर्गत **बिहार, राजस्थान** एवं **आन्ध्र प्रदेश** जैसे बड़े राज्यों को सम्मिलित किया गया है एवं जिनमें पर्याप्त अ०जा०/अ०ज०जा० जनसंख्या है, बिना निदेशक के रखा गया एवं अगरतला, चण्डीगढ़ एवं तिरुवनन्तपुरम् स्थित कार्यालयों में उप निदेशक का पद नहीं रखा गया। अत्यंत असंतोषजनक स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय पटना के उदाहरण से स्पष्ट होती है जहां 1-8-93 से 23-5-94 तक कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं था। 12-3-92 को अ०जा० और अ०ज०जा० के आयुक्त के कार्यालय को भंग कर दिया गया। इसके कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया एवं शेष स्टाफ़ को कल्याण मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया। बाद में 31-7-92 एवं 5-8-92 को पूर्ववर्ती आयुक्त के कार्यालय के 27 स्टाफ़ सदस्यों को, अस्थायी तौर पर, राष्ट्रीय आयोग के साथ लगा दिया गया। इन 27 स्टाफ़ सदस्यों में से भी कुछ ने आयोग में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। 12-3-92 को 106 पदों का समाप्त किया जाना, स्वयं में आयोग के लिए एक बहुत बड़ा आघात था।

2.8 आयोग को सौंपे गए बढ़े हुए कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आयोग ने 2-6-92 को कल्याण मंत्रालय के सन्मुख इसके 31 समाप्त पदों एवं पूर्ववर्ती अ०जा० और अ०ज०जा० के आयुक्त के कार्यालय के 75 पदों को पुनः स्थापित करने के अलावा, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 283 पदों की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का विस्तृत औचित्य सरकार को दिया गया था। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार मुख्यालय में चार स्कंध (विंग) अर्थात् सेवा एवं जनजाति मामलों, अत्याचार, योजना तथा विकास और प्रशासन से संबंधित स्कंध होंगे। प्रत्येक स्कंध का प्रधान, संयुक्त सचिव होगा एवं उसकी सहायता के लिए निदेशक एवं उप सचिव होंगे। सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षणों की देखभाल के लिए पांच यूनिटों का प्रस्ताव दिया गया है एवं इसके अतिरिक्त इसमें चार निरीक्षण स्कंध और एक शिकायत एवं अनुवीक्षण कक्ष होगा। निदेशक/उप सचिव की श्रेणी का अधिकारी इस स्कंध का समग्र प्रभारी होगा एवं उसकी सहायता के लिए तीन उप निदेशक होंगे, जिनमें दो सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों एवं अभ्यावेदनों को देखेंगे एवं तीसरा सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालयों में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण प्रभारी होगा। इन सभी यूनिटों में

स्टाफ़, जैसे सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक एवं अन्वेषक सेवारत होंगे। जनजाति एवं विविध सुरक्षण स्कन्ध में एक निदेशक/उप सचिव के पास चार यूनिट होंगे, अर्थात् जनजाति सुरक्षण, विधि सुरक्षण तथा शिक्षा यूनिट, उनमें प्रत्येक एक उप निदेशक के प्रभार में होगा एवं शिकायत एवं अनुवीक्षण यूनिट जो एक सहायक निदेशक के प्रभार में होगा। ये स्कंध सहायक निदेशकों, अनुसंधान अधिकारियों, वरिष्ठ अन्वेषकों और अन्वेषकों के सामान्य अनुसंधान स्टाफ़ द्वारा चलाए जाएंगे। अत्याचार एवं सिविल अधिकार संरक्षण स्कंध एक निदेशक/उप सचिव (अन्वेषण) के प्रभार में होगा। इस स्कंध मे चार यूनिट होंगे, अर्थात् अत्याचार और सिविल अधिकार संरक्षण (I एवं II), अनुवीक्षण एवं नीति तथा शिकायत और अनुवीक्षण कक्ष, प्रत्येक एक सहायक निदेशक द्वारा चलाया जाएगा एवं इसमें वरिष्ठ अन्वेषकों एवं अन्वेषकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निदेशक/उप सचिव (अन्वेषण) के प्रभार में अत्याचार एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की देखभाल करने वाले अन्य स्कंध में, दो यूनिट होंगे। प्रत्येक का प्रधान एक उप निदेशक होगा एवं उसमें वरिष्ठ अन्वेषक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ये यूनिट मुख्य तौर पर घटनास्थल पर जाकर जांच-पड़ताल आदि का काम करेंगे। निदेशक/उप सचिव के समग्र प्रभार में योजना एवं विकास स्कंध की सहायता के लिए पांच यूनिट होंगे। प्रत्येक का प्रधान एक उप निदेशक होगा एवं साथ ही पूरक स्टाफ़ होगा जो क्रमशः केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनाओं को देखेगा। एक मूल्यांकन स्कंध जिसका प्रधान एक निदेशक/उप सचिव होगा, की सहायता के लिए दो यूनिट होंगे जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक उप निदेशक होगा, साथ ही अपेक्षित अनुसंधान स्टाफ़ होगा जिसका मुख्य कार्य सुनियोजित ढंग से विभिन्न राज्यों में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना होगा।

2.9 उपर्युक्त स्कंधों के अलावा आयोग ने आयोग को दी गई सिविल न्यायालय की शक्तियों को ध्यान में रख कर, विधिक मामलों में आयोग को सलाह देने के लिए एक विधि शाखा बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इस शाखा में निदेशक के वेतनमान का एक विधि सलाहकार, अवर सचिव के ग्रेड का एक विधि अधिकारी, एक विधि सहायक एवं अन्य स्टाफ़ होगा। सांख्यिकीय आंकड़ों एवं रिकार्डों को एकत्र करने तथा उनके रख-रखाव के प्रयोजन के लिए एक सहायक निदेशक के प्रभार में एक कम्प्यूटर कक्ष का भी प्रस्ताव है। पुस्तकालय एवं संदर्भ कक्ष का प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष होगा और उसकी सहायता के लिए एक अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी होगा। इस कक्ष के लिए नए पदों का प्रस्ताव देते हुए इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। एक वृत्तिक सेवा स्कंध होगा और यह संयुक्त सचिव के प्रभार में होगा। एक रिपोर्ट कक्ष होगा जिसका प्रधान एक उप निदेशक होगा जिसमें आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री एकत्र करने, प्रारूप तैयार करने तथा छपाई एवं वितरण के लिए तीन अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य अनुसंधान स्टाफ़ सहायता के लिए होंगे। मुख्यालय को सशक्त करने के अतिरिक्त, वर्तमान 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिक स्टाफ़ देकर एवं साथ ही नई दिल्ली में दो नए कार्यालयों तथा चार बड़े राज्यों अर्थात् **मध्य प्रदेश** (रायपुर एवं इंदौर), **उत्तर प्रदेश** (वाराणसी एवं आगरा / मेरठ), **बिहार** (रांची एवं दरभंगा) एवं **महाराष्ट्र** (नागपुर एवं नासिक) में उप-कार्यालय स्थापित करके परिवर्द्धित कार्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त करने का प्रस्ताव है। स्टाफ़ प्रस्तावों का सार संलग्नक 2.I में देखा जाए।

2.10 आयोग स्टाफ़ की भारी अपर्याप्तता के कारण कई सांविधानिक प्रावधानों के संबंध में, प्रभावी ढंग से कार्य आरंभ करने में समर्थ नहीं रहा है। कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए स्टाफ़ प्रस्तावों को अभी संस्वीकृति मिलनी बाकी है। आयोग के मुख्यालय में 157 तकनीकी अधिकारी एवं स्टाफ़ के प्रस्ताव की तुलना में दिसम्बर 1993 के अन्त तक इसके पास केवल 14 अधिकारी एवं कर्मचारी थे। 12 मार्च 1992 को आयोग के गठन के समय समाप्त किए गए 106 पदों में से जनवरी 1994 में केवल 31 पदों को पुनः स्थापित किया गया था। आयोग के लिए आवश्यक स्टाफ़ की संस्वीकृति के बारे में सरकार को बार-बार पत्र भेजे जाने पर भी जिसमें आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्री एवं कल्याण मंत्री के साथ किया गया, अर्ध-शासकीय पत्राचार भी सम्मिलित है, अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकले हैं, यद्यपि कल्याण मंत्री द्वारा अध्यक्ष को लिखा गया है कि नवगठित राष्ट्रीय आयोग के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों एवं कार्यों के कारण इसे अधिक स्टाफ़ की आवश्यकता है।

संलग्नक 2.I

स्टाफ़ के लिए प्रस्ताव

सार

	आयोग के कार्यालय में विद्यमान	प्रस्तावित	अतिरिक्तता	आयोग के पिछले कार्यालय में उपलब्ध	वास्तविक (नेट) अतिरिक्तता
मुख्यालय					
तकनीकी कर्मचारी	17	157	140	17	123
प्रशासनिक तथा अनुसचिवीय कर्मचारी	60	177	177	70	47
	77	334	257	87	170
क्षेत्रीय कार्यालय	201	345	144	—	144
कुल जोड़	278	679	401	87	314

इस विवरणी के अन्तर्गत अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्यों के निजी कार्मिकों से सम्बन्धित पद शामिल नहीं है।

अध्याय 2

आयोग का संगठनात्मक ढांचा

संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 द्वारा आयोग को सौंपे गए कार्यों का क्षेत्र काफी व्यापक है। संविधान में अथवा सरकार के किसी क़ानून या किसी आदेश के अंतर्गत अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लिए दिए गए सुरक्षणों के कार्यकरण की छानबीन करने, उनका अनुवीक्षण करने तथा उनका मूल्यांकन करने की आयोग से अपेक्षा की जाती है। इसे अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लोगों के अधिकारों तथा सुरक्षणों के अतिक्रमण की विशेष शिकायतों की भी जांच-पड़ताल करनी होती है। अनुभव से पता चला है कि आयोग द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें केवल वे नहीं होती हैं जो किसी अधिकार या सुरक्षण के स्पष्ट अतिक्रमण से संबंधित हों बल्कि ये लोग अपनी विभिन्न प्रकार की शिकायतें तथा समस्याएं भी आयोग को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग को योजना प्रक्रिया में भाग लेना होता है तथा योजना और विकास के मामलों पर सरकार को परामर्श देना होता है। आयोग के सामने विविध निर्दिष्ट विषय तथा कार्य भी आते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जन शक्ति की आवश्यकता है लेकिन दुर्भाग्यवश आयोग के समक्ष यह एक बाधा है। आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का कार्यक्षेत्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूतपूर्व आयुक्त और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्ववर्ती असांविधिक राष्ट्रीय आयोग द्वारा निष्पादित कार्यों के कार्यक्षेत्र की तुलना में काफी व्यापक है।

2.2 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार था—

मुख्यालय

अध्यक्ष एवं सदस्य	5
अवैतनिक सदस्य	2
सचिव	1
संयुक्त सचिव	1
उप सचिव	1
निदेशक	1
उप महानिरीक्षक, पुलिस	1
पुलिस अधीक्षक	2

तकनीकी स्टाफ़

उप निदेशक	2
सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी	5
वरिष्ठ अन्वेषक	11
अन्वेषक	3

प्रशासनिक स्टाफ़

अवर सचिव	1
सहायक निदेशक (रा०भा०)	1
पुस्तकालयाध्यक्ष	1
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक	3
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
लेखाकार	1
प्र०श्रे० लिपिक	3
अ०श्रे० लिपिक	7

2.3 सेवा सुरक्षणों, विकास तथा अत्याचारों से संबंधित कार्यों को करने वाले तीन अध्ययन एकक थे। इन एककों द्वारा निष्पादित कार्य निम्नानुसार थे—

अध्ययन एकक I

यह एकक केन्द्र तथा राज्य सरकार की सेवाओं में और केन्द्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के लिए दिए गए सेवा सुरक्षणों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों को करता था। इस एकक में सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व से संबंधित अधिनियमिति / सरकारी आदेशों तथा अनुदेशों से संबद्ध नीतिगत मामलों के अतिरिक्त अ०जा० / अ०ज०जा० के व्यक्तियों के सेवा मामलों से संबंधित सभी शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्य किया जाता था। इस एकक द्वारा समय-समय पर सेवा मामलों के संबंध में विभिन्न सांविधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन से संबद्ध मूल्यांकन अध्ययन / सर्वेक्षण भी किए जाते थे।

अध्ययन एकक II

यह एकक अ०जा० और अ०ज०जा० के विकास से संबंधित मामलों पर कार्य करता था। इस एकक को सौंपे गए कार्य की विशिष्ट मदें इस प्रकार थी— (I) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, (II) अनुसूचित जाति विकास निगम / जनजाति विकास निगम, (III) अत्याचार, अस्पृश्यता का व्यवहार तथा सेवा मामलों से इतर मामलों पर उनकी शिकायतों के संबंध में अ०जा०/ अ०ज०जा० के व्यक्तियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन / की गई शिकायतें, (IV) जनजाति उप योजना (V) पिछड़ी जातियों के कल्याण से संबंधित मामले, (VI) जनजाति अनुसंधान संस्थान तथा अन्य अनुसंधान निकाय (VII) भूमि सुधार अधिनियम तथा उनका कार्यान्वयन, (VIII) भूमि का स्वामित्व परिवर्तन, (IX) अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए शैक्षिक योजनाएं।

अध्ययन एकक III

यह एकक अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचारों से संबंधित विषयों और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, आदि से संबंधित मामलों पर कार्य करता था। इस एकक द्वारा इन विषयों पर मूल्यांकन अध्ययन एवं सर्वेक्षण भी किए जाते थे।

क्षेत्रीय संगठन के कार्य

2.4 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से चौकसी रखने के कार्यों को निष्पादित करने के साथ-साथ अ०जा० और अ०ज०जा० के कल्याण तथा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन में राज्य सरकारों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों की सक्रिय रूप से सहायता करने की भी अपेक्षा की जाती थी। इनके सामान्य कार्य थे— (I) आयोग की ओर से राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ प्रभावी संपर्क बनाए रखना, (II) आयोग की ओर से राज्य स्तरीय सलाहकार परिषदों / समितियों / निगमों, आदि के काम में शामिल होना, (III) अ०जा० और अ०ज०जा० के कल्याण हेतु संघ सरकार की राज्यों की अधिकारिता में आने वाली नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना संबंधित राज्यों को देना और अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों को प्रभावित करने वाले राज्य के महत्वपूर्ण विकास कार्यों, सामाजिक आंदोलनों तथा नीतिगत परिवर्तनों के बारे में मुख्यालय को सूचित करना, (IV) अनुसंधान अध्ययनों, नमूना सर्वेक्षणों तथा मूल्यांकन अध्ययन स्वयं करना या आयोग द्वारा उन्हें सौंपे गए अध्ययन आयोजित करना, (V) अ०जा० और अ०ज०जा० में कार्य करने के लिए कल्याण मंत्रालय से सीधे सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण का निरीक्षण करना। (VI) केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का निरीक्षण करना। (VII) अ०जा० और अ०ज०जा० के लोगों पर अत्याचारों के मामले में घटनास्थल पर जांच पड़ताल करना, और (VIII) सेवा संबंधी मामलों सहित विभिन्न विषयों पर प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना।

क्षेत्रीय कार्यालय

2.5 पिछले आयोग के 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे जिनमें से 12 क्षेत्रीय कार्यालय निदेशकों के अधीन थे और 5 क्षेत्रीय कार्यालय उप निदेशकों के अधीन थे। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र और पदनाम का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	स्थान	प्रभारी अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	अगरतला	उप निदेशक	त्रिपुरा	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
2.	अहमदाबाद	निदेशक	गुजरात, दादरा और नागर हवेली	
3.	बेंगलूर	निदेशक	कर्नाटक	

	स्थान	प्रभारी अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र	टिप्पणियां
4.	भोपाल	निदेशक	मध्य प्रदेश	
5.	भुवनेश्वर	निदेशक	उड़ीसा	
6.	कलकत्ता	निदेशक	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	
7.	चण्डीगढ़	उप निदेशक	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
8.	गुवाहाटी	उप निदेशक	असम	
9.	हैदराबाद	निदेशक	आन्ध्र प्रदेश	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
10.	जयपुर	निदेशक	राजस्थान	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
11.	लखनऊ	निदेशक	उत्तर प्रदेश	
12.	मद्रास	निदेशक	तमिलनाडु, पांडिचेरी	
13.	पटना	निदेशक	बिहार	निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।
14.	पुणे	निदेशक	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव	
15.	शिलंग	निदेशक	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम	
16.	शिमला	उप निदेशक	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर	
17.	तिरुवनन्तपुरम्	उप निदेशक	केरल, लक्षद्वीप	उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का संगठन

2.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, जो दिनांक 11-3-1992 तक अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत सवैंधानिक प्राधिकारी थे, का स्थापन (निजी स्टाफ़ तथा वर्ग घ कार्मिकों को छोड़कर) निम्न प्रकार से था—

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त	1
विशेष आयुक्त	2
उपायुक्त	2
सहायक आयुक्त	1
तकनीकी कर्मचारी	
सहायक निदेशक	4
अनुसंधान अधिकारी	2
अन्वेषक	8
प्रशासनिक कर्मचारी	
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1
सहायक	7
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2
प्रवर श्रेणी लिपिक	7
अवर श्रेणी लिपिक	12

2.7 यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि जिस दिन आयोग का गठन किया गया उसी दिन, अर्थात् 12-3-92 को, कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोग के 106 पदों को समाप्त कर दिया गया। इनमें पिछले आयुक्त के उस कार्यालय के 75 पद भी शामिल थे जिसे संविधान (पैंसठवां) संशोधन अधिनियम, 1990 के रूप में पारित तथा अधिसूचित संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलाया जाना था। समाप्त किए गए पदों में पिछले आयोग के कार्यालय के 31 पद ऐसे भी थे जो उक्त तारीख को खाली पड़े हुए थे। इन पदों में, तीन निदेशक (पटना, जयपुर एवं हैदराबाद), दो पुलिस अधीक्षक, चार उप निदेशक, एक सहायक निदेशक, एक अनुसंधान अधिकारी, नौ वरिष्ठ अन्वेषक, छः अन्वेषक, एक वरिष्ठ निजी सहायक, दो सहायक, एक अधीक्षक एवं एक डिस्पैच राइडर के पद सम्मिलित हैं। हालांकि राष्ट्रीय आयोग के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि की गई थी, फिर भी स्टाफ़ की संख्या में कमी की गई। तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को जिनके अन्तर्गत **बिहार, राजस्थान** एवं **आन्ध्र प्रदेश** जैसे बड़े राज्यों को सम्मिलित किया गया है एवं जिनमें पर्याप्त अ०जा०/अ०ज०जा० जनसंख्या है, बिना निदेशक के रखा गया एवं अगरतला, चण्डीगढ़ एवं तिरुवनन्तपुरम् स्थित कार्यालयों में उप निदेशक का पद नहीं रखा गया। अत्यंत असंतोषजनक स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय पटना के उदाहरण से स्पष्ट होती है जहां 1-8-93 से 23-5-94 तक कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं था। 12-3-92 को अ०जा० और अ०ज०जा० के आयुक्त के कार्यालय को भंग कर दिया गया। इसके कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया एवं शेष स्टाफ़ को कल्याण मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया। बाद में 31-7-92 एवं 5-8-92 को पूर्ववर्ती आयुक्त के कार्यालय के 27 स्टाफ़ सदस्यों को, अस्थायी तौर पर, राष्ट्रीय आयोग के साथ लगा दिया गया। इन 27 स्टाफ़ सदस्यों में से भी कुछ ने आयोग में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। 12-3-92 को 106 पदों का समाप्त किया जाना, स्वयं में आयोग के लिए एक बहुत बड़ा आघात था।

2.8 आयोग को सौंपे गए बढ़े हुए कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आयोग ने 2-6-92 को कल्याण मंत्रालय के सन्मुख इसके 31 समाप्त पदों एवं पूर्ववर्ती अ०जा० और अ०ज०जा० के आयुक्त के कार्यालय के 75 पदों को पुनः स्थापित करने के अलावा, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 283 पदों की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का विस्तृत औचित्य सरकार को दिया गया था। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार मुख्यालय में चार स्कंध (विंग) अर्थात् सेवा एवं जनजाति मामलों, अत्याचार, योजना तथा विकास और प्रशासन से संबंधित स्कंध होंगे। प्रत्येक स्कंध का प्रधान, संयुक्त सचिव होगा एवं उसकी सहायता के लिए निदेशक एवं उप सचिव होंगे। सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षणों की देखभाल के लिए पांच यूनिटों का प्रस्ताव दिया गया है एवं इसके अतिरिक्त इसमें चार निरीक्षण स्कंध और एक शिकायत एवं अनुवीक्षण कक्ष होगा। निदेशक/उप सचिव की श्रेणी का अधिकारी इस स्कंध का समग्र प्रभारी होगा एवं उसकी सहायता के लिए तीन उप निदेशक होंगे, जिनमें दो सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों एवं अभ्यावेदनों को देखेंगे एवं तीसरा सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालयों में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण प्रभारी होगा। इन सभी यूनिटों में

स्टाफ़, जैसे सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक एवं अन्वेषक सेवारत होंगे। जनजाति एवं विविध सुरक्षण स्कन्ध में एक निदेशक/उप सचिव के पास चार यूनिट होंगे, अर्थात् जनजाति सुरक्षण, विधि सुरक्षण तथा शिक्षा यूनिट, उनमें प्रत्येक एक उप निदेशक के प्रभार में होगा एवं शिकायत एवं अनुवीक्षण यूनिट जो एक सहायक निदेशक के प्रभार में होगा। ये स्कंध सहायक निदेशकों, अनुसंधान अधिकारियों, वरिष्ठ अन्वेषकों और अन्वेषकों के सामान्य अनुसंधान स्टाफ़ द्वारा चलाए जाएंगे। अत्याचार एवं सिविल अधिकार संरक्षण स्कंध एक निदेशक/उप सचिव (अन्वेषण) के प्रभार में होगा। इस स्कंध मे चार यूनिट होंगे, अर्थात् अत्याचार और सिविल अधिकार संरक्षण (I एवं II), अनुवीक्षण एवं नीति तथा शिकायत और अनुवीक्षण कक्ष, प्रत्येक एक सहायक निदेशक द्वारा चलाया जाएगा एवं इसमें वरिष्ठ अन्वेषकों एवं अन्वेषकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निदेशक/उप सचिव (अन्वेषण) के प्रभार में अत्याचार एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की देखभाल करने वाले अन्य स्कंध में, दो यूनिट होंगे। प्रत्येक का प्रधान एक उप निदेशक होगा एवं उसमें वरिष्ठ अन्वेषक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ये यूनिट मुख्य तौर पर घटनास्थल पर जाकर जांच-पड़ताल आदि का काम करेंगे। निदेशक/उप सचिव के समग्र प्रभार में योजना एवं विकास स्कंध की सहायता के लिए पांच यूनिट होंगे। प्रत्येक का प्रधान एक उप निदेशक होगा एवं साथ ही पूरक स्टाफ़ होगा जो क्रमशः केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनाओं को देखेगा। एक मूल्यांकन स्कंध जिसका प्रधान एक निदेशक/उप सचिव होगा, की सहायता के लिए दो यूनिट होंगे जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक उप निदेशक होगा, साथ ही अपेक्षित अनुसंधान स्टाफ़ होगा जिसका मुख्य कार्य सुनियोजित ढंग से विभिन्न राज्यों में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना होगा।

2.9 उपर्युक्त स्कंधों के अलावा आयोग ने आयोग को दी गई सिविल न्यायालय की शक्तियों को ध्यान में रख कर, विधिक मामलों में आयोग को सलाह देने के लिए एक विधि शाखा बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इस शाखा में निदेशक के वेतनमान का एक विधि सलाहकार, अवर सचिव के ग्रेड का एक विधि अधिकारी, एक विधि सहायक एवं अन्य स्टाफ़ होगा। सांख्यिकीय आंकड़ों एवं रिकार्डों को एकत्र करने तथा उनके रख-रखाव के प्रयोजन के लिए एक सहायक निदेशक के प्रभार में एक कम्प्यूटर कक्ष का भी प्रस्ताव है। पुस्तकालय एवं संदर्भ कक्ष का प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष होगा और उसकी सहायता के लिए एक अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी होगा। इस कक्ष के लिए नए पदों का प्रस्ताव देते हुए इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। एक वृत्तिक सेवा स्कंध होगा और यह संयुक्त सचिव के प्रभार में होगा। एक रिपोर्ट कक्ष होगा जिसका प्रधान एक उप निदेशक होगा जिसमें आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री एकत्र करने, प्रारूप तैयार करने तथा छपाई एवं वितरण के लिए तीन अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य अनुसंधान स्टाफ़ सहायता के लिए होंगे। मुख्यालय को सशक्त करने के अतिरिक्त, वर्तमान 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिक स्टाफ़ देकर एवं साथ ही नई दिल्ली में दो नए कार्यालयों तथा चार बड़े राज्यों अर्थात् **मध्य प्रदेश** (रायपुर एवं इंदौर), **उत्तर प्रदेश** (वाराणसी एवं आगरा / मेरठ), **बिहार** (रांची एवं दरभंगा) एवं **महाराष्ट्र** (नागपुर एवं नासिक) में उप-कार्यालय स्थापित करके परिवर्द्धित कार्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त करने का प्रस्ताव है। स्टाफ़ प्रस्तावों का सार संलग्नक 2.I में देखा जाए।

2.10 आयोग स्टाफ़ की भारी अपर्याप्तता के कारण कई सांविधानिक प्रावधानों के संबंध में, प्रभावी ढंग से कार्य आरंभ करने में समर्थ नहीं रहा है। कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए स्टाफ़ प्रस्तावों को अभी संस्वीकृति मिलनी बाकी है। आयोग के मुख्यालय में 157 तकनीकी अधिकारी एवं स्टाफ़ के प्रस्ताव की तुलना में दिसम्बर 1993 के अन्त तक इसके पास केवल 14 अधिकारी एवं कर्मचारी थे। 12 मार्च 1992 को आयोग के गठन के समय समाप्त किए गए 106 पदों में से जनवरी 1994 में केवल 31 पदों को पुनः स्थापित किया गया था। आयोग के लिए आवश्यक स्टाफ़ की संस्वीकृति के बारे में सरकार को बार-बार पत्र भेजे जाने पर भी जिसमें आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्री एवं कल्याण मंत्री के साथ किया गया, अर्ध-शासकीय पत्राचार भी सम्मिलित है, अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकले हैं, यद्यपि कल्याण मंत्री द्वारा अध्यक्ष को लिखा गया है कि नवगठित राष्ट्रीय आयोग के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों एवं कार्यों के कारण इसे अधिक स्टाफ़ की आवश्यकता है।

संलग्नक 2.I

स्टाफ़ के लिए प्रस्ताव

सार

	आयोग के कार्यालय में विद्यमान	प्रस्तावित	अतिरिक्तता	आयोग के पिछले कार्यालय में उपलब्ध	वास्तविक (नेट) अतिरिक्तता
मुख्यालय					
तकनीकी कर्मचारी	17	157	140	17	123
प्रशासनिक तथा अनुसचिवीय कर्मचारी	60	177	177	70	47
	77	334	257	87	170
क्षेत्रीय कार्यालय	201	345	144	—	144
कुल जोड़	278	679	401	87	314

इस विवरणी के अन्तर्गत अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्यों के निजी कार्मिकों से सम्बन्धित पद शामिल नहीं है।

अध्याय 3

शिक्षा

किसी व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए और समतावादी नीतियों के अनुसार सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। इसलिए, यह ठीक ही था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष अनुच्छेद शामिल किए कि राज्य सभी लोगों, और विशेषकर कमज़ोर वर्गों के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा करे।

3.2 शैक्षिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं—

अनुच्छेद 46, जिसे राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है, में यह प्रावधान है कि "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।"

अनुच्छेद 15(4), में राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में यह प्रावधान संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अनुसार, राज्य तकनीकी, इंजीनियरी और मेडिकल कॉलेजों सहित सभी शैक्षिक संस्थाओं में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। इसमें तथा अनुच्छेद 16(4) में "पिछड़े वर्ग" शब्द का प्रयोग जातिगत शब्द के रूप में किया गया है और इसमें पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, (अन्य) पिछड़े वर्ग, अधिसूचना में से निकाले गए समुदाय (विमुक्त जातियां) और खानाबदोश/अर्ध-खानाबदोश समुदाय।

अनुच्छेद 29(1), में यह प्रावधान है कि "भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।" सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुच्छेद विशेष महत्व का है। उदाहरणार्थ, संथालों की अपनी अलग लिपि है, जिसे ओल्चिकी कहते हैं।

अनुच्छेद 350 (क), के अनुसार, "प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक — वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।" अधिकांश जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएं अथवा उप-भाषाएं (बोलियां) होती हैं, जो कि सामान्यतः उस राज्य की राजभाषा के भाषा परिवार से भिन्न भाषा परिवार से संबद्ध होती है। विभिन्न विशेषज्ञ आयोगों और समितियों ने यह सिफ़ारिश की है कि जनजातीय बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में कम से कम पहली और दूसरी कक्षाओं में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए।

3.3 पारंपरिक समाजों में शिक्षा की भूमि का कुल मिलाकर सांस्कृतिक उपलब्धियों तक ही सीमित थी। यह राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में शक्ति का स्रोत भी थी। तेजी से बदलती इस दुनिया में, जबकि पारंपरिक संस्थाओं के स्थान पर औपचारिक संस्थाएं खुल रही हैं, तब शिक्षा की उपेक्षा कुल मिलाकर समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और विशेषकर उन कमज़ोर वर्गों के लिए घातक है, जिन्हें इन नई संस्थाओं की प्रक्रिया को अभी समझना है, ताकि वे लोकतांत्रिक समाज के सदस्य के रूप में उन्नति में समान रूप से भागीदार हो सकें। इस प्रकार से, शिक्षा शक्ति का मूल स्रोत है और ग़रीबों, खासकर अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लिए आवश्यक है, जिससे वे इस आधुनिक दुनिया में अपना स्थान बना सकें। शैक्षिक विकास को किसी समुदाय के विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जा सकता है।

3.4 भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के शैक्षिक आधार को मज़बूत बनाने के लिए विशेष क़दम उठाए हैं। मुख्यतः इन समुदायों की बाहुलता वाले क्षेत्रों में अग्रता के आधार पर शैक्षिक संस्थाएं खोलने के उपबंध, छात्रवृत्ति, शुल्कमुक्ति, दोपहर का भोजन, वर्दी, पुस्तकें और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना, मैट्रिक/मैट्रिकोत्तर स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करना, कोचिंग एवं छात्रावास सुविधाओं संबंधी प्रावधान कुछ ऐसे क़दम हैं, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आधार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। किंतु इन सभी प्रावधानों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक विकास के क्षेत्र में सामान्य स्तर तक आने में अभी बहुत समय लगेगा। शैक्षिक विकास को रोकने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की कमज़ोरियों और उनके कारणों का पता लगाने के लिए सम्मिलित प्रयास करना होगा।

साक्षरता की स्थिति

3.5 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 13.82 करोड़ (7.19 करोड़ पुरुष और 6.63 करोड़ महिलाएं) और अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 6.77 करोड़ (3.43 करोड़ पुरुष और 3.39 करोड़ महिलाएं) थी, जो कि देश की कुल आबादी की क्रमशः 16.48% और 8.08% थी। 1961 से लेकर 1991 तक अ०जा० और अ०ज०जा० की साक्षरता का प्रतिशत नीचे दिया गया है—

सारणी 1

	1961	1971	1981	1991
सामान्य (अनु०जाति और अनु०जनजाति सहित)	24.00	29.45	36.23	52.21
ग़ैर-अनु०जाति/अनु०जनजाति की आबादी	27.91	33.80	41.30	57.69
अनु०जाति	10.27	14.67	21.38	37.41
अनु०जनजाति	8.54	11.29	16.35	29.60

3.6 उपर्युक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि अ०जा० और अ०ज०जा० में साक्षरता की वृद्धि-दर तेज़ी से बढ़ रही है, किन्तु साक्षरता में वृद्धि होने के बावजूद, अनु०जातियों और अ०जा० और अ०ज०जा० तथा अन्य समुदायों के बीच साक्षरता दर का अंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा—

	1961	1971	1981	1991
अनु०जातियों और ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० के बीच की साक्षरता दर में अंतर	17.64	19.13	19.92	20.28
अनुसूचित जनजातियों और ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० की साक्षरता दर में अंतर	19.37	22.51	24.95	28.09

उपर्युक्त स्थिति से यह पता चलता है कि इस अंतर को समाप्त करने के लिए पहले से अधिक सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। जैसा कि संलग्नक 3.I से स्पष्ट हो जाएगा, ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० की आबादी और अ०जा० और अ०ज०जा० के बीच और यहां तक कि अ०जा० एवं अ०ज०जा० के बीच तथा पुरुषों एवं महिलाओं के बीच की साक्षरता दर में बहुत अधिक अंतर है।

3.7 विभिन्न राज्यों में अ०जा० और अ०ज०जा० के बीच की साक्षरता दरें (1991 की जनगणना) क्रमशः संलग्नक 3.II और 3.III में अवरोही क्रम में दर्शाई गई है। निम्नलिखित सारणी में 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऊपर के और 5 राज्य नीचे के दर्शाए गए हैं—

सारणी 2

अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
1. केरल	79.66%	1. मिज़ोरम	82.71%
2. दमण और दीव	79.18%	2. लक्षद्वीप	80.58%
3. मिज़ोरम	77.92%	3. नागालैण्ड	60.59%
4. दादरा और नागर हवेली	77.64%	4. सिक्किम	59.01%
5. गुजरात	61.07%	5. केरल	57.22%
भारत	37.41%	**भारत**	29.60%
6. मध्य प्रदेश	35.08%	6. बिहार	26.78%
7. आंध्र प्रदेश	31.59%	7. उड़ीसा	22.31%

अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
8. उत्तर प्रदेश	26.85%	8. मध्य प्रदेश	21.54%
9. राजस्थान	26.29%	9. राजस्थान	19.44%
10. बिहार	19.49%	10. आंध्र प्रदेश	17.16%

3.8 अधिकांशतः इन सभी राज्यों में विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनमें केन्द्रीय स्तर पर अत्यधिक निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षिक विकास एक ऐसा मुख्य क्षेत्र है, जिस पर अभी भी अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। एक राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी काफ़ी अंतर है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि 1981 और 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इन विभिन्न राज्यों को अपने राज्य में शैक्षिक दृष्टि से कमज़ोर जातियों/जनजातियों की पहचान करनी चाहिए और उनकी साक्षरता तथा शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। आदिम जाति समूह सहित इन सभी कमज़ोर वर्गों के बच्चों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अन्य लोगों की बराबरी में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनमें साक्षरता की दर कम से कम अपने राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता दर के बराबर हो।

महिला साक्षरता

3.9 समूचे विश्व में महिला-पुरुषों में असमानता एक कटु सत्य है। यह मानी हुई बात है कि यदि महिलाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए, जो कि कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार स्तम्भ भी है, तो वास्तविक विकास नहीं हो सकता। शैक्षिक विकास एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिससे महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जा सकता है और वे अंततः पुरुषों की बराबरी में आ सकती हैं। महिलाओं की साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की महिलाओं की साक्षरता वृद्धि नीचे दर्शाई गई है—

सारणी 3

महिला साक्षरता दर

	साक्षरता दर			वृद्धि दर	
	1971	1981	1991	1971-81	1981-91
अनुसूचित जातियां	6.44	10.93	23.76	69.72	117.34
अनुसूचित जनजातियां	4.85	8.04	18.19	65.77	126.24
अनुसूचित जातियों एवं अनु॰जनजातियों के अतिरिक्त सभी जातियां	22.25	29.43	44.82	32.27	52.29

हालांकि अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों में महिला साक्षरता की वृद्धि दर बढ़ती हुई दिखाई देती है, किन्तु अनु॰जाति तथा अनु॰जनजाति और अन्य जातियों की महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर बढ़ गया है, जो कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा—

	1971	1981	1991
अनु॰जातियों और ग़ैर-अनु॰जातियों/अनु॰जनजातियों की महिला साक्षरता दरों के बीच का अंतर	15.81	18.50	21.06
अनु॰जनजातियों और ग़ैर-अनु॰जातियों/अनु॰जनजातियों की महिला साक्षरता दरों के बीच का अंतर	17.40	21.39	26.63

3.10. 1981 की जनगणना के दौरान देश में 48 ज़िले (संलग्नक 3.III में सूचीबद्ध) ऐसे थे जिनमें अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता दर 2% से भी कम थी। यह स्थिति दयनीय है। पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त तथा पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में, अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजातियों में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए थे। ऐसा लगता है कि ग़ैर-अनु॰ जा॰/अनु॰ जनजाति और अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के बीच इस बढ़ते हुए

अंतराल को कम करने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाए गए। संबंधित राज्य सरकारों को उन जातियों/जनजातियों की पहचान के लिए तत्काल क़दम उठाने चाहिए, जिनमें महिला साक्षरता उस राज्य की अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति की औसत साक्षरता से बहुत कम है। उन समुदायों की साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिनमें महिला साक्षरता दर के अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के अन्य समुदायों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। इस प्रकार की सूक्ष्म स्तरीय योजना बनाना समय की मांग है। साक्षरता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही भिन्न-भिन्न एजेंसियों को समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इन ग्रुपों से संबंधित सभी साक्षरता वृद्धि कार्यक्रम, चाहे सरकारी हों या ग़ैर-सरकारी, सबसे पहले उन वर्गों के लिए कार्यान्वित किए जाए, जो कि सबसे निचले स्तर के हैं। यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की 90% वित्तीय सहायता से राजस्थान के दौसा ज़िले में रावलतन नामक स्थान पर चलाई जा रही "शिक्षा कर्मी परियोजना" का अनुभव उल्लेखनीय है। ऐसा नहीं है कि रावलतन में कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। इस गांव में 1959 से प्राइमरी स्कूल चल रहा था, जिसमें दो प्रशिक्षित अध्यापक थे। किन्तु, चूंकि ये अध्यापक बाहर के थे, इसलिए वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते थे, जिसके कारण दाखिले कम होने लगे और पढ़ाई भी अनियमित हो गई। यह परियोजना उसी गांव के दो शिक्षा कर्मियों (प्राइमरी स्कूल अध्यापक) के चयन से शुरू हुई। यद्यपि वे अप्रशिक्षित थे और नियमित अध्यापकों से कम अर्हता प्राप्त थे, फिर भी, उन्हें प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वे समर्पित शिक्षक थे। 37 दिन के आरंभिक प्रशिक्षण के बाद, वे नियमित अध्यापकों के स्थान पर रख लिए गए। एक वर्ष के अंदर ही इन शिक्षा कर्मियों ने नामांकन और शिक्षा की गुणता की दृष्टि से गांव का स्वरूप ही बदल दिया। यह मॉडल यह सिद्ध करता है कि सबके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने के लिए विशाल संसाधनों की नहीं, बल्कि समर्पित शिक्षकों की भी आवश्यकता है। लड़कियों का नामांकन इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती थी। अधिकांश लड़कियां दिन में विद्यालय में पढ़ने नहीं जा सकती थीं, क्योंकि वे घरेलू और खेती के कार्यों में व्यस्त रहती थीं। अतः दो घंटे की अवधि के लिए रात्रि पाठशालाएं खोली गई। इससे यह धारणा ग़लत सिद्ध हुई कि रात्रि पाठशालाओं के पाठ्क्रम और पुस्तकें अलग होनी चाहिए। रावलतन के उदाहरण से यह साफ ज़ाहिर है कि ग्रामीण लड़कियों को शिक्षित करने का एक तरीक़ा रात्रि पाठशाला है। इससे यह धारणा भी टूट गई है कि आर्थिक प्रोत्साहन और अर्हता प्राप्त शिक्षकों के बिना लड़कियों को इस ओर आकर्षित कर पाना कठिन है। इस प्रकार, सही योजना बनाकर अच्छे स्थानीय शिक्षकों का चयन करके और सामुदायिक भागीदारी से शिक्षा के क्षेत्र में फैली अनेक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। अन्य राज्य भी अपने यहाँ इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। तथापि, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनु॰ जनजाति की और अधिक लड़कियों को आकर्षित करने के लिए सबसे ग़रीब माता-पिता को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाना चाहिए। समय-समय पर अलग-अलग विद्यालयों के शिक्षकों के कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा की जानी चाहिए। जिन शिक्षकों का कार्य-निष्पादन अच्छा हो, उन्हें प्रोत्साहन दिये जाएं। अब पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया है, इसलिए चुने गए प्रतिनिधियों को इस बात की ज़िम्मेदारी दी जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएं और अनु॰ जाति तथा अनु॰ जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में गहरी रुचि लें।

नामांकन

3.11 पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर अनु॰ जातियों एवं अनु॰ जनजातियों का नामांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचक है, जो समाज के इन वंचित वर्गों के भावी शैक्षिक विकास की दिशा तय करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का योजना, मॉनीटरन और सांख्यिकी प्रभाग (अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति) संबंधित शैक्षिक आंकड़े प्रकाशित करता है, जिससे अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के नामांकन अनुपात और अन्य आंकड़ों का पता चलता है। शिक्षा के प्राथमिक और मिडिल स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) सर्वाधिक निर्णायक होता है। 6-11 वर्ष और 11-14 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या में से कक्षा I-V और VI-VIII में नामांकन के प्रतिशत अनुपात को सकल नामांकन अनुपात कहा जाता है। नीचे दी गई सारणी से प्राथमिक स्तर और मिडिल स्तर की शिक्षा में सामान्य जनसंख्या तथा अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ की जनसंख्या के सकल नामांकन अनुपात की तुलनात्मक स्थिति का पता चलता है—

सारणी 4

सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) 1992-93

(अलग-अलग आयु-वर्ग में नामांकन का प्रतिशत)

		सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
कक्षा	आयु-वर्ग	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
I-V	6-11	118.1	92.7	105.7	127.99	92.18	110.58	126.71	88.64	108.19
VI-VIII	11-14	80.5	53.8	67.5	75.07	44.04	59.97	58.54	32.04	45.64

स्रोत—जर्नल ऑफ लिटरेसी मिशन, जनवरी-मार्च 1994, प्रकाशक—प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

3.12 उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि नामांकन आंकड़े, खासकर प्राथमिक स्तर के नामांकन आंकड़े से हमेशा वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों की संख्या और अलग-अलग आयु-वर्ग के बच्चों की संख्या के आधार पर नामांकन अनुपात प्रस्तुत करता है। चूंकि नामांकित बच्चों की संख्या में 6-11 वर्ष के आयु-वर्ग से ऊपर और नीचे के आयु-वर्ग के बच्चों की संख्या भी शामिल होती है, इसलिए कभी-कभी नामांकन अनुपात बहुत अधिक होता है। जैसा कि उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है, प्राथमिक कक्षाओं में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के बच्चों का नामांकन अनुपात क्रमशः 110.58 और 108.19 प्रतिशत हो गया है। इस दृष्टि से ये आंकड़े सराहनीय लगते हैं, किन्तु जैसा कि क्रमशः संलग्नक 3.V और 3.VI में दर्शाया गया है। अलग-अलग राज्यों में अनु० जाति और अनु० जनजाति और हर राज्य में अलग-अलग जातियों तथा जनजातियों के भी नामांकन में बहुत अधिक अंतर है।

3.13 **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश** और **दादरा और नागर हवेली** में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। **बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश** और **अंडमान नीकोबार द्वीप समूह** में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के संबंध में यह स्थिति असंतोषजनक है। तथापि, नामांकन अनुपात के रूप में नामांकन रिपोर्टिंग की पद्धति से साफ तस्वीर सामने नहीं आती है। यदि शिक्षा संबंधी आंकड़े इस प्रकार इकट्ठे किए जाएं कि पात्र आयु-वर्ग (6-11) से कम और इससे अधिक के आयु-वर्ग के बच्चों की संख्या अलग-अलग बताई जा सके तो यह बेहतर होगा ताकि 6-11 आयु-वर्ग के बच्चों की वास्तविक संख्या का पता चल सके।

प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ना

3.14 विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने वाले बच्चों की संख्या की जांच करना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रदत्त सुविधाओं से हुई वास्तविक उपलब्धियों का पता चलता है। कक्षा 1 से 11 में अधिक या बढ़ता हुआ नामांकन शिक्षा के मोर्चे पर प्राप्त उपलब्धियों का वास्तविक सूचक नहीं है। पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर नामांकन की सार्थकता का निर्णय किया जा सकता है। 1980-81 से 1988-89 तक के आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं—

सारणी 5*

वर्ष	सभी समुदाय के बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की दर			अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की दर			अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की दर		
	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक	प्राइमरी	मिडिल	माध्यमिक
1980-81	58.70	72.70	82.46	60.16	76.84	86.91	75.66	86.71	91.18
1981-82	53.50	72.10	82.33	59.21	74.76	85.72	74.00	84.99	91.65
1982-83	52.10	69.57	81.37	60.27	72.44	84.33	72.44	83.35	90.42
1983-84	50.26	69.76	79.71	57.84	72.36	82.92	70.63	83.74	89.59
1984-85	47.93	65.39	78.13	55.40	72.16	81.41	69.40	82.86	88.37
1985-86	47.61	64.42	77.62	52.53	72.50	81.36	65.56	81.86	88.82
1986-87	48.60	64.90	76.44	50.79	69.15	79.91	66.12	80.19	87.26
1987-88	46.97	62.29	75.30	51.38	68.81	81.98	65.21	80.01	87.62
1988-89	47.93	65.40	75.36	49.62	67.78	79.78	64.53	78.08	86.72

3.15 यह उत्साहवर्धक स्थिति है कि प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी हो रही है। लेकिन सभी समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर अभी भी चौंकाने वाली है।

3.16 वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जातियों के प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने और उसी श्रेणी के लड़के और

*स्रोतःएजूकेशन आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 1989-90 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (योजना, मॉनीटरन, सांख्यिकी प्रभाग) अनु० जाति और अनु० जनजाति प्रकोष्ठ, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993

लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने के प्रतिशत के संबंध में अनंतिम जानकारी संलग्नक 3.VII में दी गई है और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में इसी प्रकार की जानकारी संलग्नक 3.VIII में दी गई हैं।

3.17 उल्लेखनीय है कि मिडिल स्तर (कक्षा I से VIII) के अंत में पढ़ाई छोड़ने की एकत्रित दर प्राथमिक स्तर कक्षा I से V के अंत में पढ़ाई छोड़ने की दर से ज्यादा है तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा I से X) के अंत में पढ़ाई छोड़ने की एकत्रित दर माध्यमिक स्तर के अन्त में पढ़ाई छोड़ने की दर से अधिक है। जिन तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1989-90 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर क्रमशः सबसे ज्यादा और सबसे कम थी, वे निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई हैं—

सारणी 6

1989-90 के दौरान पढ़ाई छोड़ने की दर के अनुसार राज्यों का क्रम

अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
प्राथमिक स्तर (I-V)			**प्राथमिक स्तर (I-V)**		
1.	मणिपुर	81.03%	1.	उड़ीसा	76.19%
2.	बिहार	69.33%	2.	त्रिपुरा	73.91%
3.	सिक्किम	69.04%	3.	राजस्थान	73.08%
	भारत	**50.32%**		**भारत**	**66.66%**
4.	गुजरात	34.13%	4.	केरल	17.44%
5.	तमिलनाडु	25.92	5.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.36%
6.	केरल	0.50%	6.	लक्षद्वीप	0.00%
मिडिल स्तर (I-VIII)			**मिडिल स्तर (I-VIII)**		
1.	मणिपुर	85.48%	1.	त्रिपुरा	86.64%
2.	बिहार	85.04%	2.	आंध्र प्रदेश	86.42%
3.	सिक्किम	84.37%	3.	बिहार	86.33%
	भारत	**68.47%**		**भारत**	**81.40%**
4.	हिमाचल प्रदेश	36.44%	4.	लक्षद्वीप	45.53%
5.	केरल	17.37%	5.	हिमाचल प्रदेश	40.03%
6.	पांडिचेरी	5.45%	6.	केरल	35.68%
माध्यमिक स्तर (I-X)			**माध्यमिक स्तर (I-X)**		
1.	सिक्किम	92.51%	1.	पश्चिम बंगाल	92.47%
2.	पश्चिम बंगाल	90.01%	2.	मेघालय	92.28%
3.	बिहार	89.50%	3.	त्रिपुरा	91.56%
	भारत	**80.21%**		**भारत**	**88.25%**
4.	केरल	51.20%	4.	तमिलनाडु	58.60%
5.	मेघालय	50.00%	5.	मिज़ोरम	52.55%
6.	चंडीगढ़	21.03%	6.	उत्तर प्रदेश	46.31%

संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने तंत्र को चुस्त बनाना चाहिए और समस्त सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी संगठनों को इस अपव्यय को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। प्रत्येक समुदाय की रीति-नीति को ध्यान में रखकर शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक भाग ले सकें।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां

3.18 हाल के वर्षों में लगभग सभी राज्यों में मैट्रिक-पूर्व स्तर की छात्रवृत्तियों और वज़ीफे संबंधी कार्यक्रमों में काफी वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर शामिल बच्चों की संख्या उच्चतर माध्यमिक स्तर की संख्या से कहीं बेहतर है। मिडिल

और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। कई बच्चे जैस-तैसे प्राथमिक स्तर पार कर लेते हैं क्योंकि यह उनकी पहुंच में होता है। लेकिन अधिकांश जनजातीय बच्चे माध्यमिक स्तर पर विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि विद्यालय उनके घरों से बहुत दूर होते हैं। ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र होने तथा अधिक दूरी के कारण अनेक बच्चे इस स्तर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको मिलने वाली सहायता भी अपर्याप्त होती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि राज्यों को ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी जिस दिन से विद्यालय जाना शुरू करे उसे उसी दिन से सहायता मिले। प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तर पर समुचित संपर्क को भी मज़बूत किया जाना चाहिए।

अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

3.19 1977-78 में शुरू की गई स्कीम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना था ताकि शुष्क शौचालयों में मैला ढोने वाले, झाड़ू लगाने वाले ऐसे लोग जिनका मैला ढोने के पेशे से पारंपरिक संबंध हो, चमड़ा उतारने वाले और चर्मशोधक चर्मकारों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा की ओर आकृष्ट किया जा सके। राज्य सरकारों को निर्धारित दायित्व के अलावा 50:50 आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम में कुछ कमियां अंतर्निहित थीं इसलिए राज्य सरकारों की भी इस ओर सन्तोषजनक अनुक्रिया नहीं रही। 1 नवम्बर 1991 से स्कीम में कुछ संशोधन किया गया है और उसके बाद योजना में कक्षा I से X तक में दिन में पढ़ने वाले बच्चे शामिल किए जाते हैं और उन्हें ग्रेड के अनुसार छात्रवृत्तियां मिलती हैं अर्थात् कक्षा I से V तक 25/- रु० प्रतिमाह, कक्षा VI से VIII तक 40/- रु० प्रतिमाह तथा कक्षा IX और X के लिए 50/- रु० प्रतिमाह। संशोधित स्कीम में छात्रावास में रहने वाले कक्षा III से X तक के बच्चे शामिल हैं। III से VIII के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 200/- रु० और कक्षा IX तथा X के विद्यार्थियों को 250/- रु० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। दिन में पढ़ने वाले तथा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को वर्ष में 10 माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। संशोधन से पहले वाली योजना में छात्रावास में रहने वाले केवल कक्षा VI से X तक के बच्चे ही शामिल किए जाते थे। संशोधित स्कीम के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी 500/- रु० का तदर्थ वार्षिक अनुदान देने का भी प्रावधान है चाहे वे दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या छात्रावास में रहने वाले। माता-पिता की आय-सीमा बढ़ाकर 1,500/- रु० प्रतिमाह कर दी गई है। वर्ष 1992-93 में स्कीम के अंतर्गत 11 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था जिसमें से 6.39 करोड़ रु० वर्ष के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को दे दिए गए। वर्ष 1991-92 में इस स्कीम में शामिल बच्चों की संख्या 1.29 लाख थी जबकि 1992-93 में यह संख्या 1.44 लाख हो गई।

3.20 यह स्कीम अच्छी है और उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों की सहायता कर सकती है। आठवीं योजना के अंत तक मनुष्य द्वारा मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के घोषित कार्यक्रम के कारण इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। मालूम होता है कि इस अस्वच्छ पेशे में लगे अनेक परिवारों को इस स्कीम की जानकारी नहीं है। इसे व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाना चाहिए और ऐसे अस्वच्छ पेशे में लगे माता-पिताओं को अपने-अपने बच्चों को विद्यालय भेजने तथा स्कीम का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

3.21 अ०जा०/अ०ज०जा० के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम अत्यंत महत्वपूर्ण स्कीम है, जो पूरी तरह भारत सरकार से सहायता प्राप्त है। यह स्कीम 1944-45 में शुरू की गई थी। इसे शुरू किए जाने के पहले वर्ष में अनुसूचित जातियों के केवल 114 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई। 1948-49 में छात्रवृत्ति पाने वाले जनजातीय बच्चों की संख्या 89 थी। इन दोनों श्रेणियों के छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1991-92 में 14,97,059 और 1992-93 में 16,80,178 हो गई। यह स्कीम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार विद्यार्थियों को उन राज्यों के जरिए छात्रवृत्तियां मिलती हैं, जिनके वे निवासी होते हैं भले ही वे किसी भी जगह अध्ययन क्यों न कर रहे हों।

3.22 स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक योजना के अंतिम वर्ष तक हुए व्यय की प्रतिबद्ध ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है और व्यय उन्हें अपनी-अपनी निधि में से ही वहन करना होता है। केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेवारी प्रतिबद्ध देयता के अलावा अनुदान स्वीकृत कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना है। सातवीं योजना के अंत में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिबद्ध देयता 144.90 करोड़ रु० थी। 1992-93 में राज्यों को 54.19 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई।

3.23 स्कीम की सफलता समस्त पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने तथा निधि को अन्य योजनाओं में लगाने से रोकने पर निर्भर करती है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1991 में किए गए अपने अध्ययन में राशियों के वितरण को कारगर बनाने के लिए अनेक उपाय सुझाए थे। अध्ययन की एक मुख्य सिफ़ारिश यह थी कि राशियों का वितरण बैंक के जरिए किया जाए लेकिन मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बैंकों के जरिए धन के वितरण में काफ़ी कठिनाई होने की सूचना दी है। संवितरण प्रक्रिया को तुरंत सरल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक हल यह हो सकता है कि ज़िला स्तर पर ही आवेदनों के प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) को कंप्यूटरीकृत किया जाए। इससे बोगस/दुबारा भुगतान करने की संभावना कम होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय सहायता का उपयोग केवल मौजूदा दरों पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए किया जाए, किसी अन्य योजना के लिए नहीं। मैट्रिक के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा

वज़ीफ़ों की दरों और पात्रता निर्धारित करने के लिए माता-पिता के आय स्तर का सम्यक् अवलोकन किया जाए। पिछली बार ये दरें 1989 में संशोधित की गई थीं। नई दर मूल्य सूचकांक से जुड़ी होनी चाहिए। छात्रवृत्तियों और वज़ीफ़े की दरों में वृद्धि होने से बढ़ते मूल्यों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में राशि मिल जाए।

बुक बैंक

3.24 इस स्कीम का उद्देश्य मेडिकल और इंजीनियरी डिग्री कोर्स करने वाले अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के छात्रों को जरूरी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना है। वर्ष 1978-79 से इस स्कीम की शुरूआत की गई थी। कृषि, पशु-चिकित्सा और पॉलिटेक्नीक पाठ्यक्रमों को भी अब इस स्कीम में शामिल कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत दो विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से पाठ्य पुस्तकों का एक सेट दिया जाता है।

3.25 वर्ष 1991-92 में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के 24,245 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 56.26 लाख रुपए की राशि दी गई थी। वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यों के 11,582 विद्यार्थियों के लिए 67.32 लाख रु॰ की राशि दी गई।

3.26 इस स्कीम के पर्याप्त विस्तार की गुंजाइश है। कल्याण मंत्रालय के पास इसके लिए प्रचुर मात्रा में राशि उपलब्ध होती है लेकिन राज्य सरकारों से समय पर पूर्व प्रस्ताव न मिलने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। पता चला है कि **असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल** की सरकारों ने वर्ष 1992-93 के दौरान अपने पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए। कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को पूर्ण प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने चाहिए।

अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰ के विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों के लिए विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप)

3.27 भारत सरकार ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, विमुक्त जातियां तथा खानाबदोश/अर्ध-खानाबदोश समुदायों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान कार्य के लिए, जिसके लिए भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति देने के लिए वर्ष 1954-55 में यह स्कीम शुरू की थी। अब धर्म-परिवर्तित अनु॰ जाति और भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों के बच्चों तथा पारंपरिक कारीगरों को भी इसका लाभ दिया जाता है। फिलहाल हर वर्ष 30 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अलावा नौ यात्रा-व्यय अनुदान देने का भी प्रावधान है। 1992-93 से अब तक 465 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिल चुकी है।

अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की लड़कियों के लिए छात्रावास

3.28 अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की लड़कियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित छात्रावास स्कीम तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की मिडिल और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनु॰ जाति औन अनु॰ जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 50:50 के आधार पर सहायता दी जाती है। एक छात्रावास में 100 छात्राएं ठहर सकती हैं, जिनमें से 10% छात्राएं ग़ैर-अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ की हो सकती हैं। छात्रावासों के रख-रखाव का खर्च राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।

अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लड़कों के लिए छात्रावास

3.29 अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लड़कों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित छात्रावास स्कीम की शुरूआत बालिका छात्रावास के पैटर्न पर 1989-90 में की गई थी। इन वंचित तबकों के शैक्षिक उत्थान के लिए ये दोनों ही योजनाएं बहुत उपयोगी हैं। पहले यह देखा गया था कि इन दोनों स्कीमों का नियमित रूप से अनुवीक्षण और मूल्यांकन न तो राज्य सरकारों द्वारा किया गया था और न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा। लेकिन लगभग सभी राज्यों में इन छात्रावासों की हालत सामान्यतः असंतोषजनक है। चूंकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं इसलिए यह ज़रूरी है कि इनके कार्यों का नियमित अनुवीक्षण और समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए ताकि कमियों का पता लगाया जा सके और इनके कार्य में सुधार के लिए ज़रूरी उपाय किए जा सकें। राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कभी भी नए छात्रावास खोले जाएं अथवा मौजूदा छात्रावासों का विस्तार किया जाए तो वे केवल अ॰जा॰ अथवा अ॰ज॰जा॰ के लिए ही नहीं होने चाहिए। प्रत्येक छात्रावास में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ दोनों के विद्यार्थियों के अलावा कुछ ग़ैर-अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के विद्यार्थी भी होने चाहिएं।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश

3.30 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सभी विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को सभी शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% स्थान आरक्षित करने के दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। यह आरक्षण परस्पर परिवर्तनीय है अर्थात् यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो इनके स्थान पर अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को लिया जा सकता है तथा

यदि अनु॰ जाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न हों तो अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया था कि यदि उनके लिए आरक्षित स्थान रिक्त रह जाएं तो अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवारों को अंकों में और छूट दी जा सकती है। यह उत्साहवर्धक बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने संवैधानिक वचनबद्धता का ध्यान दिलाते हुए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 21 जुलाई 1993 को अर्ध-शासकीय पत्र सं॰ एफ-8-3/93 (एससीटी) लिखा कि वे अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा का तेज़ी से शैक्षिक विकास सुनिश्चित करें जिससे कि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

3.31 चूंकि 1991 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा का प्रतिशत 15.47% और 7.85% से बढ़कर क्रमशः 16.33% और 8.08% हो गया है इसलिए यह सिफ़ारिश की जाती है कि विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में उनके लिए आरक्षित स्थानों में उसी अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को नए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष

3.32 संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने जनवरी 1979 में अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ कक्ष की स्थापना की और अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा से संबंधित आरक्षण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए इसका विस्तार किया गया। यह इस कक्ष की जिम्मेवारी है कि वह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णयों को परिचालित करे तथा आरक्षण के माध्यम से अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम-वार प्रवेश की वास्तविक स्थिति का नियमित रूप से पता लगाए और अनुवर्ती कार्रवाई करे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में इन दो वंचित तबकों को वास्तव में दिए गए प्रवेश से संबंधित पिछली उपलब्ध जानकारी वर्ष 1979-80 से संबंधित है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के संबंध में नौ संकायों अर्थात् कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, मेडिसिन, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और विधि से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकत्र की गई जानकारी नीचे सारणी में दी गई है—

सारणी 7

वर्ष 1979-80 में संबद्ध कॉलेजों, विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में संयुक्त रूप से (भारत भर में) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के नामांकन की संकायवार स्थिति

क्र॰सं॰	संकाय	स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम			स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
		अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰
1.	कला	9.84	2.72	12.56	11.78	2.42	14.20
2.	विज्ञान	4.65	0.77	5.42	3.61	1.03	4.64
3.	वाणिज्य	4.92	1.46	6.37	6.11	1.40	7.51
4.	शिक्षा	7.12	1.46	8.59	3.49	2.30	5.79
5.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	6.30	1.43	7.73	1.56	0.01	1.57
6.	मेडिसिन	8.78	1.92	10.70	4.77	0.71	5.48
7.	कृषि	7.74	1.19	8.93	4.06	0.53	4.59
8.	पशुचिकित्सा विज्ञान	7.87	1.68	9.55	1.69	—	1.69
9.	विधि	6.79	2.02	8.81	5.33	1.31	6.64
10.	अन्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5.01	1.04	6.05

3.33 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि आरक्षण के आधार पर अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के विद्यार्थियों को वास्तव में दिए गए प्रवेश की संख्या हर संकाय में अलग-अलग है। यह देखा गया है कि निर्धारित मानदंडों में छूट देने के बावजूद अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा पास करने में कठिनाई महसूस करते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने में सहायता करने के लिए उनके लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए ज़रूरी उपाय करने की नितांत आवश्यकता है। अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिडिल और माध्यमिक स्तर पर चुन लेना चाहिए तथा उन्हें विशेष कोचिंग देकर तैयार करना चाहिए।

3.34 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को अ०जा० और अ०ज०जा० के शैक्षिक विकास से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की कमियों का पता लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अ०जा०/अ०ज०जा० कक्ष 1979-80 के बाद में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के आंकड़ों को सारणीबद्ध नहीं कर पायी है। निर्धारित प्रपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवश्यक जानकारी देने में विश्वविद्यालय और कॉलेज बहुत समय लेते हैं। सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आंकड़े प्रस्तुत करने में विलंब नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय में विशेष कक्ष बनाए जाने चाहिए ताकि देश के नीति निर्माताओं और योजनाकारों को समय पर वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें।

संलग्नक 3.I

साक्षरता दर 1991

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
आन्ध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
अरूणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.62	34.45	44.00	24.94
असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
बिहार	38.48	52.49	22.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
गोवा	75.51	83.64	67.09	58.73	61.55	47.51	42.91	54.43	29.01
गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
हरियाणा	55.85	69.10	40.47	39.22	52.06	24.15	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
जम्मू एवं काश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	23.57
केरल	89.81	93.62	86.13	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24.03
मणिपुर	59.89	71.63	47.60	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
मेघालय	49.10	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	49.78	43.63
मिज़ोरम	82.27	85.61	78.60	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
नागालैण्ड	61.65	67.62	54.75	—	—	—	60.59	66.27	54.51
उड़ीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	20.74	22.31	34.44	10.21
पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	49.82	31.03	—	—	—
राजस्थान	38.55	54.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
सिक्किम	56.94	65.74	46.69	51.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
उत्तर प्रेदश	41.60	55.73	25.31	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.28	40.07	14.98
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.02	78.99	65.46	—	—	—	56.62	64.16	48.74
चण्डीगढ़	77.81	82.04	72.34	55.44	64.74	43.54	—	—	—
दादरा और नागर हवेली	40.71	53.56	26.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
दमन और दीव	71.20	82.66	59.40	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	41.49
दिल्ली	75.29	82.01	66.99	57.60	68.77	43.82	—	—	—
लक्षद्वीप	81.78	90.18	72.89	—	—	—	80.58	89.50	71.72
पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63	56.26	66.10	46.28	—	—	—
भारत	52.19	64.20	39.19	37.41	49.91	23.76	29.60	40.65	18.19

स्रोतः भारत की जनगणना 1991, कुल आबादी (1992 का पत्र 2) जम्मू और काश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

संलग्नक 3.II

1991 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता की दर—घटते हुए क्रम में

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अनुसूचित जातियों की साक्षरता की दर
1.	केरल	79.66
2.	दमण और दीव	79.18
3.	मिज़ोरम	77.92
4.	दादरा और नागर हवेली	77.64
5.	गुजरात	61.07
6.	गोवा	58.73
7.	दिल्ली	57.60
8.	अरूणाचल प्रदेश	57.27
9.	त्रिपुरा	56.66
10.	महाराष्ट्र	56.46
11.	मणिपुर	56.44
12.	पांडिचेरी	56.26
13.	चंडीगढ़	55.44
14.	असम	53.94
15.	हिमाचल प्रदेश	53.20
16.	सिक्किम	51.03
17.	तमिलनाडु	46.74
18.	मेघालय	44.27
19.	पश्चिम बंगाल	42.21
20.	पंजाब	41.00
21.	हरियाणा	39.22
22.	कर्नाटक	38.06
23.	उड़ीसा	36.78
24.	मध्य प्रदेश	35.08
25.	आन्ध्र प्रदेश	31.59
26.	उत्तर प्रदेश	26.85
27.	राजस्थान	26.29
28.	बिहार	19.49
29.	जम्मू और काश्मीर ∅	—
30.	नागालैंड*	—
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह *	—
32.	लक्षद्वीप *	—
	भारत	37.41

* अनुसूचित जनजातियों की आबादी नहीं है।

∅ जम्मू और काश्मीर में जनगणना नहीं हुई।

संलग्नक 3.III

1991 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर—घटते हुए क्रम में

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता की दर
1.	मिज़ोरम	82.71
2.	लक्षद्वीप	80.58
3.	नागालैंड	60.59
4.	सिक्किम	59.01
5.	केरल	57.22
6.	अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह	56.62
7.	मणिपुर	53.63
8.	दमण और दीव	52.91
9.	असम	49.16
10.	हिमाचल प्रदेश	47.09
11.	मेघालय	46.71
12.	गोवा	42.97
13.	त्रिपुरा	40.37
14.	महाराष्ट्र	36.79
15.	गुजरात	36.45
16.	कर्नाटक	36.01
17.	उत्तर प्रदेश	35.70
18.	अरूणाचल प्रदेश	34.45
19.	दादरा और नागर हवेली	28.21
20.	तमिलनाडु	27.89
21.	पश्चिम बंगाल	27.28
22.	बिहार	26.78
23.	उड़ीसा	22.31
24.	मध्य प्रदेश	21.54
25.	राजस्थान	19.44
26.	आन्ध्र प्रदेश	17.16
27.	हरियाणा *	—
28.	पंजाब *	—
29.	चण्डीगढ़ *	—
30.	दिल्ली *	—
31.	पांडिचेरी *	—
32.	जम्मू और काश्मीर ∅	—
	भारत	29.60

* अनुसूचित जनजातियों की आबादी नहीं है।

∅ जम्मू और काश्मीर में जनगणना नहीं हुई।

संलग्नक 3.IV

1981 की जनगणना में 2% से कम जनजातीय महिला साक्षरता दर वाले ज़िले

क्र०सं०	राज्य	ज़िला	साक्षरता की दर
1.	आन्ध्र प्रदेश	निज़ामाबाद	0.73
		महबूब नगर	1.19
		मेडक	1.31
		आदिलाबाद	1.62
		करीमनगर	1.61
		वारंगल	1.39
		नलगोंडा	1.02
2.	बिहार	पश्चिम चंपारन	1.21
		पूर्णिया	2.00
3.	गुजरात	बनासकांठा	1.84
		कच्छ	1.44
4.	मध्य प्रदेश	मुरैना	0.46
		शिवपुरी	0.20
		गुना	0.25
		छतरपुर	0.39
		पन्ना	0.77
		सतना	0.62
		रीवा	0.43
		सीढ़ी	0.54
		रतलाम	0.99
		देवास	0.87
		राजगढ़	0.94
		शहडोल	1.34
		झाबुआ	1.65
		धार	1.19
		पश्चिमी निमाड़	1.82
		पूर्वी निमाड़	1.93
		सिहोर	1.05
		रायसेन	1.32
5.	उड़ीसा	कोरापुट	1.65

क्र०सं०	राज्य	ज़िला	साक्षरता की दर
6.	राजस्थान	टोंक	0.67
		पाली	0.45
		जालौर	0.09
		सिरोही	0.58
		भीलवाड़ा	0.45
		उदयपुर	0.68
		चित्तौड़गढ़	0.46
		बूंदी	0.91
		अलवर	1.54
		सवाई माधोपुर	1.35
		जयपुर	1.67
		डूंगरपुर	1.31
		बांसवाड़ा	1.07
		झालावाड़	1.57
7.	उत्तर प्रदेश	खेरी	0.70
		बहराइच	0.61
		गोंडा	0.32
8.	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी केमंग	1.01

संलग्नक 3.V

अनुसूचित जातियों के छात्रों का नामांकन अनुपात 1992-93

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कक्षा I-V (6-11 वर्ष)			कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	162.74	128.92	146.05	79.85	45.76	62.98
अरूणांचल प्रदेश	29.55	13.96	21.71	1.59	0.81	1.21
असम	245.87	207.30	227.09	145.54	127.10	136.59
बिहार	100.15	43.72	72.42	37.65	11.31	24.61
गोवा	127.11	109.78	118.43	82.33	57.36	69.82
गुजरात	197.99	157.63	178.20	117.51	70.40	94.40
हरियाणा	110.82	94.32	102.79	66.63	40.70	54.29
हिमाचल प्रदेश	133.28	112.61	122.95	99.25	68.21	83.79
जम्मू और काश्मीर@	×08.44	81.55	95.30	83.60	63.48	73.83
कर्नाटक	143.55	119.80	131.97	69.63	45.72	57.89
केरल	112.66	109.74	111.22	118.12	114.98	116.58
मध्य प्रदेश	121.63	88.78	105.80	92.26	27.57	60.96
महाराष्ट्र	304.41	263.29	284.18	181.93	125.93	154.72
मणिपुर	137.47	148.83	142.94	78.77	74.72	76.78
मेघालय	282.23	227.57	254.88	225.85	148.98	186.92
मिज़ोरम*	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड*	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	162.93	109.57	136.99	74.26	46.81	60.78
पंजाब	141.14	121.87	131.88	68.08	49.33	59.15
राजस्थान	102.37	40.85	72.46	62.70	13.38	38.78
सिक्किम	126.42	114.28	120.42	42.12	40.61	41.39
तमिलनाडु	157.95	137.11	147.78	111.87	85.48	98.95
त्रिपुरा	170.53	146.61	158.70	100.76	74.60	87.99
उत्तर प्रदेश	85.85	40.27	64.21	52.63	15.21	35.07
पश्चिम बंगाल	140.65	125.59	133.27	83.01	77.31	80.19
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	119.13	107.67	113.68	76.63	73.97	75.40
दादरा और नागर हवेली	89.71	88.06	88.92	77.00	62.02	69.82
दमण और दीव	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	112.95	99.92	106.93	73.15	62.50	68.31
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	179.54	188.21	183.83	172.75	161.72	167.28
भारत	127.99	92.18	110.58	75.07	44.04	59.97

*अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं।

@ जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी।

संलग्नक 3.VI

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन अनुपात 1992-93

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कक्षा I-V (6-11 वर्ष)			कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	160.89	106.62	134.12	57.46	25.81	41.80
अरूणाचल प्रदेश	130.87	92.68	111.67	53.51	33.06	43.39
असम	149.98	128.43	139.49	73.44	60.57	67.19
बिहार	103.57	68.09	86.13	39.88	20.92	30.49
गोवा	13.58	10.67	12.12	5.10	2.14	3.62
गुजरात	154.21	113.81	134.41	66.27	38.25	52.52
हरियाणा*	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	122.20	94.20	108.20	95.28	51.79	73.62
जम्मू-काश्मीर@	-	—	—	—	—	—
कर्नाटक	136.68	111.18	124.24	60.06	38.71	49.58
केरल	130.67	124.53	127.66	90.87	89.81	90.35
मध्य प्रदेश	93.25	59.40	76.93	44.37	15.13	30.22
महाराष्ट्र	151.18	119.54	135.62	64.68	39.14	52.27
मणिपुर	149.66	133.78	142.01	53.85	44.09	49.04
मेघालय	84.16	78.36	81.26	39.33	35.39	37.33
मिज़ोरम	147.07	141.72	144.47	80.16	75.08	77.67
नागालैण्ड	106.50	98.18	102.41	69.35	68.41	68.89
उड़ीसा	130.69	65.22	98.86	48.12	20.98	34.78
पँजाब*	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	107.58	38.53	74.00	62.16	8.25	36.01
सिक्किम	114.07	102.87	108.53	51.26	49.26	50.29
तमिलनाडु	131.08	104.39	118.05	75.97	52.75	64.61
त्रिपुरा	174.69	130.26	152.72	100.41	52.78	77.17
उत्तर प्रदेश	97.47	60.16	79.75	56.83	22.70	40.69
पश्चिम बंगाल	134.92	133.08	134.02	93.10	79.25	86.25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	67.39	56.24	61.61	57.94	49.28	53.68
चण्डीगढ़*	—	—	—	—	—	—
दादरा और नागर हवेली	123.55	83.05	104.26	52.85	29.29	41.55
दमण और दीव	—	—	—	—	—	—
दिल्ली*	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	173.74	145.70	159.72	144.13	109.65	127.45
पांडिचेरी*	—	—	—	—	—	—
भारत	126.71	88.64	108.19	58.54	32.04	45.64

* अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं हैं।
@ जम्मू-कश्मीर मे जनगणना नहीं हुई।

संलग्नक 3.VII

पढ़ाई छोड़ने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या—1989-90 (अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	प्राथमिक (I—V)			मिडिल (I—VIII)			माध्यमिक (I—X)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
आन्ध्र प्रदेश∅	58.48	63.72	60.72	77.33	85.69	80.95	83.85	88.57	85.90
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
असम∅	64.00	66.43	65.07	57.73	54.78	56.49	62.44	66.43	64.13
बिहार	67.69	73.50	69.33	83.37	89.79	85.04	87.88	94.20	89.50
गोवा	39.27	32.06	36.02	55.52	65.68	60.28	79.26	85.57	81.30
गुजरात	24.95	45.55	34.13	50.40	70.34	59.11	66.50	79.78	72.21
हरियाणा	33.90	43.18	38.00	59.19	75.36	65.71	64.64	80.72	69.81
हिमाचल प्रदेश	36.29	36.50	36.39	32.27	41.88	36.44	67.02	76.81	71.12
जम्मू और काश्मीर	39.27	30.39	35.84	50.07	52.73	51.08	77.86	82.32	79.52
कर्नाटक	51.05	59.59	54.90	62.11	73.77	67.08	73.63	84.60	78.45
केरल	—	1.78	0.50	19.04	15.60	17.37	54.47	47.76	51.20
मध्य प्रदेश	36.31	52.37	42.41	62.34	79.40	67.78	75.11	86.91	78.48
महाराष्ट्र	38.54	51.58	44.60	52.90	69.77	60.54	67.91	81.16	73.82
मणिपुर	79.86	82.21	81.03	84.89	86.07	85.48	82.14	82.69	82.42
मेघालय	33.13	41.88	37.46	27.86	51.85	39.64	34.62	66.39	50.00
मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा∅	50.53	54.54	52.10	72.30	80.25	75.35	78.16	86.34	81.33
पंजाब	36.32	41.59	38.79	63.36	70.56	66.52	78.88	85.96	82.12
राजस्थान	60.42	74.37	63.89	69.53	83.53	72.18	80.82	92.39	82.96
सिक्किम	70.00	67.85	69.04	84.96	83.67	84.37	91.62	93.60	92.51
तमिलनाडु	22.56	22.68	25.92	51.04	53.14	51.97	74.75	82.69	78.31
त्रिपुरा	58.21	63.09	60.47	75.87	81.84	78.60	86.88	90.20	88.39
उत्तर प्रदेश	32.89	51.69	38.86	57.92	69.52	60.87	66.97	84.97	71.57
पश्चिम बंगाल∅	53.94	66.52	59.45	76.68	82.46	78.94	89.28	91.30	90.01
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	27.17	14.23	21.03
दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दमण और दीव*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	33.74	35.74	34.47	47.68	58.61	52.79	54.06	74.25	63.71
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	11.96	5.45	69.92	75.32	72.42
भारत	47.23	55.01	50.32	65.06	74.08	68.47	77.34	85.11	80.21

*गोवा में शामिल है।

∅ये आंकड़े 1988-89 के हैं।

संलग्नक 3. VIII

पढ़ाई छोड़ने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या—1989-90 (अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	प्राथमिक (I—V)			मिडिल (I—VIII)			माध्यमिक (I—X)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
आन्ध्र प्रदेश∅	63.70	68.97	65.66	84.21	90.14	86.42	88.83	92.77	90.34
अरुणाचल प्रदेश	63.47	59.43	61.98	78.52	77.90	78.30	81.97	88.10	84.06
असम∅	71.90	70.71	71.40	66.06	68.17	66.95	56.15	77.21	68.18
बिहार	70.78	70.93	70.83	85.67	87.57	86.33	90.89	92.72	91.51
गोवा	28.99	19.80	24.72	63.50	71.88	67.36	73.58	87.32	79.57
गुजरात	54.03	66.62	59.48	76.17	82.62	78.88	85.34	89.14	86.90
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	30.59	34.53	32.23	36.58	45.89	40.03	67.93	70.41	68.79
जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	47.97	50.69	49.13	56.82	66.68	61.09	72.90	77.23	74.46
केरल	18.88	15.88	17.44	36.28	35.30	35.68	70.14	65.86	68.12
मध्य प्रदेश	48.38	60.36	52.82	75.57	84.14	78.61	83.74	91.81	86.14
महाराष्ट्र	56.99	66.52	61.07	73.14	82.44	76.98	81.56	89.50	84.74
मणिपुर	77.54	78.43	71.95	84.76	85.79	85.23	85.44	87.24	86.26
मेघालय	40.07	55.34	47.24	72.78	72.98	72.87	91.47	93.14	92.28
मिज़ोरम	49.56	49.20	49.39	61.99	59.78	60.92	52.47	52.63	52.55
नागालैण्ड	34.75	43.54	39.00	70.71	64.85	68.15	75.97	73.87	75.10
उड़ीसा∅	75.41	77.74	76.19	83.99	85.72	84.59	87.34	92.69	89.23
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	69.76	83.15	73.08	74.74	90.17	77.65	84.93	94.30	86.45
सिक्किम	62.87	50.46	57.73	71.26	65.41	68.70	85.52	86.81	86.07
तमिलनाडु	38.35	49.10	43.29	57.65	66.11	61.31	57.52	60.30	58.60
त्रिपुरा	71.97	76.53	73.91	85.55	88.19	86.64	90.47	93.24	91.56
उत्तर प्रदेश	17.22	59.64	34.17	47.73	74.11	55.59	33.49	78.84	46.31
पश्चिम बंगाल∅	63.76	67.55	65.03	83.27	87.03	84.39	92.35	92.74	92.47
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.73	19.77	12.36	49.44	47.88	48.73	55.23	62.58	58.57
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दादरा और नागर हवेली	37.97	64.90	50.34	68.29	77.04	71.75	84.32	89.28	86.45
दमण दीव*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	6.56	0.00	41.03	50.62	45.53	75.15	81.85	78.34
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
भारत	64.51	70.17	66.66	79.39	84.87	81.40	86.73	90.99	88.25

*गोआ में शामिल है।

∅ये आंकड़े 1988-89 के हैं।

अध्याय 4

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

जब से भारत ने सुनियोजित विकास के युग में प्रवेश किया, तब से ग़रीबी उन्मूलन हमारी योजनाओं का प्रमुख मुद्दा रहा है। लेकिन प्राइवेट और विदेशी निवेशों के लिए अधिकाधिक अवसर देने से हमारी अर्थव्यवस्था में आए विभिन्न परिवर्तनों के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए खतरा पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। खुली प्रतियोगिता की स्थिति में, विकास कार्यों से होने वाले लाभों में अपना न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने में वे समर्थ नहीं हैं।

4.2 भारत में प्रत्येक चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या तो अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का है। अ०जा० और अ०ज०जा० में काफ़ी अधिक संख्या में गरीब लोग हैं, अतः इन वर्गों को कुछ योजना स्कीमों का केन्द्र बनाना होगा। जबकि अनुसूचित जाति के लोग सामान्यतः पूरे देश में फैले हुए हैं, अनुसूचित जनजातियां अधिकतर कुछ ही क्षेत्रों और पॉकेटों में संकेन्द्रित हैं। अ०जा० और अ०ज०जा० में शिक्षा के निम्न स्तर, स्रोतों के आधार की कमी, तकनीकी कुशलता और उद्यमी क्षमता में कमी होने के कारण सरकार पर उनके हितों की रक्षा करने और उनके विकास के संबंध में कार्य करने का दायित्व और अधिक बढ़ गया है।

4.3 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के क्रमशः 13.82 करोड़ और 6.77 करोड़ व्यक्ति हैं और यह 83.85 करोड़ की कुल जनसंख्या (जम्मू और काश्मीर को छोड़कर) का क्रमशः 16.48% और 8.08% भाग है। 1991 की जनगणना में, राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, संलग्नक 4.I में देखी जा सकती है। **पंजाब** (28.3%), **हिमाचल प्रदेश** (25.34%), **पश्चिम बंगाल** (23.62%) और **उत्तर प्रदेश** (21.05%) में 20% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। नौ राज्यों अर्थात् **आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश** और **पश्चिम बंगाल** में देश के अनुसूचित जाति के 81.46% लोग रहते हैं। **अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर, वहां रहने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, **मध्य प्रदेश** (23.27%), **मणिपुर** (34.41%) **उड़ीसा** (22.21%), **सिक्किम** (22.36%) और **त्रिपुरा** (30.95%) ऐसे अन्य राज्य हैं, जहां भी अनुसूचित जनजातियों के लोग काफी संख्या में रहते हैं। **बिहार, मध्य प्रदेश** और **उड़ीसा,** इन तीनों प्रदेशों में, जहां देश की जनजातीय जनसंख्या का लगभग 42.9% रहता है, इनके आधिक्य को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 164 में यह व्यवस्था की गई है कि "जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा।

4.4 1981 और 1991 की जनगणना में ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० की जनसंख्या, अ०जा० और अ०ज०जा० की जनसंख्या में मुख्य कामगारों का प्रतिशत निम्नलिखित था—

	1981	**1991**
ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा०	31.97	32.81
अनुसूचित जातियां	36.12	36.08
अनुसूचित जनजातियां	42.54	42.02

1991 की जनगणना में अ०जा० और अ०ज०जा० के मुख्य कामगारों का "औद्योगिक वर्गीकरण" निम्नलिखित था (प्रतिशत में)—

	अ० जा०	**अ० ज० जा०**
I. कृषक	25.44	54.50
II. कृषि श्रमिक	49.06	32.69
III. गृह उद्योग	2.41	1.04
IV. अन्य कामगार	23.08	11.76

यह महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों के कृषकों में मुख्य कामगारों का प्रतिशत 1981 में 28.17% के मुक़ाबले 1991 में 25.44% तक कम हो गया। उनमें कृषि श्रमिकों का प्रतिशत भी 1981 में 48.22% से बढ़कर 1991 में 49.06% हो गया है। इन तथ्यों के कारणों के

लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, कृषकों का प्रतिशत 54.43% से 54.50% तक थोड़ा सा बढ़ा है और इसी अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों में यह प्रतिशत 32.67% से 32.69% तक बढ़ा है।

4.5 मुख्य कामगारों में, अनुसूचित जाति के 77.11% और अनुसूचित जनजाति के 90.03% मुख्य कामगार अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, इनमें कृषक, भूमिहीन श्रमिक तथा खनन, पत्थर खनन, पशुपालन, वानिकी, शिकार और बागान, उद्यानों और इनसे संबंधित कार्यों में लगे कामगार शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग से भिन्न निर्माण उद्योग तथा भवन निर्माण उद्योग आते हैं, इनमें 9.83% अनुसूचित जाति तथा 3.85 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कामगार लगे हुए हैं। तृतीयक क्षेत्र, जिसमें व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, भण्डारण, संचार और अन्य सेवाएं शामिल हैं, इनमें 13.06% अनुसूचित जाति और 6.12% अनुसूचित जनजाति के कामगार शामिल हैं। इस प्रकार के व्यवसायिक वर्गीकरण से यह पता चलता है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में, कुछ हद तक अनुसूचित जातियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, परन्तु जनजातीय अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों की भूमिका अभी भी अत्यधिक सीमित है। इसलिए, व्यावसायिक वर्गीकरण में, जिसका अभी तक प्राथमिक क्षेत्र की ओर झुकाव रहा है, परिवर्तन लाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। परन्तु, यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इन परिवर्तनों को स्वतंत्र लक्ष्य न मानकर, ऐसे समग्र आर्थिक विकास के परिणाम के रूप में किया जाए, जिससे संवेदनशील वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अवश्य लाभ हो।

4.6 प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित क्षेत्र को उसमें इस आशय से शामिल किया गया था कि इस क्षेत्र के अधीन बनाए गए कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को अलग से पूरा करेंगे। सामान्य विकासात्मक प्रयासों से इन समुदायों को मिलने वाले लाभ के अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों और योजनाओं की सहायता से इनके विकास की प्रक्रिया को और तेज़ करने का विचार था। परन्तु, इन कार्यक्रमों से जो आशा की गई थी वह वांछित स्तर तक पूरी नहीं हो पाई। इसलिए क्रमशः पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, नई नीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना और अनूसूचित जातियों के लिए विशेष काम्पोनेन्ट योजना प्रारंभ की गई।

जनजातीय उपयोजना

4.7 अब हमारी योजना प्रक्रिया में एक ऐसी प्रणाली स्थापित हो चुकी है जिसके अन्तर्गत राज्य योजना परिव्यय से निधियों से कुछ प्रतिशत का व्यय केवल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास पर किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। प्रारंभ में, जब पाचवीं योजना के दौरान जब जनजातीय उप योजना नीति अपनाई गई थी, तब ज्यादा जोर उस क्षेत्र के संरचनात्मक विकास पर दिया गया था, जहां बड़ी संख्या में जनजातियों के लोग रहते हैं। परन्तु, छठी योजना के बाद से परिवारोन्मुख दृष्टिकोण पर अधिक ज़ोर दिया गया है और उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सीधे लाभ पहुंचता है।

4.8 जनजातीय उपयोजना 18 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों यथा **आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमण और दीव** में कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय उपयोजना को अनेक एकीकृत ज़नजातीय विकास परियोजनाओं (आई॰टी॰डी॰पी॰एस॰) में बांटा गया है, जिनकी संख्या अभी 193 हैं। इसके अतिरिक्त 249 संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (एम॰ए॰डी॰ए॰) पॉकेट, एक स्थान पर अधिक संख्या में बसे जनजातीय लोगों के लिए 77 समूह और आदिम जनजातीय समूहों (पी॰टी॰जी॰) के लिए 74 माइक्रो परियोजनाएं भी हैं। चार पूर्वोत्तर राज्यों, यथा **अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम,** तथा **नागालैंड** में जनजातीय लोगों का बाहुल्य है। यह आशा की जाती है कि उनकी समग्र योजना का लाभ वहां जनजातियों को मिलेगा।

4.9 छठी योजना की अवधि के दौरान 3720.36 करोड़ रुपए की राशि को, जो राज्यों के कुल योजना परिव्यय का 8.78% है, जनजातीय उपयोजना के लिए अलग से रखा गया है। सातवीं योजना के दौरान राज्य योजनाओं से व्यय की जाने वाली निधियों को और बढ़ाया गया और वे कुल राज्य योजनाओं की 9.57% हो गई। आबंटन में यह वृद्धि अगली दो वार्षिक योजनाओं अर्थात् 1990-91 और 1991-92 में भी जारी रही हैं। इन वर्षों में जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य योजनाओं में से क्रमशः 9.6% और 10.3% निधियां प्राप्त हुई। आयोग को यह देखकर प्रसन्नता हुई है। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान आबंटन में यह वृद्धि बनी रही और 1992-93 में, जब 24611.65 करोड़ रुपए की कुल राज्य योजना परिव्यय की राशि में से जनजातीय उपयोजना के लिए 301994.74 करोड़ रु॰ की राशि रखी गई जो कि कुल परिव्यय का 12.3% थी।

4.10 पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय से, राज्य योजनाओं में से जनजातीय उपयोजना को दिए गए धन की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है—

सारणी 1

योजना	राज्य योजना निधि	जनजातीय उपयोजना को दिया गया धन	प्रतिशत
पांचवीं योजना	17692.48	759.33	4.29
छठी योजना	42390.60	3720.36	8.78
सातवीं योजना	73953.35	7076.81	9.57
वार्षिक योजना 1990-91	20818.64	1991.98	9.57
वार्षिक योजना 1991-92	24377.93	2504.64	10.27
वार्षिक योजना 1992-93	24611.65	3019.74	12.27

आयोग यह सिफ़ारिश करता है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, अपने योजना परिव्यय के विभाज्य घटक में जनजातीय उपयोजना के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जो केवल ज०जा० आबादी के अनुपात में ही न होकर, जनजातीय लोगों के अत्यधिक पिछड़ेपन और पहले विकास के लाभ से उनके वंचित रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी आबादी के प्रतिशत से अधिक अनुपात में की जानी चाहिए।

विशेष केन्द्रीय सहायता

4.11 जनजातीय उपयोजना के लिए धन प्रदान करने का एक अन्य स्रोत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०) है, जो कि भारत सरकार जनजातीय उपयोजना को लागू करने वाले राज्यों को राज्य सरकारों के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए देती है। विशेष केन्द्रीय सहायता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनुदान के रूप में आती है और यह आय उत्पादक योजनाओं पर तथा जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर खर्च करने के लिए दी जाती है। आयोग का विचार है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग पर बारीकी से निगरानी रखी जानी चाहिए। 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि नीचे दी गई है:—

सारणी 2

क्र०सं०	राज्य/संघ-क्षेत्र	राशि (लाख रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34
2.	असम	1077.61
3.	बिहार	3175.25
4.	गुजरात	1855.84
5.	हिमाचल प्रदेश	403.39
6.	जम्मू एवं कश्मीर	296.14
7.	कर्नाटक	327.42
8.	केरल	207.23
9.	मध्य प्रदेश	6785.01
10.	महाराष्ट्र	1815.21
11.	मणिपुर	383.41
12.	उड़ीसा	3378.03
13.	राजस्थान	1679.46
14.	सिक्किम	60.93
15.	तमिलनाडु	270.72
16.	त्रिपुरा	414.94
17.	उत्तर प्रदेश	58.40
18.	पश्चिम बंगाल	1171.67
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	86.13
20.	दमन एवं दीव	23.87
	कुल	25000.00

4.12 ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग पिछड़े हुए हैं। अज्ञानता, शिक्षा की कमी और अत्यधिक गरीबी के कारण ज़मीदारों, साहूकारों, ठेकेदारों द्वारा विभिन्न प्रकार से इनका शोषण होता रहा है। यदि उनकी संपदा के आधार को गलत तरीकों से नष्ट किया जाता रहा और उनके श्रम के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो जनजातीय लोगों के विकास के लिए अत्यधिक ईमानदारी से भी किए गए किसी प्रयास का उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। इस संदर्भ में सहकारी संस्थाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये न केवल वन्य उत्पादों के लिए जनजातियों के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित करती है, बल्कि ये विपणन के अतिरिक्त खपत और उत्पादन दोनों के लिए ऋण का स्रोत भी हैं।

4.13 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 1987 में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन (ट्राइफेड) की स्थापना की गई, जो राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित की गई बड़ी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्पस) के कार्य और प्रभाव को फिर से देखने की आवश्यकता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में साहूकारों, ठेकेदारों और व्यापारियों के शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है, जब इन क्षेत्रों में कोई ऐसी वैकल्पिक प्रणाली कार्य करे जो साहूकारों की प्रणाली की तरह नम्य और मज़बूत हो।

4.14 इस संदर्भ में राज्य जनजातीय विकास निगमों, वन विकास निगमों, लघु वन उत्पाद व्यापार एवं विकास फ़ेडरेशनों को लघु वन उत्पादों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए, 1992-93 में शुरू की गई स्कीम इस दिशा में एक सही कदम है। 1992-93 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों/वन विकास निगमों को 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक (कम्पोनेन्ट) योजना

4.15 अनुसूचित जातियों के अधिकांश व्यक्ति समाज के गरीब तबके के होते हैं। इसलिए उनके विकास का प्रमुख ध्येय उनकी आय को बढ़ाना होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, छठी योजना के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक (कम्पोनेन्ट) योजना की नीति अपनाई गई। छठी योजना के दौरान, 3614.66 करोड़ रुपए की राशि विशेष संघटक योजना के लिए अलग रखी गई जो कि विशेष संघटक योजना लागू करने वाले राज्यों के कुल राज्य योजना परिव्यय का 7.66% थी। परन्तु, इस अवधि के दौरान वास्तविक व्यय 2978.70 करोड़ रुपए का हुआ, जो कुल योजना का केवल 6.32% था। सातवीं योजना के दौरान, विशेष संघटक योजना के अधीन आबंटन की मात्रा को 7385.42 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया, जो कि कुल राज्य योजना परिव्यय का 8.27% था। सातवीं योजना की अवधि के दौरान, वास्तविक व्यय कुल योजना परिव्यय से कम हुआ और यह कुल राज्य योजना का 7.74% ही रहा।

4.16 1992-93, में 21 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र अपनी विशेष संघटक योजनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। 30366.15 करोड़ रुपए के कुल राज्य योजना परिव्यय में से 3091.53 करोड़ रुपए की राशि, विशेष संघटक योजना के अधीन रखी गई, परन्तु प्राप्त किया गया धन योजना के कुल खर्च का केवल 10% था। वर्ष के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा बताया गया व्यय 2562.80 करोड़ रुपए (82.90%) था। जैसी कि जनजातीय उपयोजना के संबंध में सिफ़ारिश की गई है। आयोग यह सिफ़ारिश करता है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेष संघटक योजना के लिए राज्य परिव्यय के विभाज्य घटक में व्यवस्था करनी चाहिए, जो केवल अ०जा० की जनसंख्या के अनुपात में न होकर, अ०जा० के आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन और पहले विकास से उनके वंचित रहने के तथ्य को देखते हुए उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात से अधिक हो। निम्नलिखित सारणी, पांचवीं योजना के बाद से, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की विशेष संघटक योजनाओं के अधीन योजना परिव्यय और व्यय दर्शाती है—

सारणी 3

(रुपए करोड़ में)

योजना अवधि	कुल राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	कॉलम 2 से 3 का प्रतिशत	वास्तविक व्यय	कॉलम 3 से 5 का प्रतिशत
VI योजना	47149.89	3614.66	7.66	2978.70	82.41
VII योजना	89322.89	7385.42	8.27	6916.62	93.65
वार्षिक योजना (1990-91)	23225.49	2377.82	10.23	2107.22	88.62
वार्षिक योजना (1991-92)	28041.04	3066.37	10.93	2936.45	95.76
वार्षिक योजना (1992-93)	30366.51	3091.53	10.18	2562.80	82.90

4.17 1992-93 के दौरान श्रम, मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं सहकारिता, ग्राम विकास आदि बहुत से मंत्रालयों ने अपनी वार्षिक योजनाओं से विशेष संघटक योजनाओं के लिए धन प्रदान किया। आयोग का सुझाव है कि सभी संबंधित मंत्रालयों / विभागों को वह निधि निर्धारित करनी चाहिए, जो प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाएगी और यह निर्धारण काल्पनिक न होकर वास्तविक होना चाहिए। निःसंदेह केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग, केन्द्रीय क्षेत्रों / केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को उचित परामर्श और विचार-विमर्श करके तैयार करेंगे।

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

4.18 विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम 1979-80 में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था से प्रारंभ हुई। विशेष संघटक योजना लागू करने वाले विभिन्नन्न राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रखे गए—

(I.) राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर — 40%

(II.) योजना में संयुक्त आर्थिक विकास कार्यक्रमों में आने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के प्रतिशत के आधार पर, उन्हें गरीबी रेखा को पार करने योग्य बनाने के लिए — 25%

(III.) राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र के अपेक्षाकृत पिछड़े होने के आधार पर — 10%

(IV.) राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसुचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में, वार्षिक राज्य सेवा योजना के लिए विशेष संघटक योजना के आधार पर — 10%

(V.) अनुसूचित जातियों के विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों जैसे, सफ़ाईकर्मियों, मैला ढोने वालों, बंधुआ मज़दूरों के लिए कार्यक्रमों के आधार पर — 10%

(VI.) पिछले वर्ष में विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन (निष्पादन) के आधार पर — 5%

4.19 1992-93 में, विभिन्न राज्यों के लिए, विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन 248.80 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई और आठवीं योजना अवधि के दौरान कुल आबंटन 1125 करोड़ रुपए है।

4.20 1992-93 में, प्रत्येक राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र को दी गई, विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है—

सारणी 4

(रुपए लाखों में)

क्र सं०	राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1937.61
2.	असम	189.44
3.	बिहार	2096.54
4.	गुजरात	908.53
5.	गोवा	2.64
6	हरियाणा	398.20
7.	हिमाचल प्रदेश	502.69
8.	जम्मू एवं काश्मीर	66.79
9.	कर्नाटक	1310.06
10.	केरल	502.74
11.	मध्य प्रदेश	1839.09
12.	महाराष्ट्र	1698.92
13.	मणिपुर	7.42
14.	उड़ीसा	1323.38
15.	पंजाब	625.32
16.	राजस्थान	1162.90
17.	सिक्किम	3.21
18.	तमिलनाडु	1911.34
19.	त्रिपुरा	57.38
20.	उत्तर प्रदेश	5495.07
21.	पश्चिम बंगाल	2669.54
22.	चंडीगढ़	9.44
23.	दिल्ली	148.60
24.	पांडिचेरी	13.15
	योग	24880.00

अनुसूचित जाति विकास निगम

4.21 अनुसूचित जाति विकास निगम 18 राज्यों तथा चार संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं। ये निगम अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा विकास के मामले में, विशेषकर उनके आर्थिक विकास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार इन निगमों में 49% तक शेयर पूंजी निवेश कर रही हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान निगम की योजनाओं के अंतर्गत 5.35 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। ये आंकड़े पिछले वर्ष (4.52 लाख) की तुलना में काफी अधिक है। कल्याण मंत्रालय ने इन निगमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की तथा यह अनुभव किया कि परियोजना लागत में संशोधन कर उसकी ऊपरी सीमा को, जो इस समय 35,000/- रु० है, बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आयोग का यह भी मत है कि उत्पादन लागत में वृद्धि को मद्देनजर रखते हुये, परियोजना लागत को उचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है।

4.22 बेंगलूर स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्नाटक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा लागू उद्योग, सेवा तथा कारोबार क्षेत्र की योजनाओं के प्रभावों पर हाल ही में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से यह पता चला है कि अधिकांश लाभार्थी परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत थे, जिसमें यात्री तथा माल वाहन देने का प्रावधान है तथा अधिकांश लाभार्थी अपनी आय में वृद्धि करने में सफल रहे थे। तथापि, महिलाओं तथा आई०टी०आई० या कोई व्यावसायिक योग्यता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या बहुत कम थी। इस अध्ययन ने और अधिक महिला आवेदकों का पता लगाने, निगम की योजनाओं का प्रचार करने आदि के संबंध में कुछ सुझाव भी दिये हैं।

4.23 निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही मार्जिन राशि योजना सर्वाधिक लोकप्रिय योजना है। लेकिन, यह योजना अधिकांशतः वाणिज्यिक बैंकों से वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऐसा देखा गया है कि यदि निगम द्वारा प्रायोजित की गयी कोई स्कीम/परियोजना शर्तों को पूरा नहीं करती है तो वित्त की व्यवस्था करने में बैंक रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिये यह वांछनीय है कि निगमों तथा बैंकों के बीच बेहतर समन्वय और आपसी विश्वास कायम हो। बैंकों की भागीदारी अधिक से अधिक हो इसके लिए एक तरीका तो यह है कि निगम की स्कीमें बनाते समय उन्हें विश्वास में लिया जाए। इससे बैंकों द्वारा उन प्रस्तावों को नामंजूर करने की संभावना समाप्त हो जाएगी जो निगम द्वारा एक बार बैंक को भेजे जाएंगे। इन निगमों का महत्व यह भी है कि वे न केवल गारंटीकर्त्ता और प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं बल्कि एक से अधिक एजेंसियों के साथ अनुबन्ध और क़रार भी करवाते हैं।

4.24 निगम की मौजूदा बोझिल प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जाना चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया में लगने वाली अवधि को कम से कम किया जाना चाहिए। इस प्रणाली में लगने वाली अवधि को कम से कम किया जाना चाहिए। इस प्रणाली में परियोजनाओं की नियमित निगरानी तथा मूल्यांकन और सरल और समय पर चुकौती की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में बड़ी संख्या में स्थापित हो रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को देखते हुए इस क्षेत्र में बेहतर समन्वित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है ताकि इन केन्द्रों से निकलने वाले प्रशिक्षित युवाओं को निगमों की स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किया जा सके।

ग़रीबी विरोधी कार्यक्रम

4.25 ग्रामीण विकास के संदर्भ में अनेक उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि संसद द्वारा संविधान (72वां संशोधन) विधेयक पारित करना है। पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि विकासात्मक प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सक्रिय रूप से भागीदारी से ग्रामीण विकास में तेज़ी आएगी। लोगों की भागीदारी, जो किसी भी आधुनिक विकासात्मक आयोजन का अनिवार्य अंग है, पंचायती राज्य संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

4.26 अधिकांश ग़रीबी हटाओ कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को रोज़गार देना तथा उनकी आय बढ़ाना है ताकि उनकी न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकें। इसके साथ-साथ सरकार का भी यह संयुक्त प्रयास है कि उनके कौशल को बढ़ाया जाये ताकि वे, विशेष रूप से युवा वर्ग परम्परागत व्यवसायों से बाहर निकल सकें। एक विस्तृत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1980 को पूरे देश में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सबसे ग़रीब परिवारों का पता लगाकर उन्हें उत्पादक परिसम्पत्ति और निवेश उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि वे ग़रीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। इसमें अ०जा० तथा अ०ज०जा० के परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 30% था, अप्रैल 1990 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। जहां छोटे किसानों को 25% सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों को 33⅓% आर्थिक सहायता दी जाती है, वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को 50% आर्थिक सहायता दी जाती है।

4.27 वर्ष 1992-93 में कार्यक्रम के अंतर्गत 18.75 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य था और यह संतोषजनक बात है कि इस अवधि के दौरान लक्ष्य से अधिक (110.33%) परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी। कुल परिवारों में से अ०जा० तथा अ०ज०जा० के क्रमशः 36.73% और 14.69% परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी।

निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान शामिल किए गए परिवारों को दर्शाया गया है—

सारणी 5

(संख्या लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	अ०जा०	प्रतिशतता	अ०ज०जा०	प्रतिशतता
1991-92	22.52	25.37	112.66	9.15	36.08	3.81	15.02
1992-93	18.75	20.69	110.33	7.60	36.73	3.04	14.69

4.28 भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन आदि अनेक संगठनों द्वारा किए गए मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन से लाभार्थियों की आय का स्तर बढ़ा है और इससे अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लोगों को अत्यधिक फ़ायदा पहुंचा है। समुचित संबंध बनाने, निवेश का स्तर बढ़ाने, बुनियादी विकास के क्षेत्र में ध्यान देने आदि जैसे बहुत सारे कार्य क्षेत्रों का भी पता लगाया जाता है।

4.29 तकनीकी तथा उद्यमी कौशल में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अगस्त 1979 में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में स्वरोज़गार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम (टी०आर०वाई० एस० ई०एम०) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में भी अ०जा० तथा अ०ज०जा० के 50% युवाओं को शामिल किया गया। छठी योजना के दौरान अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लाभार्थी 33% थे और तब से लेकर उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जैसे सातवीं योजना में 42%, वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की वार्षिक योजनाओं में क्रमशः 44% तथा 45%। वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए 2.76 लाख युवाओं में से 1.16 लाख (42%) युवा अ०जा० तथा अ०ज०जा० के थे। आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अ०जा० तथा अ०ज०जा० के अधिक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि योजना अवधि में 50% का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

4.30 ग्रामीण विकास के लिए रोज़गार बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बहुत सी स्कीमें लागू की गई हैं। अप्रैल 1989 से (सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष) रोजगार बढ़ाने वाले दो कार्यक्रमों (आर०एल०ई०जी०पी० तथा एन०आर०ई०पी०) को मिलाकर एकल ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम बना दिया गया था जिसे अब जवाहर रोज़गार योजना (ज०रो०यो०) के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के खर्च को केन्द्र तथा राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में बांटा जाता है। इस कार्यक्रम में अ०जा० तथा अ०ज०जा० और मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूरों को तरजीह दी जाती है। यह भी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक आबंटन का 15% ऐसे निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनका लाभ अ०जा० तथा अ०ज०जा० को सीधे पहुंचे। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त संसाधनों में से इन्दिरा आवास योजना तथा "मिलियन वेल्स स्कीम" के लिए क्रमशः 10% तथा 30% संसाधन अलग रखे गए हैं। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटन राशि का कम से कम 60% तथा मिलियन वेल्स स्कीम के अंतर्गत इस राशि का कम से कम 66⅔% अ०जा०/अ०ज०जा० पर व्यय करना अपेक्षित होगा। यह अच्छी बात है कि कार्यक्रम में लचीलापन होना है। आयोग का विचार है कि रोज़गार बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को कुछ और वर्षों तक, जब तक अ०ज० तथा अ०ज०जा० की आर्थिक स्थिति मज़बूत न हो जाए, सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए।

4.31 योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ऐसे दस राज्यों में जवाहर रोज़गार योजना का त्वरित अध्ययन किया था जहां 90% तक ग्रामीण ग़रीब लोग रहते हैं। अध्ययन से पता चला कि ग्राम पंचायतें एक व्यक्ति को वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 11.44 तथा 15.68 दिनों तक ही रोज़गार दे सकी जो कि बहुत ही कम था लेकिन अ०जा० तथा अ०ज०जा० के रोज़गार के श्रम दिवसों का अनुपात कुल श्रम दिवसों से 50% से अधिक था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ग्रामीण ग़रीब लोगों में अ०जा० तथा अ०ज०जा० का बहुत बड़ा समूह है, प्रश्न केवल यह नहीं है कि उनको शामिल करना सुनिश्चित किया जाए बल्कि प्रश्न यह है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार के और श्रम दिवस बढ़ाए जाएं। यह आयोग केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि वे ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में कार्यक्रम की महत्ता पर विचार करते हुए इस कार्यक्रम पर बड़ी सावधानीपूर्वक निगरानी रखें।

4.32 जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम इन्दिरा आवास योजना है। इस स्कीम के अन्तर्गत ग़रीब अ०जा०, अ०ज०जा० तथा मुक्त किए गए बन्धुआ मज़दूरों के लिए निःशुल्क आवास इकाइयों की व्यवस्था की जाती है। स्कीम की मुख्य विशेषता यह है कि आवास का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाता है। एक विकल्प के रूप में, आबंटित आवास इकाई पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर हो सकती है। वर्ष 1992-93 के दौरान 1.18 लाख आवास इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था और 1.93 लाख का लक्ष्य (163.5%) पूरा हुआ।

4.33 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने हाल ही में इन्दिरा आवास योजना का त्वरित अध्ययन किया था और बहुत से उपयोगी सुझाव दिये जिसमें खुली ग्राम सभा बैठक में लाभार्थियों का चयन, स्वैच्छिक संगठनों का शामिल होना, आवास इकाइयों का निर्माण करने में ठेकेदारों को अलग रखना, मज़दूरी घटक के हिस्से में बढ़ोतरी करना आदि शामिल हैं।

4.34 "मिलियन वेल्स स्कीम" के अंतर्गत अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰ तथा मुक्त हुये बंधुआ मज़दूरों, पता लगाए गए (आइडेन्टिफाइड) ग़रीबों, छोटे तथा सीमांत किसानों को मुफ़्त खुले सिंचाई कुंए उपलब्ध कराए जाते हैं। इस स्कीम को भी जवाहर रोज़गार योजना को एक घटक के रूप में लागू किया गया है। उच्चतम सीमा से अतिरिक्त भूमि को जनसंख्या के इन वर्गों में वितरित करने के सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण यह योजना अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वर्ष 1992-93 की अवधि के दौरान 53,404.63 लाख रुपये खर्च करके कुल 1,80,995 कुओं का निर्माण किया गया।

4.35 आयोग को यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि जवाहर रोज़गार योजना का देश के सभी ज़िलों में लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक घटक कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। अतः इस योजना की सफलता अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज़ करेगी।

मैला ढोने के पेश से मुक्ति तथा पुनःस्थापन की राष्ट्रीय योजना

4.36 मैला ढोने वालों को वैकल्पिक पेशा/व्यवसाय प्रदान करने के उद्देश्य से एक समयबद्ध कार्यक्रम पर कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पता लगाए गए (आइडेन्टिफाइड) मैला ढोने वालों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है तथा उसके बाद प्रशिक्षित मैला ढोने वालों को अपना कोई उद्यम लगाने के लिये आर्थिक सहायता तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1992-93 की अवधि के दौरान 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी तथा वास्तविक रूप में राज्य सरकारों को 60.73 करोड़ रुपये की राशि दी गयी। आशा की जाती है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार लाख मैला ढोने वालों को प्रशिक्षित किया जायेगा। चूंकि इस योजना की सफलता मुख्यतः देश में मैला ढोने वालों की पहचान करने पर निर्भर करती है, आयोग राज्य सरकारों से बिना किसी और देरी के सर्वेक्षण करने का आग्रह करता है जिससे कि आठवीं योजना के अंत तक मैला ढोने वालों को हाथ से मल को हटाने के अपने वंशानुगत अपमानजनक तथा अमानवीय कार्य से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाये।

भूमि तथा भू-सुधार

4.37 ज़मीन का स्वामित्व भूमिहीन लोगों को संपत्ति का आधार देने के अलावा सामाजिक दर्ज़ा भी प्रदान करता है। आयोग का विचार है कि अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के परिवारों को अतिरिक्त भूमि या हाल ही में प्राप्त भूमि या विकसित भूमि के आबंटन में प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। नीचे की सारणी मार्च 1993 तक अधिकतम भूमि सीमा क़ानून के लागू होने की प्रगति को बताती है—

सारणी 6

श्रेणी	एकड़ों में वितरित क्षेत्र	लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या
अ॰जा॰	1747588 (34.68%)	1751491 (36.05%)
अ॰ज॰जा॰	702676 (13.94%)	692266 (14.25%)
अन्य	2588610 (51.38%)	2414589 (49.70%)
कुल	5038874 (100.00)	4858346 (100.00)

4.38 उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ को देश में भूमि की उच्चतम सीमा से अतिरिक्त भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन जब अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ तथा दूसरों को वितरित औसत क्षेत्र की तुलना की गई तो यह ज्ञात हुआ कि अ॰जा॰ को 0.997 एकड़, अ॰ज॰जा॰ को 1.015 एकड़ तथा अन्य को 1.072 एकड़ औसत क्षेत्र वितरित किया गया। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उच्चतम सीमा से अधिशेष भूमि के वितरण के मामले में अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ का औसत हिस्सा अन्य की तुलना में कम है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि ग्रामीण गरीबों की जनसंख्या में इन वर्गों का अनुपात बहुत अधिक है। इस संबंध में आयोग सिफ़ारिश करता है कि अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ को अधिक अनुपात में क्षेत्र वितरित किया जाना चाहिए। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के शुरू होने के कारण सिंचाई सुविधाओं में गति आई है जिससे सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र शामिल हो गए हैं। अतः आयोग का विचार है कि अधिशेष भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण का कार्य भी साथ-साथ किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होने के बाद भूमि की क़ीमतों में होने वाली वृद्धि के मद्देनज़र विभिन्न राज्यों के क़ानूनों में भूमि के मानक एकड़ का पुनः निर्धारण किए जाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के व्यक्ति के पक्ष में जब कभी भूमि के स्वामित्व का निर्णय किया जाये, अधिकारों के रिकॉर्ड में उसे तुरंत दर्ज किया जाना चाहिये तथा इसके साथ ही क़ानून लागू

करने वाले प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक क़ब्ज़ा प्राप्त करने वाले आबंटित व्यक्ति को सुरक्षा दी जानी चाहिये। भूमि की उच्चतम सीमा से संबंधित क़ानूनों को समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कड़ाई से अधिरोपित किया जाना चाहिए। भूमि क़ानून में कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिये। यह देखा गया है कि भूमि विवादों के कारण अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ पर बहुत से अत्याचार किये गये हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के कुछ प्रावधान भूमि के संबंध में अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के हितों की सुरक्षा करते हैं। इन प्रावधानों का प्रयोग करना तथा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालयों को मुक़दमें भेजना वांछनीय है जिससे मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

4.39 अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ की आर्थिक व्यवस्था सम्पूर्ण देश के लोगों की आर्थिक व्यवस्था की तरह अनेक बदलावों से गुज़र रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां भी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक अथवा राजनीतिक आदि अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन समस्याओं में से कुछ समस्याएं तो पहले ही चली आ रही हैं। अब योजनाकार समस्याओं का पता लगाने में समर्थ हो चुके हैं तथा अब इसे बेहतर ढंग से समझा जा रहा है। मुद्दों का विश्लेषण किया गया है तथा अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के कल्याण तथा विकास के लिये एक सुनिश्चित नीति को अपनाया गया है जो उनको लाभ पहुंचाने वाले विकास पैटर्न पर समुचित ध्यान केन्द्रित करती है। अब अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ के भविष्य को बेहतर बनाने के लिये विकास के कार्यक्रम लागू करने की गति को तेज़ करना पड़ेगा।

संलग्नक 4.1

वर्ष 1981 तथा वर्ष 1991 की जनगणना में कुल जनसंख्या और, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तथा उनके प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	योग		अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		1981	1991	1981	%	1991	%	1981	%	1991	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,35,49,673	6,65,08,008	79,61,730	14.87	1,05,92,066	15.93	31,76,001	5.93	41,99,481	6.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,31,839,	8.64,558	2,919	0,46	4,052	0.47	4,41,167	69.82	5,50,351	63.66
3.	असम	1,98,96,843	2,24,14,322	12,41,526	6.24	16,59,412	7.40	21,85,845	10.99	28,74,441	12.82
4.	बिहार	6,99.14,734	8,63,74,465	101,42,368	14.51	1,25,71,700	14.55	58,10,867	8.31	66,16,914	7.66
5.	गोवा	10,86,730	11,69,793	23,432	2.16	24,364	2.08	10,721	0.99	376	0.03
6.	गुजरात	3,40,85,799	4,13,09,582	24,38,207	7.15	30,60,358	7.41	48,48,586	14.22	61,61,775	14.92
7.	हरियाणा	29,22,618	1,64,63,648	24,64,012	19.07	32,50,933	19.75	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	42,80,818	51,70,877	10,53,958	24.62	13,10,296	25.34	1,97,263	4.61	2,18,349	4.22
9.	जम्मू और काश्मीर	59,87,389	77,18,700	4,97,363	8.31	6,41,200	8.31	—	—	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	कर्नाटक	3,71,35,714	4,49,77,201	55,95,033	15.07	73,69,279	16.38	18,25,203	4.91	19,15,691	4.26
11.	केरल	2,54,53,680	2,90,98,518	25,49,382	10.02	28,86,522	9.92	2,61,475	1.03	3,20,967	1.10
12.	मध्यप्रदेश	5,21,78,894	6,71,81,170	73,58,533	14.10	96,26,679	14.55	1,19,87,031	22.97	1,53,99,034	23.27
13.	महाराष्ट्र	6,27,84,171	7,89,37,187	44,79,763	7.14	87,57,842	11.09	57,22,038	9.19	73,18,281	9.27
14.	मणिपुर	14,20,953	18,38,149	17,753	1.25	37,105	2.02	3,87,977	27.30	6,22,173	34.41
15.	मेघालय	13.35,819	17,74,778	5,492	0.41	9,072	0.51	10,76,345	80.50	15,17,927	85.53
16.	मिज़ोरम	4,93,757	6,89,756	135	0.03	691	0Ä10	4,61,907	93.55	6,53,365	94.75
17.	नागालैंड	7,74,930	12,09,546	—	—	—	—	6,50,885	83;99	10,60,822	87.70
18.	उड़ीसा	2,63,70,271	3,16,59,736	38,65,543	14.66	51,29,314	16.20	59,15,067	22.43	70,31,214	22.21
19.	पंजाब	1,67,88,915	2,02,81,969	45,11,703	26.87	57,42,528	28.31	—	—	—	—
20.	राजस्थान	3,42,61,862	4,40,05,990	58,38,879	17.04	76,07,820	17.29	41,83,124	12.21	54,54,381	.12.44
21.	सिक्किम	3,16,385	4,06,457	18,281	5.78	24,084	5.93	73,623	23.27	90,901	22.36
22.	तमिलनाडु	4,84,08,077	5,58,58,946	88,81,295	18.35	1,07,12,266	19.18	5,20,226	1.07	574,194	1.03
23.	त्रिपुरा	20,53,058	27,57,205	3,10,384	15.21	4,51,116	16.36	5,83,920	28.44	8,53,345	30.95
24.	उत्तर प्रदेश	11,08,62,013	13,91,12,287	2,34,53,339	21.16	2,92,76,455	21.05	2,32,705	0.21	2,87,901	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	5,45,80,647	6,80,77,965	1,20,00,768	21.99	1,60,80,611	23.62	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	संघ राज्य-क्षेत्र											
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,88,741	2,80,661	—	—	—	—	—	30,70,672	5.63	30,08,760	5.59
2.	चंडीगढ़	4,51,610	6,42,015	63,621	14.09	1,05,977	16.51	—	22,361	11.85	26,770	9.54
3.	दादरा और नागर हवेली	1,03,676	1,38,477	2,041	1.97	2,730	1.97	—	—	—	—	—
4.	दमण और दीव	—	1,01,586	—	—	3,891	3.83	—	81,714	78.82	2,09,380	78.99
5.	दिल्ली	62,20,406	94,20,644	11,21,643	18.03	17,94,836	19.05	—	—	—	11,724	11.54
6.	लक्षदीप	40,249	51,707	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	6,04,471	8,07,785	96,636	15.99	1,310278	16.25	—	37,760	93.82	48,163	93,15
	भारत	68,51,84,692	84,63,02,688	10,59,96,149	15.47	13,83,23,277	16.33	—	5,38,14,483	7.85	6,77,58,380	8.08

टिप्पणी:

1. 1981 के आंकड़ों की क्रम सं॰ i, भाग ii, बी (11) तथा भाग ii, बी (iii) का स्त्रोत, क्रमशः प्राथमिक जनगणना सार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आर॰जी॰आई॰ द्वारा वर्ष 1983 में प्रकाशित।
2. वर्ष 1981 की जनगणना असम में नहीं हुई थी। आर॰जी॰आई॰ द्वारा प्राथमिक जनगणना सार में बतायी गयी कुल जनसंख्या। कुल सामान्य जनसंख्या में विकास दर पर अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ की बतायी गयी जनसंख्या, अर्थात 36.05%
3. 1991 के आंकड़ों की क्रम सं॰ 1, वर्ष 1993 का पेपर। का स्त्रोत-अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिये संघ प्राथमिक जनगणना सार
4. वर्ष 1991 में जम्मू और काश्मीर में जनगणना नहीं की गयी थी। आर॰जी॰आई॰ द्वारा बतायी गयी कुल जनसंख्या। कुल सामान्य जनसंख्या के विकास दर पर अ॰जा॰ की बतायी गयी जनसंख्या अर्थात् 28.92%। वर्ष 1981 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अनुसूचित जनजाति को पहली बार 7-10-1989 को घोषित किया गया।
5. वर्ष 1981 की जनगणना में अरूणाचल प्रदेश तथा मिज़ोरम संघ शासित राज्य थे लेकिन वर्ष 1991 की जनगणना में उन्होंने राज्य का दर्ज़ा प्राप्त कर लिया।
6. वर्ष 1981 की जनगणना में गोवा, दमण और दीव संघ शासित राज्य थे। वर्ष 1991 की जनगणना में गोवा एक राज्य बन गया था जबकि दमण और दीव संघ शासित राज्य ही थे। दमण और दीव से संबंधित वर्ष 1981 की जनगणना के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
7. वर्ष 1991 की जनगणना (कॉलम 12) में देश की जनसंख्या में अ॰ज॰जा॰ का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या से जम्मू और काश्मीर की बतायी गयी कुल जनसंख्या को अलग करके निकाला गया है क्योंकि जम्मू और काश्मीर में अ॰ज॰जा॰ की जनसंख्या को बताया नहीं जा सका है।

अध्याय 5

सेवा सुरक्षण

प्रस्तावना

पुणे समझौते (1932) से पूर्व, लोक सेवाओं में दलित वर्गों (जिनका पुनः नामकरण भारत सरकार अधिनियम, 1935 में "अनुसूचित जातियां" किया गया था) का प्रतिनिधित्व, पुराना मद्रास प्रांत और मैसूर की पुरानी रियासत जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, नगण्य था। इस स्थिति का मुख्य कारण था दलित वर्गों में, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, शैक्षिक पिछड़ापन। ऐतिहासिक पुणे समझौते के खण्ड 6 में यह प्रावधान किया गया था कि स्थानीय निकायों के चुनावों और लोक सेवाओं में नियुक्तियों में दलित वर्गों को उचित रतिनिधित्व दिलवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

संविधान लागू होने से पूर्व की स्थिति

5.2 वर्ष 1934 में पहली बार, औपचारिक आरक्षण के बिना, यह अनुदेश जारी किए गए थे कि अपेक्षित योग्यता प्राप्त दलित वर्गों के उम्मीदवारों को नियुक्तियों के उचित अवसरों से मात्र इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वे खुली प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सके। "अनुसूचित जातियां" शब्दों का पहली बार प्रयोग भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया था। अगस्त, 1943 में भारत सरकार ने खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 8⅓% की दर से आरक्षण करने का प्रावधान किया था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट की भी घोषणा की गई।

5.3 स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद खुली प्रतियोगिता के जरिए सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए पदों में 12½% की दर से आरक्षण का प्रावधान करने के आदेश जारी किए गए थे। खुली प्रतियोगिता से भिन्न तरीके से भर्ती के मामलों में, अनुसूचित जातियों के लिए अलग से 16⅔% के दर से आरक्षण का प्रावधान किया गया। केंद्रीय सेवाओं में जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षण का मुद्दा भी सरकार के सामने आया और दिसम्बर 1947 में यह अनुदेश जारी किए गए कि जहां तक सम्भव हो सके, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी जनजातीय समुदायों के उपयुक्त योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की भर्ती की वांछनीयता पर विचार करें। तथापि, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों की एक निश्चित प्रतिशत (5%) में आरक्षण करने का निर्णय 1950 में संविधान के प्रवर्तन के बाद ही लिया गया था।

सांविधानिक प्रावधान

5.4 संविधान के निर्माताओं ने यह महसूस किया कि जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए जाते, तब तक उनके लिए लोक नियोजन प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिताओं में बैठना और उनमें सफलता प्राप्त करना कभी संभव नहीं हो सकेगा। उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं और पदों में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। तथापि, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की घोषणा करने का विशेष ध्यान रखा गया था क्योंकि लोक नियोजन से आजीविका का साधन मिलने के अलावा एक हैसियत भी प्राप्त होती थी। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि अवसर की समता समान व्यक्तियों के बीच की जानी चाहिए थी न कि असमान व्यक्तियों के बीच। अतः अनुच्छेद 16, जिसमें राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के भेदभाव के बिना, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता का प्रावधान है, राज्य को "पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंधित करने के लिए" सशक्त बनाता है। यह अ०जा० और अ०ज०जा० के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव है। अनुच्छेद 335 में यह उपबंधित है कि "संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।" संविधान के निर्माताओं ने अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षण के मुद्दे को इतना अधिक महत्व दिया कि अनुच्छेद 320 (4) में यह प्रावधान किया गया कि लोक सेवा आयोग से "उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, "परामर्श करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है।

5.5 संविधान लागू होने के बाद, सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने संबंधी

नीति को समेकित किया गया था। भारत सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 12½% आरक्षण का उपबंध करते हुए, 13 सितम्बर, 1950 को अनुदेश जारी किए थे। खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती में 16⅔% का आरक्षण जारी रखा गया। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% आरक्षण आरम्भ किया गया था। अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और आवेदन शुल्क में सामान्य शुल्क के 25% की छूट को भी जारी रखा गया।

मौजूदा स्थिति

5.6 अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए आरक्षण रारम्भ में अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती के मामले में लागू किया गया। भारत के सभी नागरिक चाहे उनका अधिवास अथवा जन्म स्थान कहीं भी हो, केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में नियुक्ति के पात्र थे। वर्ग क और ख पदों में भर्ती के लिए सम्पूर्ण भारत के उम्मीदवार आते हैं और इसका स्तर वास्तव में अखिल भारतीय है, जबकि अधिकांश वर्ग ग एवं घ सेवाओं एवं पदों के लिए, जिन्हें स्थानीय रोज़गार कार्यालय द्वारा भरा जाता है, केवल वे ही उम्मीदवार आते हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर स्थापना स्थित है। इस दूसरे मामले में सरकार द्वारा अ०जा० एवं अ०ज०जा० की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी। स्थानीय रोज़गार कार्यालय के जरिए या क्षेत्रीय आधार पर परीक्षाओं के जरिए वर्ग 'ग' और 'घ' की भर्ती पर लागू आरक्षण की स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रतिशतता को, 1981 की जनगणना के आधार पर अ०जा० एवं अ०ज०जा० की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर 1-6-1985 का का० ज्ञा० सं० 36013/4/85-स्था० (अ०जा० एवं अ०ज०जा०) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी कि—

> "यह वांछनीय होगा कि आरक्षण की प्रतिशतता राज्य में अ०ज०जा० की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार निर्धारित की जाए ताकि भर्ती की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब न हो।"

5.7 अ०जा० एवं अ०ज०जा० के पक्ष में पदों के आरक्षण के संबंध में, 1950 में भर्ती पर लागू आदेशों को पदोन्नतियों पर लागू नहीं किया गया था। वर्ष 1956 तक पदोन्नतियां वरिष्ठता और/अथवा योग्यता के आधार पर, जैसा भी मामला हो, ही की जाती रहीं। पदोन्नतियों के लिए आरक्षण के आदेशों को वर्ष 1957 से चरणों में लागू किया गया और जुलाई, 1974 तक वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के मामले में सभी क्षेत्रों को और चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में वर्ग क के निम्नतर पदों को सम्मिलित किया गया।

5.8 वर्ष 1957 में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षणों का प्रावधान किया गया था। वर्ग ग और घ में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान 1963 में किया गया था और इसी वर्ष विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षण केवल वर्ग ग एवं घ तक सीमित कर दिया गया था। 1968 में स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ जब वर्ग ख, ग और घ की सीमित विभागीय परीक्षाओं और वर्ग ग एवं घ में चयन द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण इस शर्त के अधीन था कि सीधी भर्ती 50% से अधिक नहीं होगी। वरीयतता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण 1972 में इस शर्त के अधीन शुरू किया गया कि सीधी भर्ती 50% से अधिक न हो। 1974 में चयन द्वारा वर्ग ग से वर्ग ख में वर्ग ख के भीतर और वर्ग ख से वर्ग क के निम्ननतर पद तक पदोन्नति में आरक्षण शुरू किए गए थे बशर्ते कि सीधी भर्ती 50% से अधिक न हो। सीधी भर्ती की अधिकतम सीमा 1976 में 50% से बढ़ा कर 66⅔% कर दी गई थी और 1989 में इसे और बढ़ा कर 75% कर दिया गया है। आरक्षण की प्रतिशतता जो अ०जा० के लिए 12-½% और अ०ज०जा० के लिए 5% थी 25-3-1970 से बढ़ाकर क्रमशः 15% और 7-½% कर दी गई थी।

सेवाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० का प्रतिनिधित्व

5.9 आरक्षण की योजना और उसके कार्यान्वयन पर लगातार बल दिए जाने से सेवाओं और नियोजन के मामले में अ०जा० एवं अ०ज०जा० की काफी अधिक जनसंख्या, समाज के अन्य वर्गों के बराबर हो गई है। विभिन्न मॉनीटरन एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से अ०जा० और अ०ज०जा० का समग्र प्रतिनिधित्व 22.17% तक पहुंच गया है जो कि लगभग उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के बराबर है। 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार इनके आंकड़े संलग्नक 5.I में दर्शाये गए हैं जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकिंग संस्थाओं के सफ़ाई कर्मचारियों को छोड़कर अन्य पदों के सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया है। 1-1-1992 को भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों के कुल 6,699.548 कर्मचारियों में से 1,127,050 (16.82%) अ०जा० के और 358,368 (5.35%) अ०ज०जा० के थे।

5.10 सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व में सुधार, पिछले तीन वर्षों के दौरान संचित आरक्षणों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा 1989 से चलाए गए विशेष भर्ती अभियानों के कारण हुआ है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी विस्तृत सूचना संलग्नक 5.II में दी गई है।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें

5.11 राष्ट्रीय अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के आयोग के पास बड़ी संख्या में याचिकायें एवं शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा विषयक मामलों से संबंधित विभिन्न शिकायतें शामिल हैं। कई बार शिकायतें और अभ्यावेदन विभिन्न संगठनों में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ कर्मचारियों की संस्थाओं द्वारा किए जाते है और कुछ मामलों में जन नेता जैसे संसद सदस्य, विधायक आदि भी कर्मचारियों या संस्थाओं की याचिकाएं भेजते हैं।

5.12 जब 12.3.1992 को इस आयोग ने, संविधानिक दर्जा राप्त किया। तब पिछले आयोग के पास 594 याचिकाएं लम्बित थीं। इसके अलावा, अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ आयुक्त के भूतपूर्व कार्यालय के पास भी बड़ी संख्या में ऐसी याचिकाएं, शिकायतें और अभ्यावेदन थे जिन पर कार्रवाई की जानी थी। उत्तरवर्ती निकाय के रूप में और निरन्तरता बनाए रखने के लिए और अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ की सुविधा के लिए इस आयोग ने आयुक्त के कार्यालय से 2,562 का समग्र बैकलॉग ले लिया और उनके निपटान का कार्य शीघ्रता से किया जाने लगा। वर्ष के दौरान 8.711 और याचिकाएं प्राप्त हुई और कुल 8,858 याचिकाओं को निपटाया गया और उन याचिकाओं पर कार्रवाई की गई जिनमें शिकायतें या आरोपों में आयोग का हस्तक्षेप अपेक्षित था।

5.13 इस आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया वही थी जो अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के पिछले आयोग और आयुक्त के कार्यालय द्वारा अपनाई गई थी, क्योंकि इस आयोग के लिए प्रक्रिया नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। जिन याचिकाओं पर कार्रवाई की जानी थी उन्हें छांट कर अलग कर लिया गया था और सम्बद्ध संगठनों अथवा प्राधिकारियों से तथ्य मांगे गए थे। जवाब मिलने पर यदि यह पाया जाता है कि किसी सुरक्षण का उल्लंघन किया गया था या किसी क़ानून या भारत सरकार के आदेशों या अनुदेशों का उल्लंघन करके याचिकाकर्ता को कोई गंम्भीर असुविधा या परेशानी पहुंचाई गई थी तो उसे सुधार के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया। जहां तक संभव था, आयोग की सीमित जन-शक्ति के साथ, मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

5.14 बड़ी संख्या में मामलों के अध्ययन और भूतपूर्व अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ आयोग के और साथ ही आयुक्त कार्यालय के पिछले अनुभव से, कुछ मुद्दे सामने आए हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

सीधी भर्ती

योग्यता के आधार पर चयनित अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवारों को पदों के लिए आरक्षित कोटा में से नहीं जाना जाएगा

5.15 भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.5.1989 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 36012/13/88-स्था॰ (अ॰जा॰ ज॰जा॰) में अनुदेश जारी किए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन रिक्तियों एवं पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के ऐसे उम्मीदवारों को, जिनका चयन अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ, छूट प्राप्त मानकों के बिना, उनकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाता है, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित भाग के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के ऐसे पात्र उम्मीदवारों में से भरी जाएगी जो ऐसे अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवार होंगे जो योग्यता सूची में अंतिम सामान्य उम्मीदवार से नीचे हैं किन्तु अन्यथा नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं। आयोग के देखने में आया है कि कुछ संगठनों ने अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें उनकी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित किया गया था, आरक्षित पदों के प्रति समायोजित कर लिया था और इस तरह अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवारों को उनके विधिसम्मत हिस्से से वंचित रखा गया। मंत्रालय/विभाग, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवारों के हितों के संरक्षण के लिए इस विषय पर जारी अनुदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

5.16 ऐसी आशकांए अभिव्यक्त की गई है कि अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के लिए अलग रखी गई रिक्तियों को सीमित करने के लिए अपनी योग्यता के आधार पर चयनित अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के लिए बनाए गए पैनल में सबसे नीचे रखा जा सकता है। ऐसी संभावना से बचने का एक उपाय यह है कि साक्षात्कार के समय अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवारों की पहचान को गुप्त रखा जाए। एक बार सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार हो जाने पर उनकी योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिए और अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ उम्मीदवारों को सूची में यथास्थान रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें आरक्षित पदों के प्रति समायोजित न कर लिया जाए।

जहां पदोन्नति के लिए अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहां सीधी भर्ती का आश्रय लेना

5.17 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.7.1990 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ ए॰ बी॰ 14017/30/89 स्था॰ आर॰आर॰ में दिए गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, जहां किसी ग्रेड में भर्ती पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों के द्वारा की जाती है अर्थात् जहां भर्ती नियमों में पदोन्नति और सीधी भर्ती के लिए अलग-अलग कोटे निर्धारित किए गए हैं, वहां पदोन्नति कोटा में आने वाली आरक्षित रिक्तियां जो फीडर संवर्ग में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के पात्र व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण भरी नहीं जा सकती उन्हें अस्थायी रूप से सीधी भर्ती के कोटा में जोड़ दिया जाना चाहिए और इन्हें, भर्ती नियमों में दिए गए सीधी भर्ती से संबंधित प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवारों की भर्ती करके भरा जा सकता है। परवर्ती वर्ष (वर्षों) में जब सीधी भर्ती के कोटा में आरक्षित रिक्तियां

उपलब्ध हो जाएं तो उन्हें इस कोटा में पहले जोड़ी गई रिक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए पदोन्नति कोटा में पुनः जोड़ा जा सकता है। इस रीति से रिक्तियों के आदान-प्रदान से यह सुनिश्चित होगा कि बाद में संवर्ग की संरचना एवं संघटन प्रभावित नहीं होगी। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक मामले में स्वयं आयोग से, अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में, पदोन्नति कोटा में आने वाली 28 रिक्तियों को (9 रिक्तियां अ० जा० के लिए और 19 अ०ज०जा० के लिए आरक्षित) इस आधार पर अनारक्षित करने की सिफ़ारिश की थी कि अगर इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है तो भविष्य में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अ०जा०/अ०ज०जा० उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आयोग ने इस प्रस्ताव के लिए सहमति नहीं दी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को यह सलाह दी कि अनुभाग अधिकारियों की इन रिक्तियों को उनके उपर्युक्त का० ज्ञा० के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए। ऐसे और भी मामले हो सकते थे और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए तर्क और कहीं भी दिए जा सकते थे। आयोग का विचार है कि दिनांक 10.7.1990 के उपर्युक्त का०ज्ञा० के भाव का पालन करने में ही फ़ायदा होगा।

पदोन्नति

(I) समूह 'क' में अ०जा० और अ०ज०जा० को छूट

5.18 पहले उल्लेख किए गए अनुसार, वर्ग क के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति को छोड़कर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले सभी पदों में अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षण किया गया है, बशर्ते कि सीधी भर्ती, यदि कोई हो तो, 75% से अधिक न हो। समूह 'क' के ऐसे पदों पर चयन द्वारा पदोन्नतियों में, जिनका अधिकतम वेतन भारत सरकार के मामले में 5,700/- रु० और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में 6,900/- रु० है, कोई आरक्षण नहीं है, किन्तु पदोन्नति के लिए जिन कर्मचारियों पर विचार किया जाना है उनमें अ०जा०/अ०ज०जा० के जो अधिकारी इतने वरिष्ठ है कि, उन रिक्तियों की संख्या के अन्दर आते हैं जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, तो उनकी योग्यता पर ध्यान दिए बिना उन्हें उस सूची में शामिल किया जाना होता है, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न माने गए हों। लेकिन चयनसूची में उनका स्थान वहीं रहेगा जो भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति उनके लिए निर्धारित करेगी।

5.19 आयोग के ध्यान में ऐसे कुछ मामले लाए गए थे जिनमें कुछ सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने उपर्युक्त छूट की, यह तर्क देकर अवहेलना की है कि पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त / योग्य अ०जा० / अ०ज०जा० अधिकारी उपलब्ध नहीं था। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव के पद से उप सचिव के स्तर पर पदोन्नति के एक विशेष मामले में बड़ी संख्या में अ०जा० / अ०ज०जा० अधिकारियों को, पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त घोषित करते हुए उन पर विचार नहीं किया गया, जबकि कोई प्रतिकूल कारण उन्हें नहीं बताया गया था। इस मामले पर अ०जा० और अ०ज०जा० आयुक्त के पिछले कार्यालय में अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी किन्तु इसका कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। स्पष्टतः प्राधिकारियों ने समूह क के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अ०जा० / अ०ज०जा० अधिकारियों को दी गई छूटों की अवहेलना की है। ऐसे ही एक अन्य मामले में जिस पर कार्रवाई भूतपूर्व अ०जा० / अ०ज०जा० आयुक्त के कार्यालय द्वारा की गई थी, उप सचिव स्तर के एक अ०जा० अधिकारी को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त घोषित करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा निदेशक के पद के लिए दो बार चयन सूची में शामिल नहीं किया गया, किन्तु बाद में उसे अपनी योग्यता के आधार पर संयुक्त सचिव के पैनल में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया। आश्चर्य है कि संयुक्त सचिव के पद के लिए पैनल में शामिल किए जाने के बाद अधिकारी उसी रिकार्ड के आधार पर निदेशक के पद के लिए पैनल में भी शामिल किया गया था।

5.20 कई सार्वजनिक उपक्रमों में यह देखा गया है कि समूह क के पदों में पदोन्नतियां करते समय सामान्यतः रिक्तियों की संख्या घोषित नहीं की जाती है। इसके साथ ही वास्तव में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले कई अधिकारियों की छंटनी कर दी जाती है और उनका नाम सूची में से निकाल दिया जाता है ऐसी स्थिति में, अ०जा० / अ०ज०जा० के अधिकारियों के वरिष्ठता पहलू को उन पदों की संख्या से जोड़ पाना कठिन हो जाता है जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई हो जो अ०जा० / अ०ज०जा० के अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

5.21 इस सम्बन्ध में यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, किसी भी अधिकारी पद पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए उसका कार्य-निष्पादन "औसत से ऊपर" होना चाहिए क्योंकि "औसत" के लिए यह माना जाता है कि वह साधारण है और उसे पदोन्नति के योग्य नहीं माना जाता। अतः किसी भी अधिकारी को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त तभी घोषित किया जा सकता है जब प्रतिकूल टिप्पणी उसे सूचित की गई हो या वह केवल "औसत" हो। इस स्थिति को देखते हुए यह सिफ़ारिश की जाती है कि मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत अ०जा० और अ०ज०जा० के हितों की रक्षा के लिए, मौजूदा अनुदेशों में इस सम्बन्ध में उचित प्रावधान करते हुए तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है, कि जितनी रिक्तियों के लिए चयन सूची बनाई जानी है, उनकी संख्या यथासम्भव ठीक-ठीक परिकलित करने के बाद ऐसे अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारियों का नाम वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के मानदण्डों के आधार पर चयन सूची में स्वतः ही शामिल कर लिया जाए, जिन्हें औसत से ऊपर की श्रेणी में रखा गया है और जो इतने वरिष्ठ हैं कि रिक्तियों की संख्या के अन्दर आते हैं।

(II) वर्ग ग एवं घ पदों में पदोन्नति में स्थानीय/क्षेत्रीय प्रतिशतता

5.22 भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए अखिल भारतीय आधार पर आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशतता अर्थात् खुली प्रतियोगिता के लिए क्रमशः 15% और 7½% तथा खुली प्रतियोगिता से भिन्न विधि के लिए क्रमशः 16⅔ और 7½% वर्ग क और ख पदों पर सीधी भर्ती करते समय लागू की जाती है, जबकि वर्ग ग और घ पदों के लिए उन क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर स्थानीय/क्षेत्रीय रूप से प्रतिशतता निर्धारित की गई है। राष्ट्र की राजधानी होने के नाते, दिल्ली में की गई भर्ती के मामले में, समूह ग और घ पदों में भी आरक्षण की अखिल भारतीय प्रतिशतता लागू की जाती है। तथापि, पदोन्नति के मामले में, अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित एक रूप प्रतिशतता जो अ०जा० के लिए 15% और अ०ज०जा० के लिए 7½% है, लागू की जाती है चाहे पदोन्नति किसी स्तर पर या किसी विधि से की जाए।

अतः इसका अर्थ यह है कि स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर भरे गए समूह ग और घ पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता अगले उच्चतर ग्रेड की पदोन्नति के मामले में निर्धारित प्रतिशतता से भिन्न है।

5.23 अ०जा० और अ०ज०जा० की जनसंख्या की प्रतिशतता जो स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर भर्ती में उनके लिए आरक्षण का आधार थी, हरेक राज्य में भिन्न-भिन्न है। यह पदोन्नतियों के लिए निर्धारित अखिल भारतीय प्रतिशतता से भिन्न है। अतः कई एजेन्सियों द्वारा यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनूसूचित जनजाति के लिए 7½% का आरक्षण करना न्यायोचित होगा जिनके फीडर संवर्ग के पद आरंभ में किसी विशेष क्षेत्र में स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता के आधार पर भरे गए थे जो पदोन्नति पदों में आरक्षण की प्रतिशतता से काफी भिन्न है। उदाहरणतः उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नगण्य है, अतः पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होते हैं जिसके कारण आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण आवश्यक हो जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व आयुक्त कार्यालय ने इस विषय पर 1976 में भारत सरकार से बातचीत की कि पदोन्नति स्तर पर भी वही प्रतिशतता लागू करके जो सीधी भर्ती के लिए लागू थी, इस स्थिति में सुधार किया जाए। सरकार ने यह तर्क देते हुए इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी कि स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित प्रतिशतता को पदोन्नति पर लागू नहीं किया जा सकेगा। अतः असंतुलन की उपेक्षा करते हुए पूरे भारत वर्ष में एकरूप प्रतिशत को लागू रखा गया। इस असमानता को दूर करने के लिए यह सिफ़ारिश की जाती है कि केन्द्रीय स्थापनाओं में समूह ग और घ पदों में पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 प्वांइट रोस्टर के जरिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशतता का संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए सीधी भर्ती स्तर पर उनके लिए स्थानीय/क्षेत्रीय प्रतिशतता के अनुरूप किया जा सके। विकल्पतः पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों/सेवाओं में सम्बन्धित वर्गों के अधीन भरी नहीं गई आरक्षित रिक्तियों को तीसरे वर्ष के स्थान पर उसी वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच परस्पर अदला-बदली करने की अनुमति दी जाए जैसा कि लक्षद्वीप, दादरा तथा नागर हवेली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के पक्ष में करने की अनुमति दी गई है। वहां अनुसूचित जनजाति की काफ़ी जनसंख्या है और वहां सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदोन्नति रिक्तियों के भरे न जाने पर सरकार ने अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पहले से ऐसा करने की अनुमति दी है।

(III) मुहरबंद लिफ़ाफ़े वाले मामलों के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षण

5.24 सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पुस्तिका (1987 का संस्करण) के पैरा 9.8 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय मुहरबंद लिफ़ाफ़े में इस कारण से रखे जाते हैं कि वे निलम्बित हैं या उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है या सतर्कता जांच का मामला विचाराधीन है उनके लिए रिक्तियां आरक्षित रखनी होती हैं। रिक्ति भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग से यह सलाह दी जा सकती है कि यदि आवश्यक है तो उच्चतर ग्रेड में केवल स्थानापन्न आधार पर रिक्ति भरी जाए। अनुशासनिक मामला/आपराधिक अभियोजन समाप्त होने पर यदि सरकारी कर्मचारी उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है तो मुहरबंद लिफ़ाफ़ों को खोला जाएगा जिनमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन रखा होगा। यदि सरकारी कर्मचारी पूर्णतः निर्दोष पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति की नियत तारीख का निर्धारण मुहरबंद लिफ़ाफ़े में रखे गए निष्कर्षों के आधार पर उसे दिए गए स्थान और उस स्थान के आधार पर उसके बाद के कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इन अनुदेशों में यह भी कहा गया है कि इस स्थिति में यदि आवश्यक हो तो स्थानापन्न आधार पर नियुक्त सबसे कनिष्ठ कर्मचारी को प्रत्यावर्तित करके उस सरकारी कर्मचारी को पदोन्नत किया जाए। इसके अतिरिक्त अनुदेशों में यह भी कहा गया है कि जहां ऐसा प्रत्यावर्तन करना आवश्यक हो वहां यह ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि चयन सूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की कुल संख्या में कमी न आए।

5.25 1989 से पहले के भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार यदि मुहरबंद लिफ़ाफ़े वाले मामलों के कारण प्रत्यावर्तन करना आवश्यक हो जाता था वहां आरक्षित कोटे में पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों को विधिवत संरक्षित किया जाता था। तथापि यह खेदजनक है कि भारत सरकार ने 10-4-1989 से लागू विभागीय पदोन्नति समिति के बारे में संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्त

जारी करते समय मुहरबंद लिफ़ाफ़े वाले मामलों के खुलने पर प्रत्यावर्तन होने की स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रदान किए गए सुरक्षण को हटा दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि मुहरबंद लिफ़ाफ़ों के संबंध में तथा उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जिनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिनके आचरण के बारे में जाँच की जा रही थी, 14-9-92 से लागू मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करते समय भी मुहरबंद लिफ़ाफ़े खुलने पर प्रत्यावर्तन होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए सुरक्षण उसमें शामिल नहीं किया गया था। यह कार्मिक विभाग के 30-7-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/44/77 स्थापना (डी) में दिए गए भारत सरकार के अनुदेशों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रदान किए गए सुरक्षण को वापस लेने के समान हैं। इसे फिर से प्रदान किए जाने की ज़रूरत है।

5.26 यह सामान्य अनुभव है कि कई मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की या तो निम्न वरिष्ठता होने या योग्यता मूल्यांकन की श्रेणी अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैनलों में उन्हें निम्नतम स्थान दिया जाता है। जब मुहरबंद लिफ़ाफ़ा खोलने पर अन्य अधिकारी को शामिल करने के लिए सबसे कनिष्ठ अधिकारी को प्रत्यावर्तित करना पड़ता है तो, अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारी का पैनल में सबसे नीचे स्थान होने के कारण सुरक्षण के अभाव में, अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारी को ही सामान्यतः प्रत्यावर्तित किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि आरक्षित कोटे के आधार पर ही उनका नाम सूची में रखा गया था। इससे पैनल में अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों की संख्या पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। यदि अन्य अधिकारी (मुहरबंद लिफ़ाफ़े वाला अधिकारी) पर यह संकट नहीं आया होता तो उसे पैनल में शामिल कर लिया गया होता तथा अ०जा० और अ०ज०जा० के अधिकारी का पदोन्नति में आरक्षण होने के कारण उसे पैनल में भी स्थान मिल गया होता। अतः संशोधित अनुदेशों ने अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है तथा साथ ही पैनल में अ०जा० और अ०ज०जा० का आरक्षण असंतुलित हो गया है। अतः यह सिफ़ारिश की जाती है कि मुहरबंद लिफ़ाफ़ों वाले मामलों के कारण प्रत्यावर्तित होने पर अ०जा०/अ०ज०जा० को उपलब्ध सुरक्षण फिर से दिया जाए तथा इन्हें उन सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में जिनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही का मामला विचाराधीन है, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में दिए गए आदेशों में और विभागीय पदोन्नति समिति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में शामिल किया जाए। यह भी सिफ़ारिश की जाती है कि यदि किसी भी ग्रेड में पदोन्नति के पश्चात स्टाफ़ में कमी करने या मुहरबंद लिफ़ाफ़े वाले मामलों के कारण या उच्च ग्रेड प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण या अन्य किसी कारण से अधिकारी को प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसे आदेश जारी किए जाएं कि यह प्रत्यावर्तन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि किसी भी चयन सूची में अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या में कमी नहीं आए।

पदोन्नति में आरक्षण का जारी रहना

5.27 सेवाओं में आरक्षण की अनुमति देने के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने 16-11-92 को सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पक्ष में निर्णय देते हुए पदोन्नति पदों पर सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से न केवल इन्कार कर दिया बल्कि यह भी कहा कि "हम इस बात से विश्वस्त है कि रंगाचारी के मामले में बहुमत को जहां तक उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 16 (4) में पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण की अनुमति सिद्धान्त माना नहीं जा सकता है और इसे अलग रखा जाए"। अतएव उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि "पदोन्नति के मामले में जहां कहीं पहले से आरक्षण का प्रावधान है—चाहे ऐसा केन्द्रीय सेवाओं में हो या राज्य सेवाओं में अथवा अनुच्छेद 12 में "राज्य" की परिभाषा के अधीन आने वाले किसी निगम प्राधिकरण या निकाय की सेवा का मामला हो, ऐसे आरक्षण आज (16-11-1992) से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेंगे।" उच्चतम न्यायालय का यह भी मानना है कि "इस अवधि में अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध नियमों में संशोधन, आशोधन या उन्हें पुनः जारी करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी स्वतंत्र होंगे।"

50% अधिकतम सीमा

5.28 एम०आर० बालाजी तथा अन्य बनाम मैसूर राज्य (1963 एस सी आर 439 परिशिष्ट (1) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) तथा 15(4) दोनों के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया कि "इस मामले में हम यह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इसमें उपयुक्त प्रावधान क्या हो। सामान्यतः तथा मोटे तौर पर विशेष प्रावधान 50% से कम का होना चाहिए। यह प्रत्येक मामले में संबद्ध विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।" तदुपरांत देवदासन के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निष्कर्ष दिया है कि पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उनका एकाधिकार हो जाए या अन्य समुदायों के विधिसम्मत दावों में बाधा पहुंचे। उच्चतम न्यायालय के इन निष्कर्षों के अनुसरण में भारत सरकार ने 29-4-1975 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1-9-74-स्था० (एस सी टी) के अनुसार आरक्षित पदों को अगले वर्ष में जोड़ने के नियम में संशोधन किया और यह प्रावधान किया कि किसी भी भर्ती वर्ष में सामान्य आरक्षित रिक्तियों की संख्या और पिछले वर्ष से आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियां दोनों मिलाकर कुल रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त केरल राज्य और अन्य बनाम एन०एम० थोमस तथा अन्य (1976-एस सी-490) के मामले में उच्चतम न्यायालय के परवर्ती निर्णय में दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को यह सलाह दी गई है कि कुल

मिलाकर संवर्ग में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उक्त मामलों में आरक्षण में 50% की सीमा से अधिक आरक्षण रखने में इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि पिछली रिक्तियों को अगले वर्ष में जोड़ा गया है। भारत सरकार ने 27-12-1977 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/3/73-स्था० (एस०सी०टी०) द्वारा अनुदेश जारी किए जिनके अनुसार अगले वर्ष में जोड़े गए आरक्षित रिक्त पद चालू आरक्षित रिक्त पदों के साथ अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, चाहे कुल आरक्षित पद उस वर्ष भरे गए रिक्त पदों की संख्या के 50% से अधिक हों, बशर्ते कि संबंधित ग्रेड या संवर्ग में अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त पाई जाए। सरकार की ओर से जारी 1982 के अनुदेश के अनुसार जो शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित है, के कुल उपलब्ध रिक्त पदों पर 50% आरक्षण का प्रतिबंध पुनः लागू किया गया।

5.29 आरक्षण को 50% तक सीमित करने के प्रश्न पर अन्य कई परस्पर विरोधी निर्णय दिए गए हैं। वी० नारायण राव आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूरी न्यायपीठ ने उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद यह कहा कि "फिर भी, जहां आरक्षित पदों को अगले वर्ष में जोड़ने का नियम इस आशय से लागू किया जाता है कि किसी विशेष वर्ष में बिना भरे आरक्षित पद सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएं और पदों की तत्समान संख्या अगले वर्ष में ले जाई जाए, वहां अधिकतम सीमा 50% के नियम का अतिक्रमण हो सकता है लेकिन यहां उक्त वृद्धि कथित अधिकतम सीमा अर्थात् अगले वर्ष में उत्पन्न रिक्त पदों के $66\frac{2}{3}$% से अधिक नहीं हो सकती। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि 50% का नियम बिना भरे अगले वर्ष में जोड़े गए रिक्त पदों पर लागू नहीं होगा और कुल आरक्षण $66\frac{2}{3}$% तक हो सकता है। यह स्थिति तब और सुदृढ़ हो गई जब भारत सरकार ने 25 अप्रैल 1989 से आरक्षण खत्म करने पर प्रतिबंध लगाते हुए यह स्पष्ट किया कि उक्त अगले वर्ष में जोड़े गए रिक्त पद एक विशिष्ट वर्ग के रूप में माने जाएंगे जिस पर 50% आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा लेकिन चालू आरक्षणों पर 50% का नियम लागू रहेगा।

5.30 इस स्थिति में उस समय नाटकीय परिवर्तन हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने, जैसी कि मंडल आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई है सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पक्ष में 27% आरक्षण की अनुमति देने के प्रश्न पर 16 नवंबर 1992 के अपने निर्णय में यह कहाः तथापि हमारी राय में आरक्षित पदों को अगले वर्ष के रिक्त पदों में जोड़ने के नियम को लागू करने के परिणामस्वरूप चाहे यह किसी भी विधि से लागू किया गया हो 50% की अधिकतम सीमा के नियम को भंग नहीं किया जाना चाहिये।" माननीय न्यायालय का यह विचार भी है कि 50% की अधिकतम सीमा के नियम को लागू करने के लिए वर्ष को एक यूनिट के रूप में माना जाना चाहिये न कि यथास्थिति संवर्ग सेवा या यूनिट के कर्मचारियों की पूरी संख्या को। यह विद्यमान प्रावधानों से भिन्न है और यदि निर्णय लागू किया जाता है तो सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित पदों को अगले वर्ष के रिक्त पदों में जोड़ने की पद्धति का कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि इस समय कुल आरक्षण पहले ही 49.5% तक पहुंच जाने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यह निश्चित रूप से अ०जा०/अ०ज०जा० के उन हितों के विरुद्ध जाएगा जिन्हें 25 अप्रैल 1989 के अनुदेशों के अनुसार बिना भरे गए आरक्षित पदों (बैकलॉगों) के रूप में अगले वर्ष के आरक्षित पदों में जोड़े जाने के लिए अलग रखा जाना है जो कि 50% की सीमा में नहीं आते।

5.31 विधि मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल 1993 को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई अपनी राय के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए बैकलॉग के रिक्त पदों और चालू रिक्त पद दोनों को मिला कर किसी वर्ष में होने वाले रिक्त पदों की संख्या 50% की सीमा में होनी चाहिएं। क़ानूनी रूप से जब तक कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय का स्थान कोई अन्य निर्णय नहीं ले लेता तब तक विधि मंत्रालय की राय के अनुसार यही लागू रहेगा। यह महसूस किया गया है कि विधि मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 25 अप्रैल 1989 के आदेश के अनुसार बनाए गए विशेष प्रावधान की अवहेलना करते हुए मात्र उच्चतम न्यायालय के विचार का समर्थन किया है। क्योंकि बैकलॉग के रिक्त पद अ०जा०/अ०ज०जा० का विशिष्ट हिस्सा है, इसलिए उन्हें अलग रखा जाता है, उपर्युक्त आदेश के अनुसार उन रिक्त पदों पर 50% की अधिकतम सीमा लागू करना व्यर्थ होगा क्योंकि आरक्षण खत्म करने पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए उन्हें अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल अ०ज०जा० तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही प्रचलित आरक्षण, बैकलॉग के किसी समायोजन के बिना भी, 49.5% है। 16-7-93 के अपने संकल्प में आयोग ने भारत सरकार को अपना यह विचार सूचित किया था कि अ०जा० एवं अ०ज०जा० के हितों की रक्षा की जाए चाहे इसके लिए यदि आवश्यक हो तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन किया जाए। इसलिए आयोग यह सिफ़ारिश करता है कि सरकार न केवल आरक्षित पदों के बैकलॉग की अ०जा०/अ०ज०जा० के विशिष्ट हिस्से के रूप में रक्षा करेगी बल्कि संविधान के संबद्ध अनुच्छेद में संशोधन करके 1991 की जनगणना में अ०जा० और अ०ज०जा० के व्यक्तियों की क्रमशः 16.48% तथा 8.08% जनसंख्या के औसत को ध्यान में रख कर उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत भी 15% और $7\frac{1}{2}$% से बढ़ाकर 16.5% तथा 8.08% करेगी।

रोस्टर

5.32 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लिए आरक्षण की प्रतिशतता निर्धारित की गई, तब उसके आधार पर रिक्त पदों की संख्या के परिकलन के मामले में वास्तविक कार्यान्वयन कुछ हद तक कठिन होता था क्योंकि अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए पूर्णांकों में संख्या निकालना हमेशा संभव नहीं होता था। निरपवाद रूप से यह संख्या भिन्नात्मक निकलती थी और इसलिए अ०जा० और

अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवारों की उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नियुक्ति करना कठिन होता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुपात में आरक्षण नीति को प्रभावी बनाने के लिए 40/100 प्वाइंट वाले रोस्टरों का निर्धारण करते हुए एक पद्धति शुरू की गई। सेवाओं में आरक्षण की नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए 1950 में शुरू की गई रोस्टर पद्धति इस दिशा में पहला क़दम थी। संक्षेप में, रोस्टर अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिए आरक्षित किए जाने वाले रिक्त पदों की संख्या निर्धारित करने में सहायक होते हैं। अतः प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित प्रतिशतता को बनाए रखने तथा माडल रोस्टर में दिए गए प्वाइंटों के अनुसार रिक्त पदों को आरक्षित या अनारक्षित मानने के लिए उचित रोस्टर रखेगा, माडल रोस्टर में कोई भर्ती/पदोन्नति कार्य शुरू होने से पहले उपलब्ध रिक्त पदों को दर्शाया जाएगा।

5.33 सरकार के अंतिम अनुदेशों के अनुसार 8-9-1993 से केन्द्रीय सिविल सेवाओं में सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने से पहले अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिए भर्ती/पदोन्नति की विविध विधियों के लिए और तदनुरूपी रोस्टर प्वाइंटों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतता निर्धारित की गई थी—

विधि	प्रतिशतता		रोस्टर	निर्धारित रोस्टर प्वाइंट	
	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰		अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰
क. सीधी भर्ती					
(1) अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती					
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा	15	7½	40 प्वाइंट	1,8,14,22,28,36	4,17,31
(ख) खुली प्रतियोगिता से भिन्न विधि द्वारा	16⅔	7½	40 प्वाइंट	1,7,13,20,25,32, 37*	4,17,29
(2) स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर समूह ग एवं घ पदों पर भर्ती	दिल्ली** को छोड़कर अन्य संबंधित राज्यों / संघ राज्यों क्षेत्रों में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ की जनसंख्या के अनुसार		100 प्वाइंट	विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिए निर्धारित किए गए प्वाइंट	
ख. पदोन्नति					
जहां कहीं आरक्षण आदेश लागू हों	15	7½	40 प्वाइंट	1,8,14,22,28,36	4,17,31

5.34. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ तथा अन्य (आदेश याचिका (सिविल) 1990 की संख्या 30) के मामले में उच्चतम न्यायालय के 16.11.1992 के निर्णय का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने यह आदेश जारी किए कि भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों का 27% सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा। परिणामस्वरूप, विद्यमान आरक्षण रोस्टरों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है। खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के संबंध में, जहां अ॰जा॰ के लिए 15% और अ॰ज॰जा॰ के लिए 7½% का आरक्षण है, वर्तमान 40 प्वाइंट रोस्टर को संशोधित करके संलग्नक 5.III में दिए गए मॉडल के अनुसार 200 प्वाइंट रोस्टर बनाया गया है। खुली प्रतियोगिता से भिन्न विधि द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती के संबंध में, जहां अ॰जा॰ के लिए 16⅔% तथा अ॰ज॰जा॰ के लिए 7½% का आरक्षण है वर्तमान 40 प्वाइंट रोस्टर को संशोधित करके संलग्नक 5.IV में दिए मॉडल के अनुसार 120 प्वाइंट रोस्टर बनाया गया है। समूह ग तथा घ पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में, जिसमें समान्यतः किंसी एक इलाके या प्रदेश के उम्मीदवार आते हैं, वर्तमान 100 प्वाइंड रोस्टरों को भी संशोधित करके उसमें संलग्नक 5.V में दिए 100 प्वाइंट रोस्टर के संशोधित मॉडल के अनुसार सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्वाइंटों को शामिल किया गया है।

*प्रत्येक तीसरे चक्र में 37 वें प्वाइंट को अनारक्षित माना जाएगा ताकि अ॰जा॰ के लिए ठीक 16⅔ आरक्षण किया जा सके।

** दिल्ली में अखिल भारतीय प्रतिशतता लागू होती है।

5.35 नए मॉडल रोस्टरों की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि जब कभी अधिकतम अर्थात् 50% आरक्षण दिया जाता है तब सभी विषम प्वाइंट आरक्षित तथा सम प्वाइंट अनारक्षित होंगे। दूसरे, स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर समूह ग एवं घ पदों पर भर्ती के मामले में जब अ०जा० तथा अ०ज०जा० दोनों के आरक्षण की प्रतिशतता 23% से अधिक हो जाती है तो सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की रतिशतता घटाई जाती है ताकि अ०जा० तथा अ०ज०जा० तथा अन्य पिछड़े वर्गों का अधिकतम आरक्षण 50% से अधिक न हो जाए। तीसरे, अनुच्छेद 16(1) के अधीन किए गए आरक्षण अर्थात् अनुच्छेद 16(4) के अधीन अ०जा० अ०ज०जा० तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षणों को छोड़कर अन्य आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से बाहर रखे गए हैं। अतः अ०जा०, अ०ज०जा० तथा सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षणों से भिन्न आरक्षणों की प्रतिशतता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को क्रमशः अ०जा०, अ०ज०जा० तथा सामाजिक-शैक्षिक आपके पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्वाइंट पर 100 प्वाइंट रोस्टरों में रखा जाएगा। जहां तक पदोन्नति का संबंध है, पदोन्नति में सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों का कोई आरक्षण न होने के कारण वर्तमान आरक्षण-रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नीचे दी गई सारणी में अ०जा०, अ०ज०जा० तथा सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता, संशोधित रोस्टर और प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित रोस्टर प्वाइंटों की संख्या दर्शायी गई है—

विधि	प्रतिशतता			रोस्टर	रोस्टर प्वाइंट		
	अ०जा०	अ०ज०जा०	सा०शै० रूप से पिछड़े वर्ग		अ०जा०	अ०ज०जा०	सा० शै० रूप से पिछड़े वर्ग
क सीधी भर्ती							
(1) अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती							
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा	15	$7\frac{1}{2}$	27	200 प्वाइंट	30	15	54
(ख) खुली प्रतियोगिता से भिन्न विधि द्वारा	$16\frac{2}{3}$	$7\frac{1}{2}$	$25\frac{5}{6}$	120 प्वाइंट	20	9	31
(2) स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर समूह ग तथा घ में भर्ती	दिल्ली* को छोड़ कर अन्य संबंधित या कम** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अ०जा० एवं अ०ज०जा० की जनसंख्या के अनुसार		27%	100 प्वाइंट	निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार अ०जा०, अ०ज०जा० तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग रखे गये प्वाइंट		
ख पदोन्नतियां	15	$7\frac{1}{2}$	शून्य	40 प्वाइंट	6	3	

रोस्टरों का निरीक्षण

5.36 चूंकि आयोग के कार्यों में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए आरक्षण पर सरकार की नीति के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना शामिल है। अतः आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायों द्वारा रखे गए रोस्टरों की जांच करके कई अध्ययन किए। भारतीय खाद्य निगम (आंचलिक मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय) कॉफी बोर्ड, बेंगलूर कुद्रेमुख आयरन ओर बेंगलूर ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजन हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन, असम श्रमिक विद्यापीठ, कटक; आदि जैसे संगठनों द्वारा रखे गए रोस्टरों के निरीक्षण के दौरान जो सामान्य निष्कर्ष निकाले उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(1) भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय, मद्रास में आरक्षण समाप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया की उपेक्षा की गई। अ०ज०जा० के लिए आरक्षित जिन प्वाइंटों को निरंतर अगले तीन भर्ती वर्षों में आगे ले जाया जाना था उनको कुछ मामलों में अदल-बदल किया गया और अ०ज०जा० के ऐसे उम्मीदवार के दावों की उपेक्षा की गई जो बाद में उन पदों के पात्र हो सकते थे। अदला-बदली किए गए रिक्त पदों और समायोजित किए गए प्वाइंटों का कोई विवरण अभ्युक्ति के कॉलम में नहीं दिया गया था और वर्ष 1991 के पदोन्नति रोस्टर में की गई प्रविष्टियों पर न तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई सत्यापन किया गया था और न ही उन हस्ताक्षर किए गए थे।

**अ०जा० एवं अ०ज०जा० के कुल प्रतिशत के आधार पर।

*दिल्ली में अखिल भारतीय प्रतिशतता लागू होती है।

(2) कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूर में 40 प्वाइंट का एक रोस्टर (समूह घ पदों पर सीधी भर्ती के लिए) रखा गया था जो ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली से बाहर के समूह ग और घ के पदों पर भर्ती स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर की जाती है। यहां 100 प्वाइंट का एक रोस्टर रखा जाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पर्क अधिकारी द्वारा रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया जाता है। निरीक्षण संबंधी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

(3) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बेंगलूर में हर महीने आरक्षित रिक्तियों और नियुक्त किए गए अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की संख्या का सार एक अलग रजिस्टर में तैयार किया गया, जो ठीक नहीं है। ये सार भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार हर कैलेंडर वर्ष के अंत में एक ही रोस्टर रजिस्टर में तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक नियुक्ति के समक्ष नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(4) ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजन (असम), में अनारक्षण की निर्धारित प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आरक्षित रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया। रोस्टर रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। रोस्टर रजिस्टर का अभ्युक्ति कालम अधूरा था।

(5) ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजन ने निजी ठेकेदारों के माध्यम से दुलियाजन में बड़ी संख्या में कार्यरत ठेका मज़दूरों में से प्रति वर्ष 200 मज़दूरों को नियमित करने का निर्णय लिया है। उनमें शायद ही कोई अ०ज०/अ०ज०जा० का उम्मीदवार होगा। ठेके के मज़दूरों को नियमित करते समय आरक्षण कोटे की अनदेखी करने वाले इस संगठन से ठेका मज़दूरों को नियमित करते समय निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए कहा गया। प्राधिकारियों ने अनुदेशों की परवाह नहीं की।

(6) भारतीय खाद्य निगम आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी में केवल चयन ग्रेड तथा अंचल स्तर पर पदोन्नति के अन्य पदों के रोस्टर रखे गए तथा सीधी भर्ती के लिए कोई रोस्टर नहीं रखा गया। विभिन्न ग्रेडों के रखे गए रोस्टर रजिस्टर निर्धारित फार्मों में नहीं थे। स्थायी नियुक्तियों के लिए और उन अस्थाई नियुक्तियों के लिए जिनके स्थायी होने की संभावना है, पृथक रोस्टर रखने के लिए दिए गए अनुदेशों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया।

(7) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, गुवाहाटी में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए संयुक्त रोस्टर रखा गया, जो कि ग़लत था। रोस्टर रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों को नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। अनारक्षण की प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आरक्षित रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की पदोन्नति कर दी गई।

(8) श्रमिक विद्यापीठ, कटक ने आरक्षण नीति का पालन नहीं किया और कोई रोस्टर नहीं रखा। तथापि विद्यापीठ के निदेशक ने बाद में सूचित किया कि कार्यकारी समिति और प्रबंधन बोर्ड ने भविष्य में किए जाने वाले चयन के लिए आरक्षण प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्हें ऐसा पूर्वव्यापी प्रभाव से करना चाहिए।

(9) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एडं इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता में पदों का वर्गीकरण उचित प्रकार से नहीं किया गया तथा आरक्षित पदों को अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के लिए उन्हें अनारक्षित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनदेखा किया गया।

(10) प्रज्ञा टूल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद में पदोन्नति के रोस्टर मार्गनिर्देशों के अनुसार नहीं रखे गए थे।

5.37 यह देखा जा सकता है कि आयोग द्वारा जिन संगठनों की जांच की गई है उनमें रोस्टरों को कुल मिलाकर संतोषप्रद तरीके से नहीं रखा गया था। चूंकि रोस्टरों का रखरखाव अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए निर्धारित प्रतिशतता को कार्यान्वित करने पर सीधा प्रभाव डालना है, इसलिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनको मॉनीटर किए जाने पर ज़ोर देना चाहिए। यद्यपि आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते समय प्रत्येक संगठन के संपर्क अधिकारी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में रोस्टरों का निरीक्षण करने की आशा की जाती है, तो भी यह कार्य विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में औपचारिक रूप से किया जाता है और इस पद्धति के उद्देश्यों को अनदेखा किया जाता है। जिसके कारण सार्वजनिक उद्यम विभाग को 25-4-1991 को अनुदेश जारी करने पड़े जिनके अनुसार एक प्रणाली तैयार की गई जिसमें संबद्ध मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों में अ०जा० एवं अ०ज०जा० के संबंध में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए तथा साथ ही कार्यान्वयन की प्रगति से सचिव को अवगत कराने के लिए मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव को उत्तरदायी बनाया गया। इसी तरह से आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लोक उद्यम के मुख्य कार्मिक अधिकारी, चाहे वह बोर्ड स्तर पर हो या उससे निम्न स्तर पर, को जिम्मेवार ठहराया गया था। अब तीन वर्ष से अधिक हो गए हैं लेकिन कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। आरंभ की गई प्रणाली की उपयोगिता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब संयुक्त सचिव/मुख्य कार्मिक अधिकारी का पिछले वर्ष के दौरान हुई उपलब्धियों या किए गए उपचारात्मक उपायों पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के और राष्ट्रीय आयोग को पूरा ब्यौरा भेजे जाने के आदेश दिए जाते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें लिखना

5.38 गोपनीय रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है तथा यह अधिकारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मूलभूत और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। अतः जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जाती है उसको, रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को और पुनरीक्षण करने वाले अधिकारी को सम्बन्धित फार्म अत्यन्त ज़िम्मेदारी से भरना चाहिए। चूंकि अधिकतर अ०जा० और अ०ज०जा० के उम्मीदवारों का चयन प्रारम्भिक स्तर पर योग्यता में छूट देकर किया जाता है, (यह बात आज भी लागू होती है)। अतः जहां गोपनीय रिपोर्टों पर आधारित तुलनात्मक योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वहां यदि रिपोर्टें लिखने वाला अधिकारी उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं रखता है तो वे उच्च मूल्यांकन स्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और चयन मानदण्डों को पूरा करने में पिछड़ जाते हैं।

5.39 सामान्य पद्धति के अनुसार चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों के मामले में जिन कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाना है उनके बारे में साधारणतः उनकी मूल्यांकन रिपोर्टों या गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उन्हें चयन सूची में शामिल करने का विचार किया जाता है। पदोन्नति के लिए अयोग्य पाए गए कर्मचारियों को निकालने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति शेष पात्र कर्मचारियों को तीन वर्गों अर्थात् "अति उत्तम" "बहुत अच्छा" और "अच्छा" में विभाजित करती हैं। इस प्रकार कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन को ही योग्यता पर पदोन्नतियों का आधार बनाया जाता है। चूंकि चयन द्वारा उच्च स्तरों अर्थात् समूह "ग" से समूह "ख", समूह "ख" के अन्दर, तथा समूह "ख" से समूह "क" के निम्नतर पदों पर की जाने वाली पदोन्नतियों को आरक्षण योजना के अधीन शामिल नहीं किया गया था। अतः भारत सरकार ने जुलाई 1968 में यह निर्णय लिया कि सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या में सुधार करने के लिए एक उपाय के रूप में उनकी गोपनीय रिपोर्टों में उन्हें जो श्रेणी दी गई है उसे बढ़ा दिया जाए। तदनुसार विभागीय पदोन्नति समितियां पदोन्नति के लिए अयोग्य माने गए कर्मचारियों को निकालने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड के आधार पर उन्हें दिए गए ग्रेड से एक ग्रेड ऊपर देती थीं। समूह "ग" से समूह "ख", समूह "ख" के अन्दर और समूह "ख" से समूह "क" के निम्नतम पदों पर चयन के आधार पर पदोन्नतियां द्वारा भरे गए पदों में अ०जा० और अ०ज०जा० के आरक्षण को लागू करने के संबंध में 20.7.1994 को जारी किए गए अनुदेशों के पश्चात् अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों, अधिकारियों को अलग उच्च ग्रेड देने संबंधी पहले के अनुदेशों का निवर्तन कर दिया गया था।

5.40 यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि "औसत" रिपोर्ट प्राप्त करने वाले जिन अधिकांश अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों ने कष्ट निवारण के लिए आयोग से सम्पर्क किया उनका यह तर्क था कि उनकी गोपनीय रिपोर्टों में उन्हें इस आशय से निम्न श्रेणी दी जाती है कि उन्हें पदोन्नति स्तर पर एक ग्रेड ऊपर माना जाएगा। अ०जा० और अ०ज०जा० के कुछ अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जबकि पदोन्नति के आरक्षण शुरू करने के बाद "एक ग्रेड ऊपर" की रियायत को हटा दिया गया था लेकिन रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों का रवैया कुछ मामलों में वही बना हुआ है। कुछ मामलों में यह भी सम्भव है कि ऐसे कुछ मामलों में जिनमें अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों को आरक्षण प्रणाली के कारण अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा शीघ्र पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने की संभावना है, उन्हें औसत मूल्यांकन दिया जाता है ताकि वे आरक्षित पदों पर पदोन्नति प्राप्त न कर सकें। इस आशंका को दूर करने के लिए भारत सरकार को पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट से अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, पुनरीक्षण अधिकारी के लिए गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्र में एक ऐसा कालम शामिल करना पड़ा जिसमें वह रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के रवैये के बारे में टिप्पणी दे सकें।

5.41 गोपनीय रिपोर्ट लिखने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार केवल प्रतिकूल मूल्यांकन किए जाने पर ही इसकी सूचना कर्मचारियों को दी जाती है। सरकारी अनुदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि औसत मूल्यांकन को सम्बन्धित अधिकारी के लिए प्रतिकूल अभ्युक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही इसे अधिकारी के लिए प्रशंसात्मक रूप में माना जाता है क्योंकि औसत निष्पादन कार्य को नेमी और सामान्य माना जाना चाहिए। केवल वही निष्पादन कार्य जो "औसत" से उच्च है, वास्तव में विचारणीय है जो अधिकारी को सम्मान का हक़दार बनाता है तथा पदोन्नति जिसका उपयुक्त पुरस्कार है। इस प्रकार अ०जा० और अ०ज०जा० के अधिकारी, जिसे औसत मूल्यांकन दिया गया है, को पदोन्नत भी नहीं किया जाता है और न ही उसे उसकी कमियों और कमजोरियों के बारे में बताया जाता है ताकि वह भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित कर सके। अ०जा० और अ०ज०जा० की गोपनीय रिपोर्टों का मूल्याकंन उचित, न्यायसंगत और पक्षपात रहित सुनिश्चित करने के लिए गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रणाली का पुनरीक्षण और उसका समुचित संशोधन यह व्यवस्था करने के लिए किया जाना आवश्यक है कि पुनरीक्षण अधिकारी, औसत/प्रतिकूल मूल्याकंन प्राप्त करने वाले अ०जा० और अ०ज०जा० के अधिकारियों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित करेगा इससे अ०जा० और अ०ज०जा० के कर्मचारियों को अपनी स्थिति जानने का अवसर प्रदान करेगा और असंतुष्ट होने पर वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। गोपनीय रिपोर्टों के माध्यम से कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, वस्तुतः मानव संसाधन विकास का एक साधन है। अतः रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को यह महसूस करना चाहिए कि इसका उद्देश्य अधिकारी का विकास करना है ताकि अधिकारी अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सके। अतः रिपोर्ट लिखने वाले पुनरीक्षण अधिकारी को कार्य निष्पादन संबंधी कमियां बताते समय प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारी के विकास के सम्भव तरीके के बारे में भी सुझाव देना चाहिए।

संलग्नक 5. I

अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ का 1-1-1992 को सेवाओं में प्रतिनिधित्व

(क) केन्द्रीय सरकार

समूह	जोड़	अ॰जा॰	प्रतिशतता	अ॰ज॰जा॰	प्रतिशतता
क	65,456	6,331	9.7	1,914	2.9
ख	98,519	11,399	11.6	2,349	2.4
ग	23,34,003	3,68,494	15.8	73,739	3.2
घ (सफ़ाई कर्मचारियों को छोड़कर)	11,61,413	2,42,485	20.9	78,375	6.7
जोड़	36,59,391	6,28,709	17.18	1,56,377	4.2
सफ़ाई कर्मचारी	1,39,687	90,399	64.7	4,765	3.4
कुल जोड़	37,99,078	7,19,108	18.92	1,61,142	4.24

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(225 उपक्रमों से उपलब्ध सूचना)

समूह	जोड़	अ॰जा॰	प्रतिशतता	अ॰ज॰जा॰	प्रतिशतता
क	1,90,926	12,772	6.69	3,161	1.66
ख	1,61,569	14,899	9.92	4,765	2.95
ग	12,56,636	2,11,392	16.82	1,02,108	8.13
घ (सफ़ाई कर्मचारियों को छोड़कर)	5,43,519	1,26,358	23.25	52,758	9.71
जोड़	21,52,650	3,65,421	16.98	1,62,792	7.56
समूह घ सफ़ाई कर्मचारी	31,101	22,366	71.91	1,257	4.04
कुल जोड़	21,83,751	3,87,787	17.76	1,64,049	7.51

राष्ट्रीयकृत बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

समूह	कुल	अ०जा०	प्रतिशतता	अ०ज०जा०	प्रतिशतता
अधिकारी	2,40,979	26,811	11.12	7,519	3.12
लिपिक वर्गीय	4,69,835	67,278	14.31	21,434	4.55
अधीनस्थ कर्मचारी	1,76,693	38,831	21.97	10,246	5.79
जोड़	8,87,507	1,32,920	14.97	39,199	4.41
सफ़ाई कर्मचारी	35,511	19,076	63.71	1,682	4.73
कुल जोड़	9,23,018	1,51,996	16.46	40,881	4.43

कर्मचारियों की कुल संख्या (सफ़ाई कर्मचारियों को छोड़कर)

	जोड़	अ०जा०	प्रतिशतता	अ०ज०जा०	प्रतिशतता
भारत सरकार	36,59,391	6,28,709	17.18	1,56,377	4.2
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	21,52,650	3,65,421	16.98	1,62,792	7.56
बैंक	8,87,507	1,32,920	14.97	39,199	4.41
	66,99,548	11,27,050	16.82	3,58,368	5.35

कर्मचारियों की कुल संख्या (सफ़ाई कर्मचारियों को शामिल करके)

	कुल	अ०जा०	प्रतिशतता	अ०ज०जा०	प्रतिशतता
भारत सरकार	37,99,078	7,19,108	18.92	1,61,142	4.24
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	21,83,751	3,87,787	17.76	1,64,049	7.51
बैंक	9,23,018	1,51,996	16.46	40,881	4.43
कुल जोड़	69,05,847	12,58,981	18.23	3,66,072	5.30

स्रोतः केन्द्रीय सरकार के लिए—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए—लोक उद्यम ब्यूरो
राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए—वित्त मंत्रालय का बैंकिंग प्रभाग

संलग्नक 5.II

विशेष भर्ती अभियानों में अनु॰ जातियों/अनु॰ जनजातियों की भर्ती के ब्यौरे

विभाग	पिछले बकाया पदों का पता लगाया गया	जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव	पिछले पदों की प्रतिशतता
	विशेष भर्ती अभियान संख्या—1 (1989)		
(i) केन्द्रीय सरकार	35,647	31,253	87,00
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	11,000	8,125	73.90
(iii) बैंक	8,822	8,084	91.60
(iv) बीमा निगम	3,085	3,023	98.00
	58,554	50,485	86.22
	विशेष भर्ती अभियान संख्या—2 (1990)		
(i) केन्द्रीय सरकार	31,928	19,879	62.30
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	10,461	6,316	60.40
(iii) बैंक	3,142	2,197	69.90
(iv) बीमा निगम	1,028	1,023	99.50
	46,559	29,415	63.18
	विशेष भर्ती अभियान संख्या—3 (1991-92)		
(i) केन्द्रीय सरकार	13,556	8,811	65.00
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	12,149	7,195	57.00
(iii) बैंक	2,242	1,384	61.70
(iv) बीमा निगम	804	381	47.40
	28,751	17,771	61.81

स्रोतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

संलग्नक 5.III

खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के लिए मॉडल रोस्टर

1. अ० जा०
2. अनारक्षित
3. अ० ज० जा०
4. अनारक्षित
5. अ० पि० जा०
6. अनारक्षित
7. अ० जा०
8. अनारक्षित
9. अ० पि० जा०
10. अनारक्षित
11. अ० पि० जा०
12. अनारक्षित
13. अ० जा०
14. अनारक्षित
15. अ० पि० जा०
16. अनारक्षित
17. अ० ज० जा०
18. अनारक्षित
19. अ० पि० जा०
20. अनारक्षित
21. अ० जा०
22. अनारक्षित
23. अ० पि० जा०
24. अनारक्षित
25. अ० पि० जा०
26. अनारक्षित
27. अ० जा०
28. अनारक्षित
29. अ० पि० जा०
30. अनारक्षित
31. अ० ज० जा०
32. अनारक्षित
33. अ० पि० जा०
34. अनारक्षित
35. अ० ज० जा०
36. अनारक्षित
37. अ० पि० जा०
38. अनारक्षित
39. अ० पि० जा०
40. अनारक्षित
41. अ० जा०
42. अनारक्षित
43. अ० पि० जा०
44. अनारक्षित
45. अ० ज० जा०
46. अनारक्षित
47. अ० पि० जा०
48. अनारक्षित
49. अ० जा०
50. अनारक्षित
51. अ० पि० जा०
52. अनारक्षित
53. अ० जा०
54. अनारक्षित
55. अ० पि० जा०
56. अनारक्षित
57. अ० ज० जा०
58. अनारक्षित
59. अ० पि० जा०
60. अनारक्षित
61. अ० जा०
62. अनारक्षित
63. अ० पि० जा०
64. अनारक्षित
65. अ० पि० जा०
66. अनारक्षित
67. अ० जा०
68. अनारक्षित
69. अ० पि० जा०
70. अनारक्षित
71. अ० ज० जा०
72. अनारक्षित
73. अ० पि० जा०
74. अनारक्षित
75. अ० पि० जा०
76. अनारक्षित
77. अ० जा०
78. अनारक्षित
79. अ० पि० जा०
80. अनारक्षित

81. अ० जा०
82. अनारक्षित
83. अ० पि० जा०
84. अनारक्षित
85. अ० ज० जा०
86. अनारक्षित
87. अ० पि० जा०
88. अनारक्षित
89. अ० जा०
90. अनारक्षित
91. अ० पि० जा०
92. अनारक्षित
93. अ० जा०
94. अनारक्षित
95. अ० पि० जा०
96. अनारक्षित
97. अ० ज० जा०
98. अनारक्षित
99. अ० पि० जा०
100. अनारक्षित
101. अ० जा०
102. अनारक्षित
103. अ० पि० जा०
104. अनारक्षित
105. अ० पि० जा०
106. अनारक्षित
107. अ० जा०
108. अनारक्षित
109. अ० पि० जा०
110. अनारक्षित
111. अ० ज० जा०
112. अनारक्षित
113. अ० पि० जा०
114. अनारक्षित
115. अ० जा०
116. अनारक्षित
117. अ० पि० जा०
118. अनारक्षित
119. अ० पि० जा०
120. अनारक्षित
121. अ० जा०
122. अनारक्षित
123. अ० पि० जा०
124. अनारक्षित
125. अ० ज० जा०
126. अनारक्षित
127. अ० पि० जा०
128. अनारक्षित
129. अ० जा०
130. अनारक्षित
131. अ० पि० जा०
132. अनारक्षित
133. अ० जा०
134. अनारक्षित
135. अ० पि० जा०
136. अनारक्षित
137. अ० ज० जा०
138. अनारक्षित
139. अ० पि० जा०
140. अनारक्षित
141. अ० जा०
142. अनारक्षित
143. अ० पि० जा०
144. अनारक्षित
145. अ० पि० जा०
146. अनारक्षित
147. अ० जा०
148. अनारक्षित
149. अ० पि० जा०
150. अनारक्षित
151. अ० ज० जा०
152. अनारक्षित
153. अ० पि० जा०
154. अनारक्षित
155. अ० जा०
156. अनारक्षित
157. अ० पि० जा०
158. अनारक्षित
159. अ० पि० जा०
160. अनारक्षित

161. अ॰ जा॰
162. अनारक्षित
163. अ॰ पि॰ जा॰
164. अनारक्षित
165. अ॰ ज॰ जा॰
166. अनारक्षित
167. अ॰ पि॰ जा॰
168. अनारक्षित
169. अ॰ जा॰
170. अनारक्षित
171. अ॰ पि॰ जा॰
172. अनारक्षित
173. अ॰ जा॰
174. अनारक्षित
175. अ॰ पि॰ जा॰
176. अनारक्षित
177. अ॰ ज॰ जा॰
178. अनारक्षित
179. अ॰ पि॰ जा॰
180. अनारक्षित
181. अ॰ जा॰
182. अनारक्षित
183. अ॰ पि॰ जा॰
184. अनारक्षित
185. अ॰ पि॰ जा॰
186. अनारक्षित
187. अ॰ जा॰
188. अनारक्षित
189. अ॰ पि॰ जा॰
190. अनारक्षित
191. अ॰ ज॰ जा॰
192. अनारक्षित
193. अ॰ पि॰ जा॰
194. अनारक्षित
195. अ॰ जा॰
196. अनारक्षित
197. अ॰ पि॰ जा॰
198. अनारक्षित
199. अनारक्षित
200. अनारक्षित

संलग्नक 5. IV

खुली प्रतियोगिता से भरे जाने वाले पदों से भिन्न अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के लिए आदर्श रोस्टर

1. अ० जा०
2. अनारक्षित
3. अ० ज० जा०
4. अनारक्षित
5. अ० पि० जा०
6. अनारक्षित
7. अ० जा०
8. अनारक्षित
9. अ० पि० जा०
10. अनारक्षित
11. अ० पि० जा०
12. अनारक्षित
13. अ० जा०
14. अनारक्षित
15. अ० पि० जा०
16. अनारक्षित
17. अ० ज० जा०
18. अनारक्षित
19. अ० जा०
20. अनारक्षित
21. अ० पि० जा०
22. अनारक्षित
23. अ० पि० जा०
24. अनारक्षित
25. अ० जा०
26. अनारक्षित
27. अ० पि० जा०
28. अनारक्षित
29. अ० ज० जा०
30. अनारक्षित
31. अ० जा०
32. अनारक्षित
33. अ० पि० जा०
34. अनारक्षित
35. अ० पि० जा०
36. अनारक्षित
37. अ० जा०
38. अनारक्षित
39. अ० पि० जा०
40. अनारक्षित
41. अ० जा०
42. अनारक्षित
43. अ० ज० जा०
44. अनारक्षित
45. अ० पि० जा०
46. अनारक्षित
47. अ० जा०
48. अनारक्षित
49. अ० पि० जा०
50. अनारक्षित
51. अ० पि० जा०
52. अनारक्षित
53. अ० जा०
54. अनारक्षित
55. अ० पि० जा०
56. अनारक्षित
57. अ० ज० जा०
58. अनारक्षित
59. अ० जा०
60. अनारक्षित
61. अ० पि० जा०
62. अनारक्षित
63. अ० पि० जा०
64. अनारक्षित
65. अ० पि० जा०
66. अनारक्षित
67. अ० पि० जा०
68. अनारक्षित
69. अ० ज० जा०
70. अनारक्षित
71. अ० जा०
72. अनारक्षित
73. अ० पि० जा०
74. अनारक्षित
75. अ० पि० जा०
76. अनारक्षित
77. अ० जा०
78. अनारक्षित
79. अ० पि० जा०
80. अनारक्षित

81. अ० जा०
82. अनारक्षित
83. अ० ज० जा०
84. अनारक्षित
85. अ० पि० जा०
86. अनारक्षित
87. अ० जा०
88. अनारक्षित
89. अ० पि० जा०
90. अनारक्षित
91. अ० पि० जा०
92. अनारक्षित
93. अ० जा०
94. अनारक्षित
95. अ० पि० जा०
96. अनारक्षित
97. अ० ज० जा०
98. अनारक्षित
99. अ० जा०
100. अनारक्षित
101. अ० पि० जा०
102. अनारक्षित
103. अ० पि० जा०
104. अनारक्षित
105. अ० जा०
106. अनारक्षित
107. अ० पि० जा०
108. अनारक्षित
109. अ० जा०
110. अनारक्षित
111. अ० जा०
112. अनारक्षित
113. अ० पि० जा०
114. अनारक्षित
115. अ० पि० जा०
116. अनारक्षित
117. अ० पि० जा०
118. अनारक्षित
119. अ० पि० जा०
120. अनारक्षित

अ०जा० — अनुसूचित जातियां 20 प्वाइंट (16 $^{2}/_{3}$%)
अ० ज० जा० — अनुसूचित जनजातियां 9 प्वाइंट (7 $^{1}/_{2}$%)
अ० पि० जा० — अन्य पिछड़ी जातियां 31 प्वाइंट (25 $^{5}/_{6}$%)

संलग्नक 5.V

100 प्वाइंट वाले रोस्टर में अनु॰ जातियों, अनु॰ जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों को दर्शाने वाला आदर्श रोस्टर जहां स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की जाती है।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम अनु॰ जातियों/अनु॰ जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता		अनु॰ जातियों/अनु॰ जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 100—प्वाइंट रोस्टर में होने वाले स्थान
1.	2.	3.	4.
1.	**आन्ध्र प्रदेश** 15 अनु॰ जातियां/6 अनु॰ जनजातियां/27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 63, 69, 77, 83, 89 (15 प्वाइंट)
		अ॰ ज॰ जा॰	3, 23, 39, 59, 79, 95, (6 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33, 35, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 93 (27 प्वाइंट)
2.	**असम** 6 अनु॰ जातियां/11 अनु॰ जनजातियां/	-	3, 19, 33, 53, 73, 89 (6 प्वाइंट)
	27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ जा॰/ अ॰ ज॰ जा॰	1, 9, 21, 29, 39, 49, 57, 67, 75, 85, 93 (11 प्वाइंट)
		अ॰ पि॰ जा॰	5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 51, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 93 (27 प्वाइंट)
3.	**बिहार** 15 अनु॰ जातियां/9 अनु॰ जनजातियां/ 26 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ ज॰	1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 43, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89 (15 प्वाइंट)
		अ॰ ज॰ जा॰	3, 15, 25, 27, 37, 47, 59, 67, 79, 93 (9 प्वाइंट)
		अन्य पिछड़ी जातियां	5, 9, 11, 17, 21, 23, 29, 31, 41, 45, 49, 53, 55, 61, 65, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 97, 99 (26 प्वाइंट)
4.	**गुजरात** 7 अनु॰ जातियां /14 अनु॰ जनजातियां/ 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ जा॰	3, 17, 31, 45, 59, 73, 87 (7 प्वाइंट)
		अ॰ ज॰ जा॰	1, 7, 15, 21, 29, 35, 43, 49, 57, 63, 71, 77, 85, 91 (14 प्वाइंट)
		अ॰ पि॰ जा॰	5, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 55, 61, 65, 67, 69, 75, 79, 81, 89, 93, 95 (27 प्वाइंट)

1.	2.	3.	4.
5.	**हरियाणा** 19 अनु० जातियां/अनु० जनजातियां शून्य/ 27 अन्य पिछड़ी जातियां/	अ०जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85 (19 प्वाइंट)
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ०पि०जा०	3, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93 (27 प्वाइंट)
6.	**हिमाचल प्रदेश** 25 अनु० जातियां/5 अनु० जनजातियां/ 20 अन्य पिछड़ी जातियां/	अ०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 (25 प्वाइंट)
		अ०ज०जा०	3, 23, 43, 63, 83, (5 प्वाइंट)
		अ०पि०जा०	7, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 39, 47, 51, 55, 59, 67, 71, 75, 79, 87, 91, 95, 99 (20 प्वाइंट)
7.	**जम्मू और काश्मीर** 9 अनु० जातियां/ 13 अनु० जनजातियां 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	3, 15, 27, 37, 47, 59, 69, 83, 93 (9 प्वाइंट)
		अ० ज० जा०	1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97 (13 प्वाइंट)
		अ०पि०जा०	5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 29, 31, 35, 39, 43, 45, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 71, 75, 79, 85, 87, 91, 95, 99 (27 प्वाइंट)
8.	**कर्नाटक** 15 अनु० जातियां/ 5 अनु० जनजातियां/अनु० जनजातियां 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89, 89 (15 प्वाइंट)
		अ०ज०जा०	3, 29, 53, 79, 93 (5 प्वाइंट)
		अ०पि०जा०	5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 31, 35, 37, 41, 47, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 99 (27 प्वाइंट)
9.	**केरल** 10 अनु० जातियां 1 अनु० जनजातियां 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	1, 9, 19, 29, 39, 49, 69, 79, 89 (10 प्वाइंट)
		अ०ज०जा०	3 (1 प्वाइंट)
		अ०पि०जा०	5, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 99 (27 प्वाइंट)

1.	2.	3.	4.
10.	**मध्य प्रदेश** 14 अनु॰ जातियां / 23 अनु॰ जनजातियां 13 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87 (14 प्वाइंट)
		अ॰जा॰	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89 (23 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	7, 15, 27, 39, 47, 55, 67, 79, 91, 93, 95, 97, 99 (13 प्वाइंट)
11.	**महाराष्ट्र** 7 अनु॰ जातियां 9 अनु॰ जनजातियां 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	3, 17, 31, 45, 59, 73, 87 (7 प्वाइंट)
		अ॰ज॰जा॰	1, 11, 23, 33, 43, 55, 67, 79, 91 (9 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	5, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 69, 71, 75, 81, 83, 89, 93, 95, 99 (27 प्वाइंट)
12.	**मणिपुर** 1 अनुजाति / 27 अनु॰ जनजातियां / 22 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	3 (1 प्वाइंट)
		अ॰ज॰जा॰	1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97 (27 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99 (22 प्वाइंट)
13.	**मेघालय** 1 अनु॰ जातियां / 44 अनु॰ जनजातियां / 5 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	3 (1 प्वाइंट)
		अ॰ज॰जा॰	1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 (44 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	7, 25, 43, 57, 99 (5 प्वाइंट)
14.	**मिजोरम** शून्य अनु॰ जातियां / 45 अनु॰ जनजातियां / 5 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	शून्य
		अ॰ज॰जा॰	1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 99 (45 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	5, 53, 57, 91, 97 (5 प्वाइंट)
15.	**उड़ीसा** 15 अनु॰ जातियां 23 अनु॰ जनजातियां 12 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰जा॰	3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87, 95 (15 प्वाइंट)
		अ॰ज॰जा॰	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89 (23 प्वाइंट)
		अ॰पि॰जा॰	7, 15, 27, 39, 47, 55, 67, 79, 91, 93, 97, 99 (12 प्वाइंट)

1.	2.	3.	4.
16.	**पंजाब** 27 अनु० जातियां/शून्य अनु० जनजातियां/23 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97 (27 प्वांइट)
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ०पि०जा०	3,7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99 (23 प्वांइट)
17.	राजस्थान 17 अनु० जातियां/12 अनु० जनजातियां/ 21 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97 (17 प्वांइट)
		अ०ज०जा०	3, 11, 21, 27, 35, 45, 51, 59, 69, 75, 83, 93 (12 प्वांइट)
		अ०पि०जा०	5, 9, 15, 17, 23, 29, 33, 39, 41, 47, 53, 57, 63, 65, 71, 77, 81, 87, 89, 95, 99 (21 प्वांइट)
18.	**सिक्किम** 6 अनु० जातियां/23 अनु० जनजातियां/ 21 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	3, 23, 41, 59, 77, 93 (6 प्वांइट)
		अ०ज०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95 (23 प्वांइट)
		अ०पि०जा०	7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 43, 47, 51, 55, 63, 67, 71, 73, 81, 85, 89, 97, 99 (21 प्वांइट)
19.	**तमिलनाडु** 19 अनु० जातियां/1 अनु० जनजातियां/ 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91 (19 प्वांइट)
		अ०ज०जा०	3 (1 प्वांइट)
		अ०पि०जा०	7, 9, 13, 17, 23, 27, 29, 33, 37, 43, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 99 (27 प्वांइट)
20.	**त्रिपुरा** 15 अनु० जातियां/29 अनु० जनजातियां/ 6 अन्य पिछड़ी जातियां	अ०जा०	3, 11, 17, 23, 31, 37, 45, 53, 59, 65, 71, 77, 83 , 89, 95 (15 प्वांइट)
		अ०ज०जा०	1, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 81 85, 87, 91, 93 (29 प्वांइट)
		अ०पि०जा०	7, 25, 43, 57, 97, 99 (6 प्वांइट)
21.	**उत्तर प्रदेश** **21 अनु० जातियां/1 अनु० जनजातियां/27 अन्य पिछड़ी जातियां**	अ०जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 89, 95, 99 (21 प्वांइट)
		अ०ज०जा०	3 (1 प्वांइट)
		अ०पि०जा०	7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 33, 37, 39, 43, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 93, 97 (27 प्वांइट)

1.	2.	3.	4.
22.	**पश्चिम बंगाल** 22 अनु॰ जातियां/ 6 अनु॰ जनजातियां/ 22 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ जा॰	1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, (22 प्वाइंट)
		अ॰ ज॰ जा॰	3, 23, 43, 63, 85, 97 (6 प्वाइंट)
		अ॰ पि॰ जा॰	7, 11, 15, 19, 25, 29 33, 37, 41, 47, 51, 55, 59, 67, 71, 73, 77, 81, 89, 93, 95, 99 (22 प्वाइंट)
	संघ राज्य-क्षेत्र		
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	अ॰ जा॰	शून्य
	अनु॰ जातियां शून्य/ 12 अनु॰ जनजातियां	अ॰ ज॰ जा॰	1, 9, 17, 25, 33, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 93 (12 प्वाइंट)
	27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ पि॰ जा॰	3, 7, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 31, 35, 39, 45, 47, 53, 55, 61, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 85, 89, 95, 97, 99 (27 प्वाइंट)
2.	**चंडीगढ़** 14 अनु॰ जातियां/	अ॰ जा॰	1, 7, 15, 21, 29, 35, 43, 49, 57, 63, 71, 77, 85, 91 (14 प्वाइंट)
	अनु॰ जनजातियां शून्य/	अ॰ ज॰ जा॰	शून्य
	27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ पि॰ जा॰	3, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 81, 87, 89, 93, 95, 99 (27 प्वाइंट)
3.	**दादरा और नागर हवेली** 2 अनु॰ जातियां/ 43 अनु॰ जनजातियां/ 5 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ जा॰	3, 53 (2 प्वाइंट)
		अ॰ ज॰ जा॰	1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97 (43 प्वाइंट)
		अ॰ पि॰ जा॰	5, 49, 55, 95, 99 (5 प्वाइंट)
4.	**गोवा तथा दमन और दीव** 2 अनु॰ जातियां/	अ॰ जा॰	1, 49 (2 प्वाइंट)
	1 अनु॰ जनजातियां/	अ॰ ज॰ जा॰	3 (1 प्वाइंट)
	27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ पि॰ जा॰	5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 43 47, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 95, 99 (27 प्वाइंट)
5.	**दिल्ली**		अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के निर्धारित किए गए रोस्टरों को अपनाया जाएगा।

1.	2.	3.	4.
6.	**पांडिचेरी** 16 अनु॰ जातियां/ अनु॰ जनजातियां शून्य/ 27 अन्य पिछड़ी जातियां	अ॰ जा॰	1, 7, 11, 19, 25, 31, 37, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, (16 प्वाइंट)
		अ॰ ज॰ जा॰	शून्य
		अ॰ पि॰ जा॰	3, 5, 13, 15, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 61, 65, 67, 73, 77, 85, 89, 91, 95, 99, (27 प्वाइंट)

टिप्पणी: (1) अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और लक्षद्वीप के संबंध में विद्यमान आरक्षण रोस्टरों में कोई परिवर्तन नहीं है।

(2) दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षण रोस्टर वही होंगे जो गोवा के लिए होंगे।

(3) दिल्ली के लिए अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित किए गए अनुसार रोस्टर अपनाए जाएंगे।

अ॰ जा॰— अनुसूचित जायिां
अ॰ ज॰ जा॰—अनुसूचित जनजातियां
अ॰ पि॰ जा॰—अन्य पिछली जातियां

अध्याय 6

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

यह चिंता और खेद का विषय है कि हमारे समाज का सबसे कमज़ोर और दुर्बल वर्ग अभी भी भेदभाव, शोषण और अत्याचार जैसे जुल्मों को सह रहा है। उच्च वर्ग की जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की घटनाओं की सूचनायें अभी भी देश के अधिकांश हिस्सों से काफ़ी संख्या में मिल रही हैं। अनुसूचित जातियों और कुछ अनुसूचित जनजातियों के लोग सामाजिक भेदभाव के शिकार होते रहें हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुता सम्पन्न ऊँची जाति के लोगों ने उनके सामाजिक अस्तित्व में निर्योग्यतायें और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का कई प्रकार से सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जाता है जैसे कि उन्हें बंधुआ मज़दूर बना कर रखना, न्यूनतम मज़दूरी न देना, आम जनसुविधाओं, धार्मिक स्थलों के प्रयोग में भेदभाव बरतना आदि। जनसुविधाओं, धार्मिक स्थलों के प्रयोग में अस्पृश्य लोगों के साथ भेदभाव एक ऐतिहासिक तथ्य है और संविधान बनाते समय यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि इन घृणित प्रथाओं को ग़ैर-कानूनी घोषित किया जाय। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में यह उपबंध किया गया है कि कोई नागरिक होटलों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं होगा और पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में यह घोषित किया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। यह भी प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। समाज के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक शोषण की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 में एक प्रावधान किया गया जिसमें मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया गया और इस प्रावधान का किसी भी प्रकार का उल्लंघन अपराध घोषित किया गया जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

6.2 इन सांविधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए—

(1) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, जिसे बाद में संशोधित किया गया और इसका नाम बदल कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम निवारण, 1955 रखा गया

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989

(3) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

6.3 आम तौर पर यह माना जाता है कि अस्पृश्यता हिन्दू जाति व्यवस्था का ही फल है। कतिपय जातियों को जो गंदे पुश्तैनी व्यवसाय करती हैं, जैसे मैला ढोने, सड़क बुहारने, चर्मकारी, खाल उतारने, चर्मशोधन, चर्मकार्य आदि उन्हें अस्पृश्य माना गया है। उन्हें आम लोगों से अलग रखा गया और वे जातियां मुख्यधारा से दूर अलग समूहों में रहती थीं। उन्हें असंख्य निर्योग्यताएं सहनी पड़ी और मूल अधिकार नहीं दिए गए जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने, आम जल स्रोतों से पानी लेने, नाई और धोबी की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार और मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में प्रवेश की अनुमति भी उन्हें नहीं थी।

6.4 अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, अस्पृश्यता उत्सादन के सांविधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त रूप से कड़े नहीं थे और यह महसूस किया गया कि इन प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाने की जरूरत है जिसमें वे अधिक निवारक सिद्ध हो सकें।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

6.5 अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का नाम 1975 में बदल कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रख दिया गया। अस्पृश्यता के अपराध को अक्षम्य बनाने के लिए पूर्व अधिनियम में कई संशोधन भी किए गए। दंड के प्रावधान और अधिक कड़े किए गए। अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्मानों का भी प्रावधान किया गया और पश्चात्वर्ती दोष सिद्धि के मामले में बढ़े हुए दण्ड का भी प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता की प्रथा को रोकने के लिए कुछ अन्य सहबद्ध प्रावधान भी अधिनियम में किए गए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी क़ानून के तहत किसी व्यापार या नियोजन के लिए लाइसेंस है और उसे कोई माल बेचने

या कोई सेवा प्रदान करने से इंकार करने के जुर्म का दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसका वह लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। इसी प्रकार किसी ऐसे पूजा स्थल या किसी शैक्षिक संस्था या छात्रावास का प्रबंधक या न्यासी, जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त होता हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का सिद्ध दोषी पाया जाता है तो उसका अनुदान रोका जा सकता है।

6.6 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर जो अपराध करते हैं या अपराध के लिए दुष्प्रेरणा देते हैं या जो अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़वाने में अपनी शक्ति/अधिकार के तहत पूरी सहायता प्रदान नहीं करते हैं या ऐसे अपराध के कृत्य में वास्तविक साक्ष्य को दबाते हैं, सामूहिक जुर्माना लगाने का प्रावधान (धारा 10क) शामिल किया गया है।

6.7 धारा 15(क) में यह बात सुनिश्चित करने के संबंध में यथावश्यक उपाय करने का दायित्व राज्य सरकारों का है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के बाद मिले अधिकार उन व्यक्तियों को दिलवाए जायं जो अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न निर्योग्यता के शिकार हैं। यह कार्य विधिक सहायता देकर, अधिनियम के तहत मुक़दमों को चलाने या उन पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करके, विशेष न्यायालय गठित करके और ऐसे उपाय तैयार करने में या उन्हें लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों को निरूपित अथवा क्रियान्वित करने में सहायता देने के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियां गठित करके किया जा सकता था। केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों को समन्वित करने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करें और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की कार्यप्रणाली पर हर वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

6.8 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 दलित वर्ग के लोगों को सिविल अधिकार दिलवाने संबंधी सांविधानिक प्रावधान लागू करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उच्च वर्ग की जातियों द्वारा उन पर शोषण और अत्याचारों के अपराध की गुरूता के मामलों पर सामान्य दांडिक विधि के तहत कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन क्रूर घटनाओं के मामले फिर भी होते रहे जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जान-माल का नुक़सान होता रहा। दलित वर्ग पर विभिन्न प्रकार के अत्याचारों से संबंधित कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे उनके प्रति कुत्सित सामाजिक व्यवहार का पता चलता है जैसे उन्हें मल-मूत्र आदि अखाद्य पदार्थों को खाने-पीने के लिए मज़बूर करना, उनके परिसरों में कूड़ा-कचरा, मांस के लोथड़े या अन्य बेकार चीजें फेंकना, उनके पीने के पानी के स्रोत को प्रदूषित करना और उन पर झूठे केस बनाकर मुकदमे चलाना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के असंख्य मामले हैं लेकिन 'अत्याचार' की कोई सुदृढ़ या विधिक परिभाषा न होने के कारण सरकार को अत्याचारों के सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

6.9 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार संबंधी मुद्दों को कई मंचों पर उठाया जाता रहा है और संसद भी यह जानना चाहती थी कि ऐसे अत्याचारों की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे थे। चूंकि 'अत्याचार' शब्द की कोई परिभाषा नहीं की गई थी अतः अत्याचारों के मामले के बारे में सूचना देने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए मानदण्डों में एकरूपता नहीं थी। गृह मंत्रालय ने 4.3.1974 के अपने पत्र सं० III-11013/1/74-एन आई डी (ए) में राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे इन मामलों के संबंध में ब्यौरे भेजें— (क) हत्या, (ख) हिंसा जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट पहुंची हो, (ग) बलात्कार और (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संपत्ति के संबंध में गंभीर नुक़सान या आगजनी और इन अपराधों पर मासिक आधार पर आंकड़े एकत्र करने शुरू कर दिए जाएं। 10.3.1980 को केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों को अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचार की रोकथाम के संबंध में एक पत्र लिखा और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे राज्य तंत्र को इस संबंध में पहल करने और अनुसूचित जातियों के साथ उचित बर्ताव करने के लिए सक्रिया बनाएं और झगड़े के उन बुनियादी कारणों का अंत करके स्थायी हल निकालें जिनके कारण अत्याचार होते हैं।

6.10 अभी तक किए गए सभी उपाय अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचारों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नहीं पाए गए थे और अंततः अ०जा० और अ०ज०जा० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नामक एक क़ानून बनाया गया जिसमें पहली बार अ०जा० और अ०ज०जा० पर होने वाले अत्याचार को विधि अनुसार परिभाषित किया गया। इस अधिनियम में (जिसे इसके बाद पी०ए०ए० कहा गया है) कतिपय ऐसे अपराधों के लिए बढ़े हुए दण्ड का प्रावधान किया गया जिनके लिए भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों में दण्ड का प्रावधान तो था लेकिन वह अपराध का पर्याप्त रूप से निवारण नहीं कर पाया। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अ०जा०/अ०ज०जा० से भिन्न किसी जाति या सम्प्रदाय के सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा अधिनियम के तहत जानबूझकर ड्यूटी से लापरवाही बरतने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। उसमें उत्तरवर्ती दोषसिद्धि के लिए न्यूनतम दण्ड का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति क्षेत्र

से किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करने के बारे में भी एक प्रावधान किया गया है जिसे इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के दोषी पाए जाने की संभावना हो। विशेष न्यायालय खोलने का प्रावधान तथा विशेष लोक अभियोजक नियोजित करने का प्रावधान भी क़ानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम की एक प्रति संलग्नक-6.I में संलग्न है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन पंजीकृत मामलों की समीक्षा और उनके निपटान का स्वरूप

6.11 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पर कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष 1989 और 1990 की वार्षिक रिपोर्टों में अस्पृश्यता अपराधों की प्रवृत्ति और उनके निपटान के स्वरूप के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। कुछ संगत तथ्य निम्नलिखित हैं :

6.12 देश में वर्ष 1988 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों की संख्या 3,712 थी जो 1989 में थोड़ा बढ़ कर 3,730 हो गयी। 1990 में ऐसे मामलों की संख्या कम हो कर 3,373 हो गयी। अधिकांश मामले इन राज्यों में पंजीकृत हुए—**तमिलनाडु** (886), **कर्नाटक** (833), **मध्य प्रदेश** (444), **आंध्र प्रदेश** (393) और **उत्तर प्रदेश** (386)।

6.13 वर्ष 1989 के दौरान सबसे अधिक पंजीकृत 759 मामले कर्नाटक के थे उसके बाद **तमिलनाडु** (660), आंध्र प्रदेश (465), **मध्य प्रदेश** (410), **बिहार** (371) और **उत्तर प्रदेश** (353) के मामले थे। यह उल्लेखनीय है कि देश में अधिकांश पंजीकृत मामले तीन दक्षिण राज्यों—**तमिलनाडु, कर्नाटक** और **आंध्र प्रदेश** के थे। तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1988, 1989 और 1990 में इन तीनों राज्यों में पंजीकृत मामले देश में कुल पंजीकृत मामलों के क्रमशः 57.36%, 50.51% और 53.28% रहे। **असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा** और **चंडीगढ़** से किसी मामले की सूचना नहीं मिली जबकि **दिल्ली** और **गोवा** में पाँच-पाँच मामले पंजीकृत हुए तथा 1990 के दौरान दो मामले **जम्मू** और **काश्मीर** में पंजीकृत हुए।

6.14 वर्ष 1990 के दौरान देश में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों के निपटान की स्थिति की दुखद तस्वीर नजर आती है। वर्ष 1990 में न्यायालयों में 9,144 मामलों में से उस वर्ष न्यायालयों द्वारा केवल 1,033 मामलों (11.3%) का निपटान किया जा सका। केवल 127 मामले में (12.29%) दोषसिद्धि हो पाए और 87.71% मामलों में लोग दोषमुक्त हुए। इस स्थिति को प्रत्यक्षतः देखने से पता चलता है कि अभियोग चलाने वाले अभिकरण ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने में अपेक्षित इच्छा और रुचि नहीं दिखाते।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

6.15 अत्याचार निवारण अधिनियम और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों को निवारक, एहतियाती और सुधारक उपाय करने होंगे। पीड़ितों और उनके परिवारों की मुश्किलों को दूर करने के लिए राहत और पुनर्वास उपाय भी किए जाने चाहिए। लेकिन केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा से पता चलता है कि इस संबंध में अभी कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है।

6.16 यद्यपि (अत्याचार निवारण) अधिनियम में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अत्याचार/अस्पृश्यता के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करेंगे लेकिन अभी तक केवल **आंध्र प्रदेश** और **राजस्थान** ने ही ऐसे न्यायालय खोले हैं। आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार **आन्ध्र प्रदेश** में तीन और **राजस्थान** में इस प्रकार के छह विशिष्ट न्यायालय खोले गये हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में अत्याचारों/अस्पृश्यता के मामलों को अन्य मामलों के साथ-साथ निपटाने के लिए विद्यमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर दिया गया है, फलस्वरूप अत्याचार के मामलों को अन्य मामलों से प्राथमिकता नहीं मिल पाती। अतः विशेष न्यायालय खोलने का मक़सद पूरा नहीं हो पाता।

6.17 निवारक/एहतियाती उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को अत्याचारों/अस्पृश्यता की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करना होगा। आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार **बिहार, हिमाचल प्रदेश** और **तमिलनाडु** ने ऐसे सर्वेक्षण करवाये हैं। केवल सात राज्यों ने जैसे कि **बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र** और **पंजाब** ने 48 ज़िलों में अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। अ०जा०/अ०ज०जा० पर अत्याचार की रोकथाम के लिए अक्टूबर, 1991 में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफ़ारिश की गई थी कि केवल अत्याचार की समस्या को निपटाने के लिए हर अत्याचार की संभावना वाले ज़िले में एक संयुक्त कलक्टर नियुक्त किया जाये लेकिन केवल **आंध्र प्रदेश** सरकार ने तीन ज़िलों में ऐसे संयुक्त कलेक्टर नियुक्त किये हैं।

6.18 विशेष पुलिस थाने खोलने से अ०जा० और अ०ज०जा० के विरुद्ध किए गए अपराधों को तुरंत दर्ज करवाने में मदद मिलती है और उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। यद्यपि ऐसे विशेष पुलिस स्टेशन कुछ राज्यों में खोल दिये गये हैं लेकिन उनकी कार्य प्रणाली अभी तक भी संतोषप्रद नहीं है। ऐसे पुलिस थाने पर्याप्त नहीं हैं और न ही उनमें काम करने के लिए समुचित स्टाफ़ और सुविधायें हैं। उदाहरण के लिए **बिहार** में केवल 11 अनुसूचित जाति/आदिवासी पुलिस थाने कार्यरत हैं और सूचना मिली है कि 14 और ऐसे पुलिस

स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। चूंकि एक से अधिक ज़िलों के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन होता है अतः अ०जा०/अ०ज०जा० पीड़ितों को अ०जा०/अ०ज०जा० पुलिस थानों में अपने मामले दर्ज करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अतः अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए विशेष पुलिस स्टेशन खोलने का प्रयोजन ही पूरा नहीं हो पाता।

6.19 अत्याचार रोकथाम अधिनियम का प्रयोजन ऐसी स्थितियां और प्रणालियां उत्पन्न करना है कि जिनसे अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचार के मामले कम हो जायें और अंततः पूरी तरह समाप्त हो जायें। लेकिन अभी तक के अनुभव से पता चला है कि यद्यपि दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस और प्रशासन मामलों पर कार्रवाई करते हैं लेकिन प्रशासन तंत्र से जुड़ी अन्य प्रणाली जैसे राज्यों और जिलों में उच्च स्तरीय समितियों को, क्रियाशील करने के लिए बहुत कम काम हुआ है। इन समितियों को केवल सुसंगत विधियों के अधीन अपराधों के आंकड़ों की यांत्रिक रूप से समीक्षा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि लोगों को क़ानून और कतिपय अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था के बारे में बताने के लिए उनके स्तर पर सार्थक तन्त्र बनाने के लिए विचार मंच के रूप में काम करना चाहिए। क़ानून की शिक्षा देने की प्रक्रिया में मुख्य कार्य स्तर पर ही कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए जैसे कि पुलिस स्टेशन में पुलिस कार्मिक को शामिल किया जाए।

राहत और पुनर्वास

6.20 अ०जा० और अ०ज०जा० के लोग पहले से ही सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए उन पर होने वाले अत्याचारों के अपराध कर्म से उनके दुःख और बढ़ जाते हैं। अ०जा० और अ०ज०जा० के अत्याचार पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है और पुनर्वास उपाय किये जाते हैं। वर्ष 1975 से पहले यह स्कीम केवल कुछ राज्यों द्वारा चलाई गई थी और पीड़ितों को उनके द्वारा वहन किए गए नुक़सान का पूरा मुआवज़ा नहीं दिया जाता था। 1978 तक केवल नौ राज्य अर्थात् **आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** ही अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान कर रहे थे। राहत की दर बहुत कम होती थी तथा **बिहार** को छोड़कर किसी भी राज्य में बलात्कार पीड़ित को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाता था। **आंध्र प्रदेश** ऐसा अग्रणी राज्य है जहां अत्याचार पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपाय करने तथा मृतक की विधवा को भूमि, घर और अन्य परिसम्पत्तियां देने, उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और मृतक के परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोज़गार प्रदान करने आदि की सुविधायें दी जाती थीं।

6.21 1981 के दौरान पूर्ववर्ती अ०जा० और अ०ज०जा० आयोग ने यह सिफ़ारिश की थी कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के अत्याचार पीड़ितों को एक समान आर्थिक लाभ और पुनर्वास सुविधायें प्रदान की जायें। मृत्यु और स्थायी रूप से अपंगता के लिए 10,000/-रु० की आर्थिक राहत की सिफ़ारिश की गई थी और बलात्कार के लिए 5,000/-रु० की सिफ़ारिश की गई थी। पूर्ववर्ती आयोग द्वारा अत्याचार पीड़ितों के लिए भी सिफ़ारिश की गई थी। राहत और पुनर्वास की दर **जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल** को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाई गई लेकिन इन तीन राज्यों ने यह निर्णय लिया कि यह स्कीम तभी स्वीकार की जायेगी जब पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाये। राज्य सरकारें आर्थिक राहत की राशि निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं। मूल्यों में सामान्य वृद्धि को देखते हुए आर्थिक राहत राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार **गुजरात, कर्नाटक, केरल** और **उड़ीसा** ने आर्थिक राहत की राशि बढ़ा दी है। **गुजरात** सरकार ने मृत्यु के मामले में आर्थिक राहत 1,00,000/रु० निर्धारित की है। विभिन्न वर्गों में उनके द्वारा दी जाने वाली राहत की दर निम्नानुसार है—

सारणी 1

क्रम सं०	अत्याचार/वहन की गई हानि किस प्रकार की है	आर्थिक राहत की राशि
1.	हत्या	1,00,000 रु०
2.	स्थायी विकलांगता	25,000 रु०
3.	अस्थायी विकलांगता	5,000 रु०
4.	गंभीर चोट	5,000 रु०
5.	बलात्कार	10,000 रु०
6.	मकान की तबाही	15,000 रु० की सीमा तक वास्तविक नुक़सान के बराबर रक़म
7.	अचल परिसम्पत्ति का नुक़सान	5,000 रु०

क्रम सं॰	अत्याचार/वहन की गई हानि किस प्रकार की है	आर्थिक राहत की राशि
8.	आय उत्पादक सम्पत्ति का नुक़सान जैसे पशु, नाव, वाहन आदि	10,000 रु॰
9.	चल परिसम्पत्ति का नुक़सान	5,000 रु॰
10.	सिंचाई कुओं, फलदायक वृक्षों आदि को क्षति	वास्तविक नुक़सान के बराबर राशि (1,000/-रु॰ का तत्काल भुगतान किया जायेगा)

कर्नाटक सरकार ने भी विभिन्न प्रकार के नुक़सानों के लिए राहत की राशि बढ़ा दी है और मृत्यु एवं स्थाई रूप से अपंगता के मुआवज़ों की राशि 50,000/-रु॰ निर्धारित कर दी है। बलात्कार पीड़ित के लिए 10,000/-रु॰ की राशि मंज़ूर की जाती है। **केरल** और **उड़ीसा** में मृत्यु और स्थाई रूप से अपंगता के मामलों में आर्थिक राहत की रकम 10,000/-रु॰ से बढ़ा कर क्रमशः 25000/रु॰ और 20,000/-रु॰ कर दी गई है।

6.22 कई राज्यों में अब सामुदायिक और जातिवादी दंगों में मारे गये व्यक्ति के परिवार को राहत के रूप में कम से कम एक लाख रुपये की राशि दी जाने लगी है। अतः ग़ैर-अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्तियों द्वारा अत्याचार के मामले में मारे गए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये देना उपयुक्त होगा विशेष रूप से जब मृतक व्यक्ति कमाने वाला सदस्य हो या कमाने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

केंद्रीय सरकार की भूमिका

6.23 अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और केंद्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों का समन्वयन करना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 21(4) के तहत केंद्र सरकार को इस धारा के प्रावधान के अनुपालन में स्वयं उसके द्वारा राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखनी होती है। अधिनियम की धारा 23 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनायेगी। यद्यपि अत्याचार निवारण अधिनियम सितम्बर, 1989 में बनाया गया था, किंतु अभी तक कोई नियम अधिसूचित नहीं किये गये हैं।

6.24 अत्याचार निवारण अधिनियम तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कल्याण मंत्रालय 50:50 आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 4.23 करोड़ रु॰ की राशि (2.29 करोड़ रु॰ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए तथा 1.94 करोड़ रु॰ अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए दी गई थी। वर्ष 1991-92 के दौरान 15 राज्यों तथा **पांडिचेरी** संघ राज्य क्षेत्र को 6.09 करोड़ रु॰ (सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए 2.07 करोड़ रु॰ तथा अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 4.02 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान दिया गया। कल्याण मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने वर्ष 1990-91 और वर्ष 1991-92 में अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए इस प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं की तथा ऐसी सहायता के लिए बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त हुए। वर्ष 1992-93 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जो राशि दी गई उसका ब्यौरा संलग्नक 6.II में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 14 राज्यों **(आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल)** को 2,16,54,500 रु॰ की राशि दी गई जबकि अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए उपर्युक्त 14 राज्यों में से 10 राज्यों को 3,33,45,500 रु॰ की राशि दी गई है। अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए **महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब तमिलनाडु** तथा **पांडिचेरी** को कोई अनुदान नहीं दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए राजस्थान ने कोई अनुदान नहीं लिया। आयोग को खेद है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के महत्व को नहीं समझा, और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कल्याण मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लिया।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामले

6.25 कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर होने वाले अत्याचार के मामलों पर आंकड़ों का संग्रह और संकलन करता है। वर्ष 1992 के दौरान देश में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचार के मामलों की संख्या के बारे में पूरी सूचना आयोग के पास उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान देश में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचार के मामलों के ब्यौरे क्रमशः संलग्नक 6-III, 6-IV, और 6-V, में दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन तथा अत्याचारों को रोकने के लिए किए गए उपायों के बावजूद अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लोगों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसकी संख्या 1989 में 19,422 थी जो वर्ष 1990 में बढ़कर 21,245 तथा 1991 में बढ़ कर 22,424 हो गई है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनायें

6.26 भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989, 1990 और वर्ष 1991 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित के अनुसार है—

सारणी 2

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अत्याचारों के मामलों की संख्या		
		1989	1990	1991
1.	आंध्र प्रदेश	511	603	660
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	17	30	14
4.	बिहार	997	744	511
5.	गोवा	2	—	5
6.	गुजरात	593	788	1101
7.	हरियाणा	77	81	68
8.	हिमाचल प्रदेश	79	53	25
9.	जम्मू और काश्मीर	155	38	43
10.	कर्नाटक	490	686	732
11.	केरल	616	648	650
12.	मध्य प्रदेश	4226	5210	5432
13.	महाराष्ट्र	363	489	573
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिज़ोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	365	480	362
19.	पंजाब	21	—	—
20.	राजस्थान	1588	1591	2098
21.	सिक्किम	3	—	—
22.	तमिलनाडु	482	544	553
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	5195	5670	4798
25.	पश्चिम बंगाल	13	6	9
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	दादरा और नागर हवेली	—	1	1
28.	दमण और दीव	—	—	—
29.	दिल्ली	5	5	6
30.	पांडिचेरी	1	—	5
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
	योग	15799	17667	17646

6.27 भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों की संख्या 17645 (दादरा और नागर हवेली का एक मामला छोड़कर) थी। विभिन्न राज्यों में हुए अत्याचार के मामलों की तुलनात्मक तस्वीर देखने के लिए अत्याचारों की संख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्या को परस्पर सम्बद्ध करना होगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की अनुसूचित जाति की प्रति लाख जनसंख्या पर हुए अयाचारों के मामलों की संख्या नीचे सारणी में अवरोही क्रम में दी गई है—

सारणी 3

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य-प्रदेश	वर्ष 1991 के दौरान अनुसूचित जाति पर अत्याचारों की संख्या	प्रति एक लाख अनुसूचित जाति जनसंख्या पर अत्याचार
1.	मध्य प्रदेश	5432	56.42
2.	गुजरात	1,101	35.97
3.	राजस्थान	2,098	27.57
4.	केरल	650	22.51
5.	गोवा	5	20.52
6.	उत्तर प्रदेश	4,798	16.38
	सम्पूर्ण भारत में	**17,645**	**12.77**
7.	कर्नाटक	732	9.93
8.	उड़ीसा	362	7.05
9.	महाराष्ट्र	573	6.54
10.	आंध्र प्रदेश	860	6.23
11.	तमिलनाडु	553	5.16
12.	पांडिचेरी	5	4.57
13.	बिहार	511	4.06
14.	हरियाणा	68	2.09
15.	हिमाचल प्रदेश	25	1.90
16.	असम	14	0.84
17.	दिल्ली	6	0.33
18.	पश्चिम बंगाल	9	0.05

6.28 वर्ष 1989, 1990, 1991 के दौरान भारत सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है—

सारणी 4

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अत्याचार के मामलों की संख्या		
		1989	1990	1991
1.	आंध्र प्रदेश	79	108	129
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	—	—
3.	असम	18	33	6
4.	बिहार	102	24	14
5.	गोवा	1	—	—
6.	गुजरात	129	123	203
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	3
9.	जम्मू और काश्मीर	—	—	3
10.	कर्नाटक	87	44	46
11.	केरल	155	108	102
12.	मध्य प्रदेश	2163	2356	3265
13.	महाराष्ट्र	214	207	285
14.	मणिपुर	—	5	5
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिज़ोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	5	—	—
18.	उड़ीसा	217	97	164
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	420	450	539
21.	सिक्किम	7	—	—
22.	तमिलनाडु	1	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	9	12	8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	दादरा और नागर हवेली	7	11	6
28.	दमण और दीव	—	—	—
29.	दिल्ली	—	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
	योग	3623	3578	4778

6.29 भारत सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की अत्याचार के मामलों की कुल संख्या 4,778 थी। विभिन्न राज्यों में अत्याचार की घटनाओं की तुलनात्मक तस्वीर देखने के लिए हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति लाख अनुसूचित जनसंख्या पर अत्याचार के मामलों की संख्या निम्नलिखित सारणी के अवरोही क्रम में दी गई है—

सारणी 5

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वर्ष 1991के दौरान अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की संख्या	प्रति लाख अ०ज०जा० जनसंख्या पर अत्याचार
1.	केरल	102	31.77
2.	मध्य प्रदेश	3,265	21.20
3.	राजस्थान	539	9.84
	संपूर्ण भारत	**4778**	**7.05**
4.	दादरा और नागर हवेली	6	5.48
5.	महाराष्ट्र	285	3.89
6.	गुजरात	203	3.29
7.	आंध्र प्रदेश	129	3.07
8.	कर्नाटक	46	2.40
9.	उड़ीसा	164	2.33
10.	हिमाचल प्रदेश	3	1.37
11.	मणिपुर	5	0.79
12.	बिहार	14	0.21
13.	पश्चिम बंगाल	8	0.21
14.	असम	6	0.21

6.30 आश्चर्यजनक बात यह है कि केरल में जहां उच्चतम साक्षरता दर 84.81% (अखिल भारतीय औसत 52.21% की तुलना में) होने के बावजूद वहां अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचारों की संख्या सबसे अधिक है। या तो वहां साक्षरता और अच्छे सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई संबंध नहीं है अथवा आंकड़े इसलिए अधिक हैं क्योंकि वहां अधिक संख्या में मामलों की रिपोर्ट की गई है। बहरहाल, इसका अधिक विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है।

6.31 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान अ०जा० एवं अ०ज०जा० पर किए गए अत्याचारों की संख्या का अपराधवार वर्गीकरण इस प्रकार है—

सारणी 6

क्रम सं०	**मामलों का प्रकार**	**रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या**								
		1989			**1990**			**1991**		
		अ०जा०	**अ०ज०जा०**	**जोड़**	**अ०जा०**	**अ०ज०जा०**	**जोड़**	**अ०जा०**	**अ०ज०जा०**	**जोड़**
1.	हत्या	556	96	652	584	124	708	610	146	756
2.	गंभीर चोट	1630	190	1820	1691	259	1950	1706	320	2026
3.	बलात्कार	830	343	1173	885	339	1224	784	334	1118
4.	आगजनी	730	51	754	589	59	658	802	70	672
5.	अन्य अपराध	12080	2943	15023	13098	2797	15895	13944	3908	17852
	जोड़	15799	3623	19422	16857	3578	20835	17646	4778	22424

6.32 उल्लेखनीय है कि वर्ष 1989 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की कुल संख्या 15,794 थी। वर्ष 1990 में यह बढ़कर 16,857 तथा 1991 में बढ़कर 17,646 हो गई। अनुसूचित जनजातियों के मामले में अत्याचारों की संख्या वर्ष 1989 के दौरान 3,623 थी जो वर्ष 1990 में घटकर 3,578 रह गई। किंतु वर्ष 1991 में 4,778 मामले दर्ज किए गए। इस प्रकार पूरे वर्ष में 25.1% की वृद्धि हुई। वर्ष 1991 में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर अत्याचार के अधिकतम मामले की सूचना **मध्यप्रदेश** से प्राप्त हुई। अनुसूचित जाति के मामले में अत्याचारों की संख्या **उत्तर प्रदेश** में (4798) और **मध्यप्रदेश** में (5432) है जो उस वर्ष पूरे देश में अ॰जा॰ पर हुए अत्याचारों के कुल मामलों का 58% है। **मध्य प्रदेश** में अ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचारों की संख्या भी अधिकतम (3265) है, उसके बाद **राजस्थान** (539), **महाराष्ट्र** (285), **गुजरात** (203), **उड़ीसा** (164) **आंध्र प्रदेश** (129), तथा **केरल** (102) राज्य आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचारों की कुल संख्या का लगभग 68.3% **मध्य प्रदेश** का है।

6.33 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अन्य अपराधों के अंतर्गत अ॰जा॰/आ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचार के मामले वर्ष 1991 में अत्याचारों के कुल मामलों का 79.6% है, जबकि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध 4.90% तथा 3.37% है। अनुसूचित जातियों पर होने वाले चार प्रकार के गंभीर अत्याचारों का ब्यौरा इस प्रकार है—गंभीर चोट (1706), बलात्कार (784), हत्या (610) और आगजनी(602) अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यह ब्यौरा इस प्रकार है बलात्कार (334), भारी चोट (320), हत्या (146) तथा आगज़नी (70)।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान अत्याचार के मामलों की जांच

6.34 प्रेस के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अ॰जा॰ तथा अ॰ज॰जा॰ पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं को बारे में आयोग को जब भी और जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पीड़ितों अथवा उनके परिवारों को पुनर्वास मुहैया कराने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई तथा मामले की छानबीन करने, अभियुक्त को गिरफ़्तार करने तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगी गई। गंभीर किस्म के कुछ मामलों में बेतार संदेशों के माध्यमों से विस्तृत रिपोर्ट के लिए राज्य तथा ज़िला प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया और हत्या तथा सामूहिक रूप से किए गए अत्याचारों के मामलों में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से मौके पर जांच करने के लिए और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

6.35 वर्ष के दौरान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचार के मामलों में से 59 मामलों में मौके पर जाकर जांच की गई। किंतु 14 मामलों में की गई जांच से आयोग को अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ पर किए गए किसी भी अत्याचार का पता नहीं चला। अत्याचारों के शेष 45 मामलों की सूची संलग्नक 6-VI में दी गई है तथा इनमें से 12 गंभीर मामलों के संक्षिप्त विवरण संलग्नक 6.VII में दिए गए हैं। इन 45 मामलों का विश्लेषण करने से अपराध की प्रवृत्ति, अत्याचार के कारणों, ज़िला प्राधिकारियों की भूमिका, पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता तथा पुनर्वास कार्यों आदि की जानकारी मिलती है। अत्याचार के इन 45 मामलों में से अ॰जा॰ के 36 व्यक्तियों तथा अ॰ज॰जा॰ के 9 व्यक्तियों से संबंधित हैं। इन 45 मामलों के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं—

राजस्थान	10	पंजाब	2
मध्यप्रदेश	6	उत्तर प्रदेश	2
कर्नाटक	6	असम	1
आंध्र प्रदेश	3	हरियाणा	1
तमिलनाडु	4	हिमाचल प्रदेश	1
बिहार	3	केरल	1
गुजरात	2	पश्चिम बंगाल	1
महाराष्ट्र	1	दिल्ली	1

इन 45 मामलों का अपराध-वार ब्यौरा इस प्रकार है—

हत्या	22
हमला	9
बलात्कार	5
आगजनी	3
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अन्य अपराध	6

22 मामले व्यक्तिगत रूप से किए गए अत्याचारों के हैं और 23 मामले सामूहिक रूप से किए गए अत्याचारों के।

6.36 अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर होने वाले अत्याचारों का कारण है उनका सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, सभी मोर्चों पर उनकी दुर्बलता, उच्च जातियों की दमनकारी प्रवृत्ति एवं मनोवृत्ति है। ये जातियां शताब्दियों से शोषितों का शोषण करती आ रही हैं। अ॰जा॰ छुआछूत की बुरी प्रथा की शिकार रही हैं तथा उन्होंने उस से उत्पन्न सामाजिक निर्योग्यता को भोगा है। वे प्रायः भूमिहीन होते हैं और खेतिहर मज़दूरों के रूप में अपनी आजीविका के लिए ग़ैर-अनुसूचित जाति के जमींदारों पर निर्भर रहते हैं। अ॰जा॰ द्वारा झेली जा रही आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक भेदभाव के कारण वे इसके आसानी से शिकार हो जाते हैं।

6.37 अ०जा० के विपरीत अ०ज०जा० सामान्यतः दूर दराज के पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों में रहती हैं। निरक्षरता, ग़रीबी तथा भौगोलिक अलगाव के कारण वे ग़ैर-जनजातीय साहूकारों, व्यापारियों, वन कर्मचारियों, पुलिस तथा आबकारी कर्मचारियों के शोषण का शिकार बन जाते हैं और इस तरह उन पर अत्याचार होते हैं।

6.38 आयोग द्वारा जांच किए गए 45 मामलों में अत्याचार के कारणों को नीचे सारणी में वर्गीकृत किया गया है—

सारणी 7

अत्याचार के कारण	मामलों की संख्या
(क) आर्थिक कारण	
(1) भूमि संबंधी झगड़े	6
(2) न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान न करना, बलात् श्रम एवं बंधुआ मज़दूरी का विरोध करना	3
(3) फ़सल नष्ट किए जाने के विरोध में अ०जा० के लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर ग़ैर-अ०जा० के लोगों द्वारा बदला लिया जाना	1
(4) मंदिर के चन्दे के हिस्से के संबंध में विवाद	1
(5) आटो रिक्शा के ग़ैर-अ०जा० के मालिक को रिक्शा के किराए के पैसों का भुगतान न किए जाने के आरोप में झगड़ा	1
(6) कुएं के क़ानूनी अधिकार पर झगड़ा	1
(ख) अस्पृश्यता (छुआछूत) और सामाजिक असमर्थताएं	
(1) भैंसे की बलि देने की परंपरागत जातिगत सेवा प्रदान करने से मना करना	1
(2) ग़ैर-अ०जा० जाति के मुहल्ले के पास की भूमि पर अ०जा० के लोगों द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमा की स्थापना	1
(3) साझे हैंड पम्प से जल भरने को मना करना	1
(4) अ०जा० की महिलाओं से छेड़खानी करना/उनकी जाति का नाम ले-लेकर गाली देना	3
(5) चाय की दुकान में भेदभावपूर्ण बरताव	1
(6) साइकिल पर चढ़कर ग़ैर-अ०जा० के व्यक्ति से टकराना	1
(ग) अन्य कारण	
(1) पुलिस कर्मचारियों द्वारा अत्याचार	10
(2) चोरी का संदेह	5
(3) वन कर्मचारियों द्वारा अत्याचार	2
(4) व्यक्तिगत शत्रुता	1
(5) अकस्मात भड़काना	1
(6) ग़ैर-अ०जा० के प्रभुत्ता सम्पन्न लोगों द्वारा अ०जा० का दमन	1
(7) मकान मालिक द्वारा किराए पर दिए गए मकान से अ०जा० के व्यक्ति को ज़बरदस्ती निकालना	1
(घ) बलात्कार के मामले	5

6.39 अत्याचार निवारण अधिनियम के बनाए जाने से अन्य समुदायों द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० पर अत्याचार के अपराधों के लिए दांडिक प्रावधान पर्याप्त रूप से कड़े कर दिए गए हैं। इस क़ानून के पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन अभी इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता लेकिन उपलब्ध सूचना से यह नहीं लगता कि स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अत्याचार के अधिकांशतः मामले गांवों में होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ कर बड़े शहर कमोवेश इस समस्या से मुक्त हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के अ०जा०/अ०ज०जा० निवासी अधिक शिक्षित हैं, उनकी समाजिक-आर्थिक दशा बेहतर है वहां जातियां समूहों में नहीं रहती और विधि प्रवर्तन एजेंसियां तत्काल उपलब्ध होती हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन जटिल होता है और एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है अतः मात्र कतिपय क़ानून बना देने से विकृत मानसिक प्रवृत्ति को दूर नहीं किया जा सकता है और इस अहसास को समाप्त नहीं किया जा सकता कि वे क़ानून की गिरफ़्त से छूट जायेंगे। इसलिए, जो भी प्रभावी उपाय किए जाएंगे उन्हें इन दो बुनियादी समस्याओं को सुलझाना होगा। दूसरे शब्दों में, अत्याचारों की घटनाओं को कम करने के लिए शिक्षा, जागरूकता की भावना, आर्थिक स्थिति में सुधार यथासंभव कम से कम समय में अपराधियों को पकड़ने का तंत्र बनाना जैसे उपाय अनिवार्यतः करने होंगे।

6.40 यद्यपि अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर अत्याचारों का मूल कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा है किन्तु आयोग द्वारा मौके पर की गई जांचों से पता चलता है कि अत्याचार उन कार्यकर्ताओं द्वारा भी किए गए हैं जिनसे उनकी रक्षा करने की उम्मीद की जाती है। ऐसे मामलों में पुलिस हिरासत में मौत, पुलिस द्वारा गोली चलाना, पुलिस द्वारा यातना देना, पुलिस द्वारा बलात्कार तथा पुलिस की ग़लती के कारण हुए अन्य अपराध और अत्याचार की घटनाएं शामिल हैं। 45 मामलों में से 12 मामले (26.7%) पुलिस तथा वन कर्मचारियों द्वारा अत्याचार के हैं, यह तथ्य चौंकाने वाला है। निम्नलिखित मामले, अत्याचारों को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई न किए जाने की पुलिस की ग़लती को दर्शाते हैं।

6.41 दिनांक 3-6-92 को **कर्नाटक** के गुलबर्ग ज़िले में (अगाली गांव में हुए जाति संघर्ष) (मामला सं॰ 13) में घटना को रोकने में पुलिस की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, इस घटना में अ॰जा॰ के 3 लोग मारे गये और छः घायल हो गए थे। यद्यपि 1-6-92 को ग़ैर-अ॰जा॰ के लोगों द्वारा अ॰जा॰ के लोगों पर हमला किया गया और उन्होंने लक्ष्मी यात्रा उत्सव के दौरान पुलिस संरक्षण मांगा था, किंतु तहसीलदार के आदेशों के बावजूद पुलिस उन्हें संरक्षण प्रदान करने में असफल रही। यदि समय पर एहतियाती कार्रवाई की गई होती तो 3-6-92 की घटना को रोका जा सकता था। **राजस्थान** के भरतपुर ज़िले के कुम्हेर (मामला सं॰ 36) में जाट और जाटवों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप अ॰जा॰ के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए तथा बड़े पैमाने पर अ॰जा॰ के लोगों की सम्पत्ति नष्ट हुई, इस घटना से भी समय पर कार्रवाई करने में पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की घोर लापरवाही तथा उदासीनता का पता चलता है। **महाराष्ट्र** में अकोला ज़िले के अकोट ताल्लुके में एक पुलिस इंस्पेक्टर अ॰जा॰ और गैर-अ॰जा॰ के व्यक्तियों के बीच झगड़ा होने की खबर मिलने के तत्काल बाद वहां नहीं पहुंच पाया और पुलिस ने उपखंड मजिस्ट्रेट (एस॰डी॰एम॰) से आदेश प्राप्त किए बिना ही गोली चलाने की कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप अ॰जा॰ के एक व्यकित सहित तीन व्यक्ति मारे गए। **मध्य प्रदेश** के शिवपुरी ज़िले के निचरौली गांव में कुछ अ॰जा॰ की स्त्रियों को अ॰जा॰ के लोगों द्वारा निर्वस्त्र करने तथा वहां के अ॰जा॰ के निवासियों को मल खाने पर मज़बूर करने की घटना (मामला सं॰ 21) में, पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा अभियुक्त को पकड़ने की तत्काल कार्रवाई करने में असफल रहे। हालांकि अ॰जा॰ के लोगों को 11-5-92 को पीटा गया था किंतु उनकी डाक्टरी जांच 20-5-92 को कराई गई।

6.42 अत्याचार की निम्नलिखित आठ घटनाओं में अ॰जा॰ / अ॰ज॰जा॰ के व्यक्तियों की मृत्यु के लिए पुलिस ज़िम्मेदार थी। ये घटनायें हैं— **असम** गोलपाड़ा ज़िले में एक आदिवासी युवक की मृत्यु (मामला सं॰ 1). **कर्नाटक** के गुलबर्ग ज़िले में देवल गंगापुर में पुलिस की गोली से अ॰जा॰ के तीन लोगों का मारा जाना। (मामला सं॰ 16), **मध्य प्रदेश** के बिलासपुर ज़िले के बांधा गांव में, (मामला सं॰ 23), बैतूल ज़िले के गजपुर गांव में (मामला सं॰ 24), तथा सरगुजा ज़िले के रामचंद्रपुर गांव में (मामला सं॰ 25), अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के व्यक्तियों की पुलिस की हिरासत में मृत्यु, **पंजाब** के पटियाला ज़िले के लालरू थाने में पुलिस की हिरासत में मृत्यु (मामला सं॰ 26), तथा **हिमाचल प्रदेश** के सोलन ज़िले के नलवा गांव में (पुलिस कांस्टेबल द्वारा अ॰जा॰ के एक व्यक्ति की मृत्यु (मामला सं॰ 11), तथा **राजस्थान** के बांसवाडा ज़िले के झारगांव में अ॰जा॰ के एक व्यक्ति की मृत्यु (मामला सं॰ 37), पुलिस द्वारा अत्याचार के अन्य मामले इस प्रकार हैं। **हरियाणा** के रेवाड़ी ज़िले के भाटसन गांव के एक अनुसूचित जाति के युवक को बधियाकरण (मामला सं॰ 10), केरल के तिरूवनन्तपुरम ज़िले के कमलककम के वन अधिकारियों द्वारा एक आदिवासी लड़की और उसके माता-पिता पर किया गया हमला (मामला सं॰ 18), और पुलिस तथा **तमिलनाडु** के धर्मपुरी ज़िले के वचाथी गांव में वन अधिकारियों द्वारा अ॰ज॰जा॰ के व्यक्तियों पर किया गया अत्याचार (मामला सं॰ 39)।

6.43 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ करने, मामले की जांच पड़ताल करने, और अभियुक्त की गिरफ़्तारी करने में विलम्ब करना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम की संगत धाराओं को लागू न करना और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने में विलम्ब करना ये सभी बातें अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए पुलिस की ओर से होने वाली चूक का परिचायक हैं। **आंध्र प्रदेश** के हैदराबाद ज़िले के हॉकिम पेट गांव में (मामला सं॰ 3), ग़ैर-अ॰जा॰ के व्यक्तियों ने उनकी भैंसों की चोरी करने के संदेह पर अ॰जा॰ के एक व्यक्ति को यातना दी और उसे लोहे की गरम सलाख से दागा। इस मामले में कथित राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस द्वारा, आठ में से केवल तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया। इसी प्रकार की एक और घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के चौपरवा गांव में हुई (मामला सं॰ 42), जिसमें अ॰जा॰ के एक व्यक्ति और उसके पुत्र की, अ॰जा॰ के कुछ व्यक्तियों की सहायता से ग़ैर-अ॰जा॰ के एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई और उन्हें आग में जला दिया गया। यद्यपि मृतक की पत्नी ने, मुख्य अभियुक्त के रूप में ग़ैर-अ॰ जा॰ के व्यक्ति के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने अपराधी को बचाने और इसे अत्याचार का मामला न बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट में से उसका नाम निकाल दिया।

6.44 इन 45 मामलों के संबंध में की गई जांच पड़ताल की रिपोर्टों की समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि पुलिस ने केवल छह मामलों में ही अत्याचार निवारण अधिनियम की संगत धाराओं को लागू किया। तीन मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिए गए, लेकिन यह पता नहीं चला कि अत्याचार निवारण अधिनियम की उपयुक्त धाराओं को लागू किया गया अथवा नहीं। 33 मामलों में अत्याचार अधिनियम की संगत धाराओं को लागू नहीं किया गया और 3 मामलों में उस अधिनियम की असंगत धाराओं का उल्लेख किया गया था। पुलिस अत्याचार के 12 मामलों में से किसी में भी दोपी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 को लागू नहीं

किया गया। **तमिलनाडु** के नेल्लाई कट्टाबोम्मन ज़िले के कुरिजाकुलम गांव में हुई गुट संघर्ष की घटना (मामला सं० 41), में स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर का शामिल होना साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसने ग़ैर-अ०जा० के व्यक्ति को अ०जा० के व्यक्ति को उत्पीड़ित करने के लिए उकसाया और मामले को समय से निपटाने में राजस्व अधिकारियों की ओर से भी उदासीनता बरती गई। 1988 से ही गांव के अ०जा० और ग़ैर-अ०ज०जा० के व्यक्तियों के बीच दुर्भावना बनी हुई थी। अ०जा० के मुहल्ले से जुड़ी हुई सरकारी भूमि पर ग़ैर-अ०जा० के लोगों द्वारा ऊपर वाली पानी की टंकी के निर्माण का अ०जा० के व्यक्तियों ने विरोध किया था लेकिन जब उसी भूमि पर अ०जा० के व्यक्तियों ने अपने देवता की मूर्ति स्थापित की तो ग़ैर-अ०जा० के व्यक्तियों ने 14-3-92 को अ०जा० के व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें से चार की जानें गईं और दो व्यक्ति घायल हो गए। यदि यह मामला चार वर्ष की लंबी अवधि में निपटा दिया गया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हुई होती।

6.45 स्थानीय प्रशासन की उदासीनता कुम्हेर और **राजस्थान** के भरतपुर ज़िले के आस-पास के गांवों में (मामला सं० 36) की घटनाओं में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। जाटवों (अ०जा०) और जाटों (ग़ैर-अ०जा०) के बीच हुए संघर्ष में अ०जा० के 13 व्यक्तियों की जानें गईं, 27 घायल हुए और नौ व्यक्ति लापता हो गए। पशु धन और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं सहित अ०जा० के 180 व्यक्तियों के लगभग 500 घर जला दिए गए। पुलिस द्वारा अ०जा० के व्यक्तियों की इस शिकायत को दर्ज करने से इंकार करने पर कि उनकी विवाह की शोभा यात्रा को जाटों के गांव से होकर जाने की अनुमति नहीं दी गई, अ०जा० के व्यक्तियों को क्रोधित कर दिया, जिससे 1-6-92 से 7-6-92 तक उनके और जाटों के बीच संघर्ष चलते रहे। प्रारंभिक स्तर पर तनाव पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कोई पूर्वोपाय नहीं किए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई संसदीय समिति (1992-93) ने "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर किए जाने वाले अत्याचार और उनके प्रति किए जाने वाले सामाजिक अपराधों के पैटर्न पर दी गई अपनी 23वीं रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि कुम्हेर में स्थानीय ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक में इतना साहस नहीं था कि वे ग़ैर-अ०जा० के व्यक्तियों को अ०जा० के व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोक पाते। ग़ैर-अ०जा० के शक्ति सम्पन्न व्यक्ति, अधिकारियों पर अपना प्रभाव डालते रहे और स्थानीय अधिकारियों की पूरी जानकारी में ये घटनायें होती रहीं।

राहत और पुनर्वास उपाय

6.46 अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को अपने भरण-पोषण के लिए तात्कालिक सहायता की आवश्यकता होती है। परिवार के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु और उन्हें लगी चोटों के परिणामस्वरूप उनकी स्थाई रूप से विकलांगता, आगजनी और अन्य माध्यमों से घरों, फ़सल और अन्य सम्पत्ति का नुक़सान, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार आदि की घटनायें उन्हें आर्थिक दृष्टि से तहस-नहस करने के साथ-साथ उनके मनोबल को भी तोड़ देती हैं। अत्याचार के शिकार अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को तुरंत आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुविधायें देने की आवश्यकता को गंभीरता से महसूस किया गया है और इसीलिए इस संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में एक प्रावधान किया गया है। यद्यपि अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 21(iii) में अत्याचार के शिकार अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक पुनर्वास पर ज़ोर दिया गया है, तथापि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने और उनके पुनर्वास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। ऊपर उदधृत अत्याचार के 45 मामलों में से दस मामलों में अत्याचार के शिकार अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई, छह मामलों में कोई पुनर्वास सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, सात मामलों में न तो कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई और न ही कोई पुनर्वास कार्य किया गया; तीन मामलों में, आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की गई, और एक मामले में दी गई आर्थिक सहायता अपर्याप्त थी। 1992-93 के दौरान **उत्तर प्रदेश** में अत्याचार के शिकार अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को प्रदान की गई पुनर्वास सुविधाओं के संबंध में प्राप्त सूचना रहस्योद्घाटक है। आयोग के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (विशेष जांच विंग) लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान अ०जा० और अ०ज०जा० पर किए गए अत्याचार के 3183 मामलों में से केवल 160 मामलों (5.03%) में पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की गई।

सिफ़ारिशें

6.47 आयोग ने निम्नलिखित प्रेक्षण और सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं—

(1) यह सर्वविदित है कि अ०जा० और अ०ज०जा० से संबंधित अत्याचार के मामलों में शिकायत दर्ज करने में स्थानीय पुलिस की ओर से अनिच्छा दिखाई जाती है। सामान्यतः अत्याचार के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन दूरवर्ती स्थान पर होते हैं और अ०जा०/अ०ज०जा० के पीड़ित व्यक्तियों के लिए उतनी दूर जाकर शिकायत दर्ज कराना कठिन होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी शिकायतें पुलिस द्वारा दर्ज की जाएं, सुझाव दिया गया है कि जिन स्थानीय डाकघरों में तार सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां के पोस्टमास्टरों को अत्याचार के शिकार व्यक्तियों की शिकायतें दर्ज करने और उन्हें तार से, सरकारी खर्चे पर, संबंधित थानों में भेजने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट संबंधित थाने में करने के लिए ग्राम-पंचायत की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो पोस्टमास्टर अथवा ग्राम-पंचायत (प्रधान) को (चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए) अवैतनिक पुलिस अधिकारी घोषित किया जा सकता है।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधी बच न पाएं पुलिस द्वारा मामले की पूरी तरह छानबीन की जानी चाहिए और उसमें अभियोजन अधिकारियों द्वारा सक्षमता पूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन मामलों में तकनीकी आधार पर अथवा प्रशासनिक या अन्य ग़लतियों के कारण अपराधियों को दोषमुक्त कर दिया जाता है, उनमें सरकारी अभियोजक को मामले की पुनः जांच करनी चाहिए और अ०जा०/अ०ज०जा० के पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए अपील फाइल करनी चाहिए।

(3) अनु०जाति/अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 हाल ही में अधिनियमित किया गया है अतः पुलिस अधिकारियों सहित बहुत से कार्यकर्ता, इसके प्रावधानों से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। पुलिस में इस विधि की जानकारी देने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अ०जा०/अ०ज०जा० पर होने वाले अत्याचारों के विषय को विभागीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में और उनके अभिन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए।

(4) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याचार की घटनायें अधिक होती हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए जनसंचार के माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता की बुराइयों के खिलाफ़ प्रचार करने के लिए और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करने के लिए स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को भी प्रेरित किया जाए।

(5) राज्य सरकारों को निवारक उपाय के रूप में अत्याचार होने की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए और ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय करने चाहिए। अत्याचार प्रवण क्षेत्र वाले ज़िलों में विशेष कलक्टरों की नियुक्ति की जा सकती है ताकि समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जा सके।

(6) सामान्यतः अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों पर अत्याचार उनके और अन्य लोगों के बीच होने वाले ज़मीन के झगड़े, न्यूनतम मज़दूरी के लिए उनकी मांग और मुक्त बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ़ उनके रोष के कारण होते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन, अ०जा० और अ०ज०जा० के सामने आने वाली इन समस्याओं को सुलझाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें, ताकि ऐसी संभावित घटनाओं को शुरू में ही दबाया जा सके।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार के विशेष न्यायालयों की स्थापना केवल **राजस्थान** और **आंध्र प्रदेश** में की गई है। अन्य राज्यों में, कुछ मौजूदा सत्र न्यायालयों को, उनके सामान्य कामकाज के अतिरिक्त अत्याचार संबंधी अपराधों पर विचारण करने का अधिकार दिया गया है। इससे, विलम्ब से बचने के लिए अधिनियम में किए गए विशेष प्रावधान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। संबंद्ध राज्य सरकारें यथाशीघ्र विशेष न्यायालय स्थापित करें।

(8) राज्य सरकारें, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुविधायें प्रदान करती है। अधिकांश मामलों में नियत किए गए आर्थिक सहायता के मान एक दशक से भी पुराने हैं और वर्तमान समय में पूर्णतया अपर्याप्त हैं और इन्हें संशोधित कर बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। **गुजरात, केरल, कर्नाटक** और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में मुआवज़े की दरों को हाल ही में संशोधित किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में पुराने मान ही चल रहे हैं। कुछ राज्यों में सामुदायिक अथवा जातीय दंगों में मारे जाने वाले व्यक्ति के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए यह न्यायोचित होगा कि अत्याचार के मामले में मारे जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिये जायें, विशेष रूप से तब, जब मारा गया व्यक्ति परिवार का कमाऊ सदस्य रहा हो अथवा कमाने के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह योग्य रहा हो। जिन राज्यों में अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुविधायें प्रदान करने की पद्धति को नहीं अपनाया गया हो उन्हें भी इसे जल्द ही अपनाना चाहिए।

(9) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई संसदीय समिति ने अपनी ग्यारहवीं और सत्ताइसवीं रिपोर्ट में (आठवीं लोक सभा) "अत्याचार" के विषय को गृह मंत्रालय को फिर से सौंपने की सिफ़ारिश की है। 29-4-93 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर किए जाने वाले अत्याचार और उनके प्रति किए जाने वाले सामाजिक अपराधों का पैटर्न" पर दी गई अपनी तेईसवीं रिपोर्ट में समिति ने पुनः यह बात दोहराई है कि गृह मंत्रालय को "अत्याचारों" के विषय के लिए यथाशीघ्र सम्बद्ध (नोडल) मंत्रालय बनाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में संसदीय समिति की सिफ़ारिशों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है।

. रजिस्ट्री सं० डी(डीएन) 127/88 संलग्नक—6.I REGISTERED NO. D(DN) 127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग-II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 1989/भाद्र 21, 1911
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1989/BHADRA 21, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि तथा न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, सितम्बर 12, 1989/भाद्र 21, 1911 (शक) संसद के निम्नलिखित अधिनियम को सितम्बर 11, 1989 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और एतद्द्वारा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है—

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(1989 का अधिनियम संख्यांक 33)

[11 सितम्बर, 1989]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

कर्त्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड

4. कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड

5. कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना

6. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34. अध्याय 3. अध्याय 4. अध्याय 5. अध्याय 5क धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

कतिपय व्यक्तियों की सम्पत्ति का समपहरण

7. जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्ध है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अपराधों के बारे में उपधारणा

8. इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति की, या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

शक्तियों का प्रदान किया जाना

9. (1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह—

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,

किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय 3

निष्कासन

ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है

10. (1) जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगा।

किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया

11. (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है—

(क) निदेश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है; या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है।

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूति सहित या उसके विना, बंधपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निदेश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर, ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना

12. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अन्तर्गत नेगेटिव भी हैं) नष्ट कर दिए जांएगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था।

धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति

13. वह व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से, दंडनीय होगा।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय

14. राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी। विशेष न्यायालय

15. राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। विशेष लोक अभियोजक

अध्याय 5

परकीर्ण

16. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उस वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे सम्बद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति

17. (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार-बार आते-जाते हैं इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की सम्भावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करेंगे।

18. संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना

19. संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है। इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना। इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना

20. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या ऐसी किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना

21. (1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों। अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित हो सकेगा—

(i) ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अन्तर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों, जिनके अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी हैं, यात्रा और भरणपोषण के व्यय की व्यवस्था;

(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्वार की व्यवस्था;

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(v) ऐसे समुचित स्तरों पर, जो राजय सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करना;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और ऐसे उपाय करना जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट रखेगी।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

22. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

23. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त, आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वी० एस० रमा देवी,
सचिव, भारत सरकार

संलग्नक 6. II

1992-93 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत राज्यवार दी गई राशि दर्शाने वाला विवरण

(राशि रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	अत्याचार निवारण अधिनियम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3,00,000	43,50,000
2.	बिहार	7,00,000	8,00,000
3.	गुजरात	26,52,000	51,81,500
4.	हरियाणा	2,48,000	3,57,000
5.	हिमाचल प्रदेश	1,00,000	4,000
6.	कर्नाटक	12,35,200	10,00,000
7.	केरल	5,68,500	2,00,000
8.	मध्य प्रदेश	1,00,000	1,00,00,000
9.	महाराष्ट्र	35,24,712	—
10.	उड़ीसा	3,00,000	—
11.	पंजाब	12,00,000	—
12.	राजस्थान	—	49,03,000
13.	तमिलनाडु	90,60,500	—
14.	उत्तर प्रदेश	1,00,000	65,00,000
15.	पश्चिम बंगाल	3,91,000	50,000
16.	पांडिचेरी	11,74,588	—
कुल		2,16,54,500	3,33,45,500

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम + अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुल जोड़ 5,50,00,000 रु०

संलग्नक 6.III

1989 के दौरान अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर हुए अत्याचार संबंधी मामलों का अपराधवार विवरण

अपराध का स्वरूप और रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	हत्या			गंभीर चोट			बलात्कार			आगजनी			अन्य आई पी सी			पंजीकृत किए गए कुल मामले		
	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आन्ध्र प्रदेश	41	7	48	162	19	181	52	8	60	10	5	15	246	40	286	511	79	590
2. अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	6	6	—	9	9
3. असम	2	4	6	—	—	—	3	2	5	—	1	1	12	11	23	17	18	35
4. बिहार	56	7	63	83	2	85	52	37	89	88	1	89	718	55	773	997	102	1099
5. गोवा	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3
6. गुजरात	14	8	22	64	21	85	16	26	42	12	4	16	487	70	557	593	129	722
7. हरियाणा	1	—	1	1	—	1	17	—	17	3	—	3	55	—	55	77	—	77
8. हिमाचल प्रदेश	1	—	1	9	—	9	6	—	6	3	—	3	60	—	60	79	—	79
9. जम्मू और काश्मीर	2	—	2	33	—	33	7	—	7	5	—	5	108	—	108	155	—	155
10. कर्नाटक	8	3	11	16	—	16	12	4	16	23	—	23	431	80	511	490	87	577
11. केरल	8	2	10	18	—	18	33	3	36	15	1	16	542	149	691	616	155	771
12. मध्य प्रदेश	74	38	112	171	77	248	225	203	428	65	19	84	3691	1826	5517	4226	2163	6389
13. महाराष्ट्र	19	9	28	31	19	50	18	18	36	10	8	18	285	160	445	363	214	577
14. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. नागालैण्ड	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	5	5
18. उड़ीसा	4	4	8	5	1	6	11	8	19	17	4	21	328	200	528	365	217	582
19. पंजाब	5	—	5	—	—	—	10	—	10	—	—	—	6	—	6	21	—	21
20. राजस्थान	34	11	45	136	44	180	97	24	121	57	7	64	1264	334	1598	1588	420	2008
21. सिक्किम	—	1	1	—	4	4	—	—	—	1	1	2	2	1	3	3	7	10
22. तमिलनाडु	15	—	15	12	—	12	14	—	14	32	—	32	409	1	410	482	1	483
23. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	270	—	270	886	—	886	252	—	252	362	—	362	3425	—	3425	5195	—	5195
25. पश्चिम बंगाल	1	—	1	3	1	4	3	6	9	—	—	—	6	2	8	13	9	22
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—		—	—	2	2	—	—	—	—	5	5	—	7	7
28. दमण और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	3	5	—	5
30. पांडिचेरी	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
31. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	556	96	652	1630	190	1820	830	343	1173	703	51	754	12080	2943	15023	15799	3623	19422

स्रोतः कल्याण मंत्रालय

संलग्नक 6.IV

1990 के दौरान अ०जा० और अ०ज०जा० के संबंध में अत्याचार का अपराधवार विभाजन दर्शाने का विवरण

अपराध का स्वरूप और रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या			गंभीर चोट			बलात्कार			आगजनी			अन्य आई पी सी अपराध			पंजीकृत किए गए कुल मामले		
	अ०जा०	अ०ज० जा०	कुल	अ०जा०	अ०ज० जा०	कुल	अ०जा	अ०ज० जा०	कुल	अ०जा०	अ०ज० जा०	कुल	अ०जा०	अ०ज० जा०	कुल	अ०जा०	अ०ज० जा०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आन्ध्र प्रदेश	56	13	69	157	26	183	64	19	83	10	2	12	316	48	364	603	108	771
2. असम	1	4	5	3	1	4	1	8	9	1	1	2	24	19	43	30	33	63
3. बिहार	41	4	45	43	—	43	71	8	79	55	2	57	534	10	544	744	24	768
4. गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. गुजरात	18	8	26	71	17	88	14	14	28	16	7	23	669	77	746	788	123	911
6. हरियाणा	4	—	4	9	—	9	17	—	17	1	—	1	50	—	50	81	—	81
7. हिमाचल प्रदेश	3	—	3	3	—	3	3	—	3	—	—	—	44	—	44	53	—	53
8. जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	35	—	35	38	—	38
9. कर्नाटक	21	1	22	42	2	44	23	7	30	19	1	20	581	33	614	686	44	730
10. केरल	12	2	14	13	2	15	29	7	36	12	—	12	582	97	679	648	108	756
11. मध्य प्रदेश	81	62	143	295	151	446	252	223	475	82	31	113	4500	1889	6389	5210	2356	7566
12. महाराष्ट्र	18	12	30	58	7	65	25	15	40	4	6	10	384	167	551	489	207	696
13. मणिपुर	—	1	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	1	—	5	5
14. उड़ीसा	7	2	9	13	3	16	17	6	23	13	—	13	430	86	516	480	97	577
15. राजस्थान	30	14	44	167	49	216	97	23	120	62	8	70	1235	356	1591	1591	450	2041
16. तमिलनाडु	25	—	25	5	—	5	15	—	15	27	—	27	472	—	472	544	—	544
17. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उत्तर प्रदेश	265	—	265	812	—	812	254	—	254	297	—	297	4042	—	4042	5670	—	5670
19. पश्चिम बंगाल	2	1	3	—	1	1	—	5	5	—	1	1	4	4	8	6	12	18
20. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10	11	1	11	12
22. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	5	—	5
23. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	584	124	708	1691	259	1950	885	339	1224	599	59	658	13908	2797	16705	17667	3578	21245

स्त्रोतः कल्याण मंत्रालय

संलग्नक 6.V

1991 के दौरान अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के संबंध में अत्याचार का अपराधवार विभाजन दर्शाने का विवरण

अपराध का स्वरूप और रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या			गंभीर चोट			बलात्कार			आगजनी			अन्य आई पी सी अपराध			पंजीकृत किए गए कुल मामले		
	अ॰जा॰	अ॰ज॰ जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰ जा॰	कुल	अ॰जा	अ॰ज॰ जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰ जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰ जा॰	कुल	अ॰जा॰	अ॰ज॰ जा॰	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आन्ध्र प्रदेश	49	12	61	206	29	235	46	32	78	22	2	24	337	54	391	660	129	789
2. असम	1	—	1	—	1	1	1	2	3	—	—	—	12	3	15	14	6	20
3. बिहार	30	1	31	27	—	27	48	2	50	37	1	38	369	10	379	511	14	525
4. गोवा	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	5	—	5
5. गुजरात	20	19	39	94	33	127	14	19	33	22	3	25	951	129	1080	1101	203	1304
6. हरियाणा	5	—	5	3	—	3	17	—	17	5	—	5	38	—	38	68	—	68
7. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	2	—	2	5	1	6	1	—	1	17	2	19	25	3	28
8. जम्मू और काश्मीर	—	—	—	1	—	1	2	1	3	—	—	—	40	2	42	43	3	46
9. कर्नाटक	28	—	28	34	—	34	12	—	12	20	2	22	638	44	682	732	46	778
10. केरल	10	2	12	20	2	22	31	5	36	5	1	6	584	92	676	650	102	752
11. मध्य प्रदेश	92	75	167	379	171	550	245	220	465	63	26	89	4653	2773	7426	5432	3265	8697
12. महाराष्ट्र	29	17	46	38	20	58	32	26	58	12	8	20	462	214	676	573	285	858
13. मणिपुर	—	2	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
14. उड़ीसा	7	3	10	15	8	23	13	8	21	23	12	35	304	133	437	362	164	526
15. राजस्थान	39	14	53	159	53	212	113	18	131	94	15	109	1693	439	2132	2098	539	2637
16. तमिलनाडु	13	—	13	4	—	4	5	—	5	13	—	13	518	—	518	553	—	553
17. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उत्तर प्रदेश	284	—	284	724	—	724	194	—	194	284	—	284	3312	—	3312	4798	—	4798
19. पश्चिम बंगाल	—	1	1	—	—	—	4	—	4	—	—	—	5	7	12	9	8	17
20. अंडमान और निकोवार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	1	6	7
22. दिल्ली	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4	6	—	6
23. पांडिचेरी	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2	5	—	5
कुल	610	146	756	1706	320	2026	784	334	1118	602	70	672	13944	3908	17852	17646	4778	22424

स्त्रोतः कल्याण मंत्रालय

संलग्नक 6. VI

आयोग द्वारा 1992-93 के दौरान मौके पर की गई जांच पड़ताल की सूची

1. 19-3-92 को असम के पुलिस कार्मिकों द्वारा कोकराझार गोलपारा में आदिवासी युवक की हत्या।
2. 19-3-92 को आंध्र प्रदेश के ज़िला पश्चिम गोदावरी के गांव डोपेरू, कोवूरू मंडल में अ०जा० की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार
3. 6-3-93 को, आंध्र प्रदेश के ज़िला हाकिमपेट गांव गोलकुंडा मंडल में अ०जा० के युवक को गरम लोहे की सलाख से दागा जाना।
4. 26-7-92 और 27-7-92 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी गांव अनन्तरेड्डी शमशाबाद में अ०जा० के लोगों पर हमला
5. 17-2-93 को बिहार के ज़िला खगडिया पु० स्टे० (पी.एस.) खगड़िया गांव महीबरवा में अ०जा० के 27 घरों को जलाया जाना।
6. बिहार के ज़िला वैशाली, डाक घर सतपुरा, गांव साधोपुर जीवन में अ०जा० के व्यक्ति के मकान को ध्वस्त करना।
7. 18-6-92 को बिहार के ज़िला नवादा की गंगापुर अ०जा० कालोनी पर हमला हुआ, जिसमें एक अनु० जाति का व्यक्ति मारा गया और पु० स्टेशन नरहट में छह व्यक्ति घायल हुए।
8. गुंजरात के ज़िला खेड़ा, ताल्लुका बोरसद, गांव सीसवन में अ०जा० के व्यक्ति पर हमला।
9. गुजरात के ज़िला जूनागढ़, ताल्लुक वेरावल, गांव परसाली में अ०जा० के एक युवक की हत्या।
10. हरियाणा के ज़िला रिवाड़ी गांव भटसाना में 10.10.92 को पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के एक युवक का बंध्यीकरण।
11. हिमाचल प्रदेश के ज़िला सोलन गांव नालवा में 18-4-92 को पुलिस कांस्टेबल द्वारा अ०जा० के एक व्यक्ति की हत्या।
12. कर्नाटक, बेंगलूर के तालुक अनाकल, गांव चेरनदहाली में 2-4-92 को अ०जा० के लोगों की झुग्गियां जलाना।
13. कर्नाटक के जिला गुलबर्गा ताल्लुक अफजलपुर गांव अलागी (बी) में 1-6-92 को अ०जा० और ग़ैर-अ०जा० के लोगों के बीच सामूहिक मुठभेड़ जिसमें 3 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या की गई और 6 व्यक्ति घायल हुए।
14. कर्नाटक के ज़िला मैसूर, कोठनाहाली कालोनी में 31-1-93 को एच डी कोट के मुटुलुप्पा वन क्षेत्र (फारेस्ट एरिया) के वन कर्मचारियों द्वारा अ०ज०जा० की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार।
15. कर्नाटक ज़िला बेंगलूर ताल्लुक कनकपुरा के होसादुर्गा कोडी-हाल्ली, हाबेली, गांव में 21-3-93 को ग़ैर-अ०जा० के लोगों द्वारा आदि-कर्नाटक के लोगों के घरों को नष्ट किया गया।
16. कर्नाटक, ज़िला गुलबर्गा के देवल गंगापुर में 17-7-92 को पुलिस की गोलाबारी में तीन अ०जा० के व्यक्तियों की मृत्यु।
17. कर्नाटक, ज़िला बीजापुर, ताल्लुक इन्दी गांव तम्बा में 6-7-92 को 13 अनु०जाति के व्यक्तियों के घरों को जलाया जाना।
18. केरल ज़िला त्रिवेन्द्रम के, कमलकम में वन कर्मचारियों द्वारा जनजाति की लड़की और उसके माता-पिता पर हमला।
19. महाराष्ट्र के ज़िला अकोला ताल्लुक शहर अकोट में 3-7-92 को पुलिस गोलाबारी और जाति संघर्ष में एक अ०जा० के युवक की मृत्यु।
20. मध्य प्रदेश के ज़िला सागर, गांव कुतलू में ग़ैर-अ०जा० के व्यक्तियों द्वारा अ०जा० के व्यक्तियों को कष्ट देना।
21. मध्य प्रदेश के ज़िला शिवपुरी गांव निचरौली में 11-5-92 को घटना घटी जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को अखाद्य पदार्थ खाने के लिए विवश किया गया और उनकी महिलाओं के कपड़े उतार कर नंगा करने का प्रयास किया।

22. मध्य प्रदेश के ज़िला बैतूल, गांव बडोर में 21-5-92 को अ॰ज॰जा॰ की महिला से बलात्कार।

23. मध्य प्रदेश के ज़िला विलासपुर पु॰ स्टे॰ तख्तपुर, गांव बन्धा में 6-1-92 को अ॰ज॰जा॰ के व्यक्ति की हवालात में मृत्यु।

24. मध्य प्रदेश के ज़िला बेतुल, गांव गाजपुर में पुलिस हिरासत में 13-4-92 को अ॰ज॰जा॰ के व्यक्ति की मृत्यु।

25. मध्य प्रदेश के ज़िला सुरगुजा, पु॰ स्टे॰ राम चन्द्रापुर में 29-2-92 को पुलिस हिरासत में अ॰जा॰ के व्यक्ति की मृत्यु।

26. पंजाब के ज़िला पटियाला पु॰स्टे॰ लालडू में एक अ॰जा॰ के व्यक्ति की हवालात में मृत्यु होने की घटना।

27. पंजाब के ज़िला रोपड़ पुलिस चौकी रोपड़ में 14-7-92 को एक अ॰जा॰ की महिला की हवालात में मृत्यु।

28. राजस्थान के ज़िला जयपुर, पु॰स्टे॰ बस्ती, माधोगढ़ में 12-6-92 को अ॰जा॰ की महिला से बलात्कार।

29. राजस्थान के ज़िला चुरू, पु॰ स्टे॰ सिद्धांपुर में 17-2-92 को वगेगा की अ॰जा॰ की महिला से बलात्कार।

30. राजस्थान के ज़िला जयपुर पु॰ स्टे॰ जोबनेर गांव हरिपुरा में 28-7-92 को अ॰जा॰ की महिला की हत्या।

31. राजस्थान के ज़िला चुरू पु॰ स्टे॰ रतननगर गांव सहनाली में 27-4-92 को अ॰जा॰ के व्यक्ति की हत्या।

32. राजस्थान के ज़िला चुरू गांव मिडरी बलवंत सिंह में अ॰जा॰ के एक व्यक्ति की हत्या।

33. राजस्थान के ज़िला सवाई माधोपुर, रेलवे कालोनी गंगापुर शहर में 2-1-92 को अ॰जा॰ के एक व्यक्ति की हत्या।

34. राजस्थान के ज़िला बीकानेर, पु॰ स्टे॰ क्षेत्र महाजन, रोहिमाओजा तालीवाला में अ॰जा॰ के एक व्यक्ति की हत्या।

35. राजस्थान के पु॰ स्टेशन और ज़िला धौलपुर के सन्दा में 10-1-92 को अ॰जा॰ के एक व्यक्ति पर हमला।

36. राजस्थान के ज़िला भरतपुर के कुम्हेर नगर और समीपवर्ती गांवों में 6-7-92 को अ॰जा॰ के अनेक व्यक्तियों की हत्या, आगजनी और लूटपाट।

37. राजस्थान के ज़िला बांसवाड़ा, झरगांव में 27-10-92 को पुलिस द्वारा अ॰जा॰ के व्यक्ति की हत्या।

38. तमिलनाडु के ज़िला सम्बावरयार तिरुवन्नामलाई ताल्लुक बन्दावासी गांव पेन्नोर में 8-11-92 को अ॰जा॰ और कुदालियारों के बीच सामूहिक मुठभेड़।

39. तमिलनाडु के ज़िला धरमपुरी, ताल्लुक हरूर, गांव वचाथी में 20-6-92 को पुलिस और वन कर्मचारियों द्वारा अ॰ज॰जा॰ के लोगों पर अत्याचार किया गया।

40. तमिलनाडु के ज़िला चिंगलापट्ट एम.जी.आर. ताल्लुक चिंगलापट्टु महाबलीपुरम के पास पट्टी पुलय में 6-3-92 को ग़ैर-अ॰जा॰ के व्यक्तियों द्वारा अ॰जा॰ के व्यक्तियों पर हमला।

41. तमिलनाडु के ज़िला नेलाई कट्टा बोमन, ताल्लुक संकरन कोएल, गांव की रंजाकुलम में 14-3-92 को अ॰जा॰ और ग़ैर-अ॰जा॰ के लोगों के बीच सामूहिक मुठभेड़ और 4 अ॰जा॰ के व्यक्तियों की हत्या।

42. उत्तर प्रदेश के ज़िला फतेहपुर, गांव चावफेरवा में 14-3-93 को दो अ॰जा॰ के लोगों की हत्या।

43. उत्तर प्रदेश के कानपुर ग्रामीण क्षेत्र इंद्रारुक गांव में 8-3-93 को दो अ॰जा॰ के लोगों की हत्या।

44. नई दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर निवासी अ॰जा॰ के एक व्यक्ति को उसके मकान मालिक द्वारा कष्ट पहुंचाया जाना।

45. पश्चिम बंगाल के ज़िला जलपाईगुडी के रंगामति चाय बाग़ान में जनजाति की महिला से बलात्कार।

संलग्नक 6.VII

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के महत्वपूर्ण मामलों का सार

आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले के डोमरू गांव में अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार

आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी ज़िले के कोबूरू मंडल में डोमरू गांव की कु॰ टी॰ लक्ष्मी (12 वर्ष) के सामूहिक बलात्कार की घटना की श्री वी॰ समैया, आयोग के सदस्य द्वारा तत्काल जांच की गई। यह घटना तब हुई जब पीड़ित बालिका 19-3-92 को डोमरू में रात्रि सिनेमा के दूसरे शो के मध्यावकाश के दौरान शौचालय जाने के लिए बाहर आई। पांच व्यक्ति उसे छप्पर में ले गए और उन सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे उसकी जाति का नाम लेकर भी उन्होंने गाली दी और इस घटना के संबंध में किसी को बताने पर भयानक परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। जब उसे थाने (पुलिस स्टेशन) में शिकायत दर्ज कराने के बाद कोबुरू अस्पताल में ले जाया गया तो चिकित्सा अधिकारी ने उसकी तत्काल जांच नहीं की।

पुलिस ने 21-3-92 को भा॰दं॰सं॰ की धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज किया और ज़िला पुलिस अधीक्षक ने 21-3-92 को उस स्थान का दौरा किया। ज़िला प्राधिकारियों के स्तर तक मामला उठाए जाने पर गोदावरी ज़िले के कलक्टर ने सूचित किया कि इस इस मामले में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7(I)(घ) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, की धारा 3 (2) (V) लगाई गई है। पांचों अभियुक्तों को गिरफ़्तार करके प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, इलुरु के विशेष चल न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया। आर्थिक राहत के तौर पर 25,000/-रु॰ की मंजूरी दी गई। आयोग ने ज़िला प्राधिकारियों पर इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) (10), (11) और (12) को भी शामिल करने के लिए दबाव डाला । आयोग के अध्यक्ष ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को अर्ध शासकीय पत्र लिखकर आर्थिक राहत 1 लाख रुपये तक बढ़ाने, पुनर्वास सुविधाऐं प्रदान करने जैसे पीड़ित के परिवार के लिए भूमि और पक्के मकान की व्यवस्था करने, पीड़ित को निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने और स्थानीय समाज विरोधी तत्वों से उनको संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए कहा। अध्यक्ष के पत्र के जवाब में समाज कल्याण विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया कि न्यायिक प्रयोगशाला, हैदराबाद की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और न्यायालय को भेज दी गई है तथा ज़िला प्राधिकारियों को जांच शीघ्र करने की हिदायत दे दी गई है ताकि अभियुक्तों को भयपरतिकारी दण्ड दिया जा सके। इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की सम्बद्ध धाराएं भी लगा दी गई। पीड़ित बालिका को राजकीय आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिल किया गया और ज़िला कलक्टर से उसके माता-पिता को आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया गया। कमज़ोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम के अंतर्गत उसके माता-पिता के लिए एक पक्के मकान की भी मंजूरी दी गई।

मामला न्यायाधीन है और अंतिम फैसले का इंतजार है लेकिन अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी ज़िले के महेश्वर मंडलम के शारदा नगर की अनुसूचित जाति की चार स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार

10-2-92 की आधी रात को छः अनजान व्यक्तियों ने शारदा नगर में अंगूरों के बाग़ के मज़दूरों के रिहायशी आवासों में प्रवेश किया और अनुसूचित जाति की चार स्त्रियों को एक कमरे में बन्द करके उनके साथ बलात्कार किया। ये सभी महिलाएं अंगूरों के बगीचे में मज़दूर थीं। अभियुक्त पीड़ितों द्वारा पहने गहने और अन्य क़ीमती सामान भी ज़बरदस्ती ले गए। बाग़ के प्रबंधक से सूचना प्राप्त होने पर तीन घंटे के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई लेकिन तब तक अभियुक्त भाग चुके थे । पुलिस पीड़ितों को निकटतम स्थित प्रसूति अस्पताल में ले गई लेकिन उनका उचित इलाज नहीं किया गया।

भा॰दं॰ सं॰ की धारा 395 और 376 (ङ) के अधीन मामला दर्ज़ किया गया और चूंकि अभियुक्तों की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई, इसलिए इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं नहीं लगाई गई। लेकिन ज़िला प्राधिकारियों ने प्रत्येक पीड़ित के लिए 5,000/-रुपये की आर्थिक राहत प्रदान की। हालांकि पुलिस ने इसे अत्याचार का मामला नहीं माना।

आयोग ने मामले को ज़िला प्रशासन के स्तर पर उठाया ताकि अभियुक्तों की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ़्तार किया जाए तथा अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराऐं लगाई जाएं। आयोग को रिपोर्ट दी गई कि छः में से पांच अभियुक्तों को 21-5-92 को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया है। ज़िला कलक्टर पर इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम के उपबंधों का अवलम्ब लेने और पीड़ितों के लिए उपयुक्त पुनर्वास उपाय करने के लिए फिर से दबाव डाला गया।

असम के कोकराझार जिले के कोकराझार थाने में पुलिस गोलीबारी में अनुसूचित जनजाति के एक युवक की मृत्यु

डॉ० ए०आर० बासुमतारी, डाकघर एवं ज़िला-कोकराझार ने 19-3-92 को हुई पुलिस गोलीबारी में हुई अपने पुत्र की मृत्यु के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया।

गुवाहाटी में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा घटना स्थल पर की गई जांच से पता चला कि पुलिस ने सर्वश्री जे० बासुमतारी और तपन ब्रह्मा पर आतंकवाद में अंतर्ग्रस्त होने के शक में गोली चलाई। श्री बासुमतारी की मृत्यु हो गई और श्री ब्रह्मा गंभीर रुप से घायल हो गए। दो पुलिसकर्मियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/326/307/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें गिरतार किया गया और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मृतक के निकटतम संबंधी को 5,000/- रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया और 3,000/- रु० का भुगतान घायल व्यक्ति को किया गया। इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं नहीं लगाई गई क्योंकि राज्य सरकार ने इसे अत्याचार का मामला नहीं माना। असम सरकार ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए।

आयोग ने राज्य सरकार से मामले की शीघ्र जांच करने, दोषी पुलिस अधिकारियों को सज़ा दिलाने और मृतक के परिवार को आर्थिक राहत के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से कहा। बार-बार अंनुस्मारक भेजने के बावजूद असम सरकार से जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक के गुलबर्ग ज़िले के अलगी (बी) गांव में वर्ग संघर्ष और अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों का मारा जाना

इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार के आधार पर कि ग़ैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा दलितों के एक समूह पर किए गए तथाकथित हमले के कारण तीन व्यक्ति मारे गए और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने 16-17 जून, 1992 को घटना की मौके (घटनास्थल) पर जाकर जांच की। क्षेत्रीय जांच के परिणामों के अनुसार गांव के एक त्यौहार के अवसर पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भैंस का वध करने से इंकार करने पर ग़ैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति क्रोधित हो गए और उन्होंने घातक हथियारों से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हमला किया। अनुसूचित जाति के तीन व्यक्ति मारे गये और छः घायल हो गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित, धारा 147, 148, 341, 302, 504, 506, के अंतर्गत मामला दर्ज किया और चौबीस व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए। प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 50,000/- रु० की राशि का भुगतान किया गया और घायल व्यक्तियों को 1,500/- रू० से 2,000/- रु० तक का भुगतान किया गया। उप पुलिस अधीक्षक अलन्द और सहायक उप निरीक्षक, अफ़ज़लपुर को निलम्बित कर दिया गया तथा गांव में पुलिस की दो प्लाटून तैनात कर दी गई।

आयोग का मत था कि यह घटना स्पष्ट रूप से ग़ैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रभुत्व जमाने का प्रमाण थी जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर प्राचीन काल की कुछ परंपरागत सेवाएं करने के लिए दबाव डाला गया। अनुसूचित जाति पर ग़ैर-अनुसूचित जाति वालों ने 1-6-92 को हमला किया और उन्होंने पुलिस संरक्षण की मांग की। पुलिस उन्हें समय पर संरक्षण देने में विफल रही। यदि समय पर ऐहतियाति उपाय कर लिए जाते तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। जांच की तारीख तक सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका था। अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं का अवलंब भी नहीं लिया गया। मृतकों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की अभी भी जांच चल रही है। आयोग ने ज़िला प्राधिकारियों को सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने तथा पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास उपाय करने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (I) (x)(3,) (2) V), 16 और 4 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7 (ग) का अवलंब लेने का आग्रह किया।

उपायुक्त, गुलबर्ग ने आयोग को सूचना दी कि पीड़ित परिवारों के लिए भूमि, रोजगार और 8,000/- रु० से 35,000/- रु० तक के ऋणों की व्यवस्था जैसे पुनर्वास उपाय किए गए हैं। 18-1-93 तक 54 अभियुक्त गिरफ़्तार क़िए गए और पांच फ़रार थे इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं को यह दलील देते हुए लागू नहीं किया गया कि यह प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य नहीं था कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पशु वध करने के लिए मज़बूर किया गया, हालांकि सिविल अधिकार, संरक्षण अधिनियम, 1955, की धारा 7(ग) लगाई गई। मामले के अंतिम परिणाम का इंतजार है।

केरल के तिरुवनन्तपुरम् ज़िले के कमलक्कम् में वन अधिकारियों द्वारा एक आदिवासी लड़की और उसके माता-पिता पर हमला

तिरुवनन्तपुरम् ज़िले के कमलक्कम में आदिवासी लड़की पर तथाकथित हमले की आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने 24-4-92 को तिरुवनन्तपुरम् में जांच की। रिपोर्ट से पता चला कि फरवरी 1992 में कभी दो वन अधिकारी श्री अयप्पन कामी, आदिवासी के घर उसकी अनुपस्थिति में आए और उन्होंने उसकी बेटी आदिचा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। बाद में वन अधिकारियों ने लड़की के माता-पिता को भी बहुत मारा। आदिचा की घायल माँ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वन अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अयप्पन

कामी ने अपनी आबंटित कृषि योग्य भूमि को वन भूमि में भी फैला लिया था। जांच अधिकारी ने इस प्रकार के किसी अधिक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं पाया।

आयोग का मत था कि अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वन अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और पीड़ितों को कोई आर्थिक राहत नहीं दी गई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का अभी इंतजार है।

मध्य प्रदेश के सरगुजा ज़िले के थाना रामचन्द्रपुर में पुलिस हिरासत में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु

28-2-92 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि मध्य प्रदेश के सरगुजा ज़िले, थाना रामचन्द्रपुर, में पुलिस हिरासत में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार से इस घटना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई और भोपाल में 5 से 9 जुलाई 1992 तक आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने घटनास्थल पर जांच की। जांच से ज्ञात हुआ कि चोरी के एक मामले में थाना रामचन्द्रपुर के थानाध्यक्ष (एस०एच०ओ०) ने विशेष सशस्त्र बल के साथ 27-2-92 को दिल्ला टोला और गोहरा गाँवों में छापा मारा तथा श्री कालीचरण, रमेश खैरवार, हरिप्रसाद खैरवार तथा उनके दो पुत्रों को गिरफ़्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्हें कथित रूप से बुरी तरह पीटा गया जिस कारण श्री रामकुमार की 28-2-92 को मृत्यु हो गई। थाना रामानुजगंज में भा०दं०सं० की धारा 302, 34 के अधीन मामला दर्ज़ किया गया। सभी अभियुक्त गिरफ़्तार कर लिए गए और तीन पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया। बाद में गिरफ़्तार अभियुक्तों की ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गए।

आयोग का मत था कि हालांकि मृत्यु पुलिस नृशंसता के कारण हुई और तथाकथित अभियुक्तों को निलम्बित भी किया गया परन्तु चिकित्सा रिपोर्ट में प्रमाणित किया गया कि मृत्यु "स्वाभाविक" है और हृदय गति रुकने से हुई है। मृतक के परिवारजनों को न तो कोई आर्थिक राहत दी गई और न ही उनके लिए पुनर्वास सुविधा की व्यवस्था की गई। हालांकि अक्तूबर 1992 में राज्य सरकार के समक्ष ये मुद्दे उठाए गए लेकिन वहां से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

महाराष्ट्र के अकोला ज़िले के अकोट तालुका कस्बे में पुलिस गोलीबारी और जातीय संघर्ष में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु और अनुसूचित जाति के 11 व्यक्ति घायल

पुणे में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने उस घटना की घटनास्थल (मौके) पर जांच की जिसमें 3-7-92 को महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में अकोट के तालुका कस्बे में पुलिस गोलीबारी और जातीय संघर्ष में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा अनुसूचित जाति के 11 व्यक्ति घायल हुए। घटना का कारण चाय की दुकान पर अनुसूचित जाति के युवकों द्वारा बकाया की तथाकथित अदायगी न करना था जिसके कारण हाथापाई हुई और फिर अनुसूचित जाति तथा ग़ैर-अनुसूचित जाति के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस बुलाई गई और उसने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चला दी। तीन व्यक्ति जिनमें एक अनुसूचित जाति का था, पुलिस गोलीबारी में मारे गए। अनुसूचित जाति और ग़ैर-अनुसूचित जाति के बीच झगड़े का समाचार प्राप्त होने पर भी पुलिस घटनास्थल पर तत्काल नहीं पहुंची और उप खंड मजिस्ट्रेट (एस०डी०एम०) के आदेशों के बिना ही उसने गोलीबारी जैसी उग्र कार्रवाई की। यदि पुलिस समय पर घटनास्थल पर पहुंच जाती तो दुर्घटना से बचा जा सकता था। प्राथमिकी में अत्याचार निवारण अधिनियम की ग़लत धाराओं को उद्धृत किया गया और ग़लती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4 को लागू नहीं किया गया।

इस मामले में राज्य सरकार से उपर्युक्त कार्रवाई करने, पीड़ितों के लिए आर्थिक राहत की व्यवस्था करने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। जवाब की अभी भी प्रतीक्षा है।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के वीरगांव थाने के अवालगाँव ग्राम के एक आदिवासी युवक श्री छगन मोमा मोरे की ग़ैर-अनुसूचित जाति/जनजाति ग्रामीणों द्वारा पीटे जाने के कारण मृत्यु

अवालगाँव ग्राम के एक आदिवासी युवक श्री छगन मोमा मोरे की 2-1-92 को मृत्यु की घटना की आयोग के पुणे स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने जांच की। जांच से पता चला की आदिवासी युवक की मृत्यु चोरी के सन्देह में ग्राम सरपंच और अन्य लोगों द्वारा पीटे जाने से हुई। सरपंच ने एक ज्योतिषी की राय पर विश्वास किया और पुलिस में सूचना देने के बजाय क़ानून को अपने हाथों में लिया और पीड़ित पर प्रहार किया जो अस्पताल जाते हुए चोटों के कारण मर गया। उप खंड मजिस्ट्रेट (एस०डी०एम०) बीजापुर और तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और गाँव का दौरा भी नहीं किया। मृतक के परिवारजनों को कोई आर्थिक राहत और पुनर्वास सुविधाएं नहीं दी गई। इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी लागू नहीं किया गया।

आयोग ने ज़िला कलक्टर से अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सरपंच, कोतवाल तथा लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मृतक के परिवार को आर्थिक राहत देने एवं पुनर्वास उपाय करने का आग्रह किया। आयोग की सिफ़ारिशों पर व्यथित परिवार को 10,000/- रु० की आर्थिक राहत का भुगतान किया गया।

पंजाब के पटियाला ज़िले के थाना लालरू में, पुलिस हिरासत में अनुसूचित जाति के एक युवक की मृत्यु

चंडीगढ़ में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस समाचार के आधार पर कि पटियाला ज़िले के थाना लालरू में 19-7-92 को पुलिस

हिरासत में अनुसूचित जाति की एक युवक मारा गया, घटनास्थल पर जांच की। जांच से पता चला कि लड़के को किसी ब्राह्मण लड़की के अनुसूचित जाति के एक लड़के के साथ भाग जाने से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया था उसे गिरफ़्तार किया गया और उप पुलिस अधीक्षक, राजपुरा के समक्ष 11-7-92 को प्रस्तुत किया गया और फिर पुलिस हिरासत में रखा गया था। जहां पुलिस यंत्रणा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। महानिरीक्षक, पुलिस, आंतरिक सतर्कता, पंजाब के इस आदेश के बावजूद कि मृतक के परिवार के सदस्यों को परेशान न किया जाए, पीड़ित और उसके परिवारजनों को यंत्रणा दी गई। पुलिस ने उन्हें रिहा करने के लिए उसके परिवार से रु० 7,000/- भी लिए। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 302/34 के अधीन मामला सं० 36/92 दर्ज किया गया और अभियुक्तों को केवल पुलिस लाइन्स में स्थानान्तरित कर दिया गया।

आयोग का मत था कि मृतक को हरियाणा पुलिस के पुलिस अधिकारी श्री बाबूराम द्वारा व्यक्तिगत झगड़े का बदला लेने के लिए झूठे मामले में फंसाया गया और उसने मृतक को लालरू थाने में यंत्रणा दी। लालरू थाने की पुलिस ने स्वीकार किया कि फिलडैल्फिया अस्पताल, अम्बाला की शव परीक्षा (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट में दिया गया यह कारण कि मौत का कारण "अत्यधिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस" था, बिल्कुल ग़लत था। इसलिए आयोग ने इस बात पर बल दिया कि फिलडैल्फिया अस्पताल के दोषी चिकित्सा कर्मचारियों और श्री बाबूराम सहित अपराधी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया जाए और अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत उन पर मुक़दमा चलाया जाए। बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी राज्य सरकार से इस मामले में अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मृतक के परिवार को आर्थिक राहत के रुप में 10,000/- रु० का भुगतान कर दिया गया है और मृतक के भाई को पुलिस विभाग में नौकरी दे दी गई है।

पंजाब के रोपड़ ज़िले में, पुलिस हिरासत में अनुसूचित जाति की एक महिला की मृत्यु

चंडीगढ़ में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने उस घटना की घटनास्थल पर जांच की जिसमें 16-7-92 को पुलिस हिरासत में अनुसूचित जाति की एक महिला की मृत्यु हो गई थी। यह सूचना मिली थी कि श्रीमती बलबीरो, अनुसूचित जाति की स्त्री, जो कि एक नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी, अपनी बचत की राशि सुरक्षा की दृष्टि से अपने मालिक के पास रखती थी। उस राशि को वापिस लेने पर उसे चोरी के इलजाम में जेल भेज दिया गया। उसे दो दिन तक पुलिस चौकी में रखा गया जिसे सरकारी रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया और पुलिस यंत्रणा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जाँच से पता चला कि श्रीमती बलबीरो को बिना वारंट के गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि उसकी मृत्यु पुलिस यंत्रणा के कारण हुई परन्तु शव परीक्षा (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि उसकी मृत्यु मिरगी रोग के कारण हुई। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्वाई नहीं की गई और उन्हें केवल पुलिस लाइन्स में स्थानान्तरित कर दिया गया। अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज़ नहीं किया गया।

उपर्युक्त मुद्दों को आयोग के अध्यक्ष ने अभियुक्तों को सज़ा दिलाने, अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाने, मृतक के परिवारजनों को आर्थिक राहत दिलाने एवं उनके पुनर्वास के लिए तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच कराने के उद्देश्य से अर्ध-शासकीय तौर पर पंजाब के मुख्य मंत्री के स्तर पर उठाया। हालांकि मुख्य मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया परन्तु अभी तक उनसे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान के थाना एवं ज़िला धौलपुर के गाँव सान्दा में जातीय संघर्ष में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु

जयपुर में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने उस घटना की घटनास्थल पर जांच की जिसमें थाना एवं ज़िला धौलपुर के सान्दा गाँव में अनुसूचित जाति और ग़ैर-अनुसूचित जाति के बीच झगड़ा हुआ था।

यह घटना 10-1-92 को सार्वजनिक सिंचाई के लिए कुएं से पानी खींचने पर अनुसूचित जाति और ग़ैर-अनुसूचित जाति के बीच झगड़े के परिणामस्वरूप हुई। इस घटना में श्री करण सिंह ने श्री राम त्यागी (ब्राह्मण) पर गोली चलाई जिसमें वह मारा गया और अनुसूचित जाति के दो व्यक्ति घायल हो गए। भा०दं०सं० की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323 के अधीन मामला दर्ज़ किया गया और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया।

आयोग का मत था कि भा०दं०सं० के साथ-साथ अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं भी शामिल की जानी चाहिए थीं और घायल व्यक्तियों के परिवारजनों को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाना चाहिए था। अभियुक्तों को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए था।

आयोग के कहने पर प्राथमिकी में अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1)(XIV) और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, की धारा 4(IV) को शामिल किया गया तथा न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 5,000/- रु० का मुआवज़ा देने के लिए राज्य स्तर पर कार्रवाई की गई।

राजस्थान के भरतपुर ज़िले के कुम्हेर और आस-पास के गांवों में जातीय संघर्ष

आयोग ने भरतपुर ज़िले के कुम्हेर तथा संलग्न गांवों में जाट और जाटवों के बीच हुए गंभीर संघर्ष की घटनास्थल पर जांच की। अनुसूचित जाति के लोगों के लगभग 500 मकानों को आग लगा दी गई और उनका सारा क़ीमती सामान तथा पशु आग की लपटों में खत्म

हो गए। एक सूचना के अनुसार 13 व्यक्ति मारे गए, 27 घायल हुए जिनका इलाज सिविल अस्पताल भरतपुर में हुआ और नौ अन्य लापता थे। यह घटना पूर्व घटित घटना के परिणामस्वरूप हुई जिसमें जाटवों को बारात ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जब वे शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। पुलिस के रवैये से वे क्रोधित हो गए। उन्होंने ट्रैफिक रोका और वे अपनी रिपोर्ट लिखाने में कामयाब हो गए। एक दूसरी घटना में जाटों ने कुम्हेर के एक सिनेमा हॉल में जाटव समुदाय के लोगों को बैठने की इजाज़त नहीं दी। 1 जून से 7 जून, 1992 के बीच आस-पास के गांवों से भी जातीय संघर्ष की सूचनाएं मिली तथा छापे के दौरान पुलिस ने भारी संख्या में देशी राइफलें और ग्रेनेड बरामद किए। पुलिस की लापरवाही और ज़िला प्रशासन की निष्क्रियता ने स्थिति को और बदतर कर दिया। यदि पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो इन घटनाओं से बचा जा सकता था।

आयोग ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान पुलिस महानिदेशक, राजस्थान और ज़िला मजिस्ट्रेट भरतपुर के साथ विचार-विमर्श किया। यह आश्वासन दिलाया गया कि राहत उपाय शीघ्र ही किए जाएंगे। आयोग के अनुरोध पर प्रशासन ने 11-6-92 को व्यक्तिगत बांड पर 117 स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों को रिहा कर दिया। पीड़ितों को दी गई आर्थिक राहत और पुनर्वास उपायों के विवरण की जानकारी प्राप्त नहीं है। आयोग ने ज़िला प्राधिकारियों से इस प्रकार का विवरण देने का अनुरोध किया लेकिन इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। ज़िला प्रशासन ने पड़ोस के 56 गांवों को अत्यधिक संवेदनशील माना। 6-6-92 की रात को कुम्हेर में सेना तैनात करने पर भी इन गांवों में हिंसा की छुट-पुट घटनाएं जारी रही।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिल कर स्थिति की समीक्षा की और इन घटनाओं की स्वतंत्र न्यायिक जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट मिली है कि मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया गया है। परिणाम अभी प्राप्त होना है।

अध्याय 7

भाग I

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों (1951-1991) में की गई सिफ़ारिशों का संक्षिप्त सार

विगत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास से संबंधित समस्याओं का संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नाम से ज्ञात) तथा प्रारंभ में अगस्त 1978 में स्थापित असांविधिक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा विभिन्न पहलुओं से अध्ययन किया जा चुका है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने, जिसने अपनी प्रथम रिपोर्ट राष्ट्रपति को 1952 में प्रस्तुत की, कुल मिलाकर 30 रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिसमें अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1990-91 की है जो अभी मुद्रित नहीं हुई है और संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है। अगस्त, 1978 में स्थापित प्रथम असांविधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1986-87 की अंतिम (आठवीं) रिपोर्ट प्रस्तुत की। सितम्बर, 1987 में पुनर्गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी थी क्योंकि इसका मुख्य कार्य शोध अध्ययन करना था। इन सभी के द्वारा बड़ी संख्या में लगभग सभी विषयों पर एक जैसी सिफ़ारिशें की गई, जो विशेष रूप से संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों, कृषि एवं भूमि समस्याओं के विभिन्न पहलुओं सहित आर्थिक विकास कार्यक्रम, सामाजिक विकास, अस्पृश्यता उन्मूलन, उत्पीड़न और अत्याचारों का निवारण, शैक्षिक और राजनीतिक विकास तथा अन्य अनेक विषयों के बारे में थीं। हालांकि सरकार ने कई सिफ़ारिशों पर कार्रवाई की, लेकिन इनमें से अभी भी कई का कार्यान्वयन होना या उन्हें औपचारिक रूप से निरस्त करना बाकि है। चूंकि यह संवैधानिक आयोग की प्रथम रिपोर्ट है इसलिए पिछले कुछ वर्षों में उपर्युक्त संगठनों द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को संक्षेप में दोहराना उपयोगी होगा। कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार विभिन्न रिपोर्टों के संबंध में की गई कार्रवाई पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों का संक्षिप्त सार निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है—

7.2 सिफ़ारिशों में एक तो आयोग की संवैधानिक स्थिति से ही संबंधित है जिसके अनुसार सरकार के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास से संबंधित सभी बड़े मुद्दों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है और इसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच आयोग की हैसियत एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं और आयोग को योजना बनाने संबंधी प्रक्रिया से संबद्ध किया गया है और उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों आदि को अनुवीक्षण करने एवं उनका मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा ये सिफ़ारिशें स्वीकार की गई हैं और वर्तमान संवैधानिक आयोग की स्थापना करते समय ये कार्यान्वित कर दी गई हैं लेकिन आयोग के मुख्यालय और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्याप्त स्टाफ़ की व्यवस्था करने, आयोग के प्रबंध में पर्याप्त निधि रखने और उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं एवं शोध छात्रों के लिए मंजूर करने की शक्ति देने संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें अभी स्वीकार की जानी हैं।

7.3 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर कई सिफ़ारिशें की गई थीं। उनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनमें से अधिकांश कार्यान्वित नहीं हुई। आर्थिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण और उपयोगी सिफ़ारिशें की गई जिनमें सलाह दी गई कि योजनाएं आवश्यकता-आधारित एवं कार्रवाई उन्मुख होनी चाहिए। लेकिन विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं का पुनर्विन्यास करने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया और वे अभी भी घिसी-पिटी और रूढ़िवादी स्वरूप की हैं। यह सिफ़ारिश कि विशेष संघटन योजना और जनजाति उप योजना के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता अपवर्तित रहनी चाहिए और व्ययगत नहीं होनी चाहिए, अभी कार्यावित होनी है। भूमि संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से अतिरिक्त भूमि के आबंटन, पट्टों के वितरण, भूमि रिकॉर्डों को अद्यतन करने, भूमि हस्तांतरण के निपटान आदि से संबंधित सिफ़ारिशों का सरकार द्वारा अभी कार्यान्वयन किया जाना है। इसी प्रकार वनों में आदिवासियों के अधिकारों, उत्पाद शुल्क नीति, वन और पुलिस अधिकारियों के हाथों आदिवासियों के उत्पीड़न को रोकने से संबंधित क़दम उठाने, बड़े बांधों/परियोजनाओं के कारण बेदखल लोगों के पुनर्वास और मुआवज़े के भुगतान में तेजी लाने से संबंधित सिफ़ारिशों पर अभी भी सरकार की स्वीकृति मिलनी बाकी है।

7.4 विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नई दिशा देने, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों को समन्वित तथा एकीकृत करके विसंगतियों तथा पुनरावृत्तियों को दूर करने से संबंधित सिफ़ारिशों की ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन इस संबंध में कुछ भी ठोस काम नहीं किया गया जबकि परवर्ती रिपोर्टों में इन्हें बार-बार दोहराया गया है।

7.5 सामाजिक विकास के क्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधाएं जैसे पेय जल, बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं, आवास और आवासस्थलों की व्यवस्था करने, सफ़ाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के लिए कार्यक्रमों की तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित बहुत सी सिफ़ारिशें की गई हैं।

का विभिन्न राज्यों को आबंटन एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) वार किया जा रहा है। सड़क नेटवर्क, पेयजल की अपूर्ति आदि में सुधार करने को भी प्राथमिकता दी गई है। विशेष समस्याओं वाले पिछड़े क्षेत्र और समुदायों का पता लगाया गया है ताकि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाए। रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की गई थी कि राज्यों के सभी एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) को क्षेत्रीय और योजनावार परिव्यय तथा व्यय के पूर्ण ब्यौरे उस राज्य में जनजाति उप योजना से संबंधित बजट मांग के परिशिष्ट के रूप में अलग से प्रतुत करने चाहिए। यह सिफ़ारिश कल्याण मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई है। 28वीं रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की गई थी कि सभी चालू परियोजनाओं की, जिन पर सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों में विचार किया जाना है, समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि संविधान में जनजातीय लोगों के लिए उपबंधित सुरक्षणों को सही मायनों में माना जाए। सरकार ने सूचित किया है कि प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में सचिव (कल्याण) उस तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं जो राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन देती है और मंत्रालय उनके पुनर्वास से संबंधित भाग की समीक्षा करता रहा है तथा विस्थापित जनजातियों का पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए समिति को सुझाव देता रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जिन परियोजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का विस्थापन हो उन परियोजनाओं में उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए योजना तैयार की जाए। कल्याण मंत्रालय ने विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति का विस्तृत मसौदा भी तैयार किया है जिसके बारे में बताया गया है कि यह विचाराधीन है। उक्त 28वीं रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की गई है कि आदिम समूहों की व्यवस्थित समीक्षा की जाए, विशेषतया उनकी जो जीवित रहने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं जैसे शिकार करने वाले और खाद्य समाग्री एकत्र करने वाले यह बार-बार जगह बदल कर खेती करने वाले। सरकार को उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ दल गठित करना चाहिए जिसमें समाज वैज्ञानिक, चिकित्सा एवं पोषण विशेषज्ञ तथा प्रशासक हों। यह भी सिफ़ारिश की गई थी कि आदिम समूहों के जैविक अस्तित्व के लिए उन समस्याओं का, जिनका वे सामना कर रहे हैं, पता लगाकर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं राष्ट्रीय पोषण संस्थान जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाए। सरकार ने सूचित किया है कि इन वर्गों के लिए कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाने को ध्यान में रखा गया है तथा सरकार ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की जनजातियों की विशेष स्थिति पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ दल गठित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी उनके लिए कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं। ए॰आई॰आई॰एम॰एस॰, (नई दिल्ली), एन॰आई॰एच॰एफ॰डब्ल्यू (नई दिल्ली), जे॰आई॰पी॰एम॰ई॰आर॰ (पांडिचेरी), एन॰आई॰एच॰ (आई॰सी॰एम॰आर॰), (हैदराबाद), आर॰एम॰आर॰एस॰ (आई॰सी॰एम॰आर॰ (जबलपुर) ने भी देश के विभिन्न भागों की कुछ जनजातियों की आनुवंशिक एवं जैविक समस्याओं पर अध्ययन प्रारंभ किए हैं।

7.21 संगठित क्षेत्र में ग़ैर-सरकारी उद्यमों के लिए लाभप्रद भेदभाव की नीति लागू करने की सिफ़ारिश आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाई गई है।

7.22 जनजातीय क्षेत्रों में खनन, औद्योगिक एवं जलविद्युत परियोजनाओं को लगाए जाने के कारण विस्थापित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण सिफ़ारिश यह सुझाव देते हुए की गई है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं कि जनजातीय क्षेत्रों में सृजित की जाने वाली नई परिसम्मत्तियों का यथोचित भाग जनजातियों के लोगों को मिले।

7.23 यह भी विशेष रूप से सिफ़ारिश की गई है कि पचास प्रतिशत आवास स्थल, रिहायशी भवन एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएं।

7.24 सरकार ने की गई कार्रवाई संबंधी विवरण में स्पष्ट किया है कि लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ऐसी जनजातियों की मदद करने के लिए उपयुक्त प्रावधान है जिनकी ज़मीनें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिगृहीत कर ली गई थीं। आवास राज्य का विषय होने के कारण इस मामले में राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से लिख दिया गया है।

7.25 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें की हैं जिनमें इन क्षेत्रों में साधारण क़ानून लागू करना, कार्यपालकों द्वारा कार्रवाई न करने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा करना, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का दर्ज़ा बढ़ाना तथा इन क्षेत्रों में शान्ति एवं अच्छी सरकार के लिए व्यापक नियम बनाना शामिल है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि चूंकि सभी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें मौजूद हैं, वे ही अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू किए जाने वाले विभिन्न क़ानूनों की समीक्षा के लिए उपयुक्त मंच (फोरम) है। कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में एक समान प्रशासन अपनाने के लिए महेश्वर प्रसाद समिति की सिफ़ारिशें लागू करने के लिए पहले ही लिख दिया है। आन्ध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने एक समान प्रशासन पहले ही प्रारंभ कर दिया है। जहां तक अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे के स्तर का दर्ज़ा बढ़ाने का संबंध है, नौवें वित्त आयोग को अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए व्यापक आधार वाले विचारार्थ विषय सौंपे गए हैं।

भाग II

इस रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशें/प्रेक्षण

अध्याय 2

1. स्टाफ़ की भारी कमी के कारण आयोग विभिन्न सांविधानिक प्रावधानों के संबंध में प्रभावी ढंग से कार्य आरंभ करने में समर्थ नहीं रहा है। कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए स्टाफ़ संबंधी प्रस्तावों को अभी संस्वीकृति नहीं मिली है।

(पैरा 2.10)

अध्याय 3

2. अनु० जातियों एवं अनु० जनजातियों के बीच साक्षरता वृद्धि दर में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है किन्तु एक तरफ अ०जा० एवं अ०ज०जा० के बीच और दूसरी तरफ इनमें तथा ग़ैर-अ०जा० एवं अ०ज०जा० समुदायों की बीच साक्षरता दर में अंतर भी बढ़ता जा रहा है। इस अन्तर को कम करने के लिए अत्यधिक संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० और अ०जा०/अ०ज०जा० के बीच और यहां तक कि अ०जा० एवं अ०ज०जा० के बीच और महिला एवं पुरुषों के बीच भी साक्षरता की दरों में व्यापक असमानता है।

(पैरा 3.6)

3. एक राज्य में बसी विभिन्न अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच काफी अन्तर है। अतः यह सुझाव है कि विभिन्न राज्यों को अपने राज्य में 1981 तथा 1991 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शैक्षिक रूप से कमज़ोर जातियों/जनजातियों का पता लगाना चाहिए और उनके साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें संबंधित राज्य में अ०जा० एवं अ०ज०जा० की औसत साक्षरता दर के समतुल्य स्तर पर लाया जाए।

(पैरा 3.8)

4. यद्यपि अ०जा० एव० अ०ज०जा० के बीच महिला साक्षरता की वृद्धि दर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को दर्शाती रही है किन्तु, एक तरफ अ०जा० एवं अ०ज०जा० और दूसरी तरफ ग़ैर-अ०जा०/अ०ज०जा० समुदाय के बीच महिला साक्षरता दर में व्यापक अन्तराल है। संबंधित राज्य सरकारों को ऐसी जातियों/जनजातियों का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी महिला साक्षरता दर राज्य की अ०जा०/अ०ज०जा० महिला साक्षरता की औसत दर से बहुत कम है। उन समुदायों के बीच साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए जो साक्षरता दर के मामले में अन्य अ०जा०/अ०ज०जा० समुदायों की तुलना में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, विशेष संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.10)

5. विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई शिक्षाकर्मी परियोजना जैसी समान परियोजनाएं प्रयोग के रूप में शुरु करनी चाहिए।

(पैरा 3.10)

6. नामांकन अनुपात के रूप में नामांकन संबंधी रिपोर्ट से कोई साफ और स्पष्ट बात सामने नहीं आती, अतः बेहतर यही होगा कि शैक्षणिक सांख्यिकी संबंधी आंकड़े इस प्रकार एकत्र किए जाएं कि पात्र आयु वर्ग (6-11) से नीचे और इस आयु वर्ग से ऊपर के बच्चों की संख्या की अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएं ताकि 6-11 आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वाले बच्चों की संख्या का ठीक-ठीक पता लगाया जा सके।

(पैरा 3.13)

7. मैला ढोने जैसे अस्वछ व्यवसायों में लगे हुए कई परिवारों को अपने बच्चों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के संबंध में जानकारी नहीं है। इस छात्रवृत्ति के बारे में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और ऐसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए माता-पिताओं को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

(पैरा 3.20)

8. भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर की छात्रवृत्तियों की दरों और पात्रता निर्धारित करने के लिए माता-पिता की आय स्तर की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये दरें पिछली बार 1989 में संशोधित की गई थीं।

(पैरा 3.23)

9. वर्ष 1992-93 के दौरान असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी की सरकारों ने केन्द्रीय रूप से प्रायोजित बुक बैंक योजना के अधीन दी जाने वाली निधियों का लाभ नहीं उठाया। सभी राज्य सरकारों को कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध निधियों का उचित लाभ उठाने के लिए समय रहते अपने पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए।

(पैरा 3.26)

10. लगभग सभी राज्यों में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के बालिका छात्रावासों और बालक छात्रावासों की स्थिति असंतोषजनक है। यह वांछनीय है कि इनके कार्य का नियमित अनुवीक्षण और आवधिक मूल्यांकन किया जाए ताकि उनकी कमियों का पता लगाया जा सके और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करने संबंधी उपचारी उपाय किए जा सकें।

(पैरा 3.29)

11. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कभी नए छात्रावास खोले जाते हैं या विद्यमान छात्रावासों का विस्तार किया जाता है तो उन्हें केवल अ॰जा॰ अथवा केवल अ॰ज॰जा॰ तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक छात्रावास अ॰ज॰जा॰ एवं अ॰जा॰ दोनों प्रकार के छात्रों के लिए होने चाहिए और कुछ ग़ैर-अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के छात्रों को भी इनमें तरजीह दी जानी चाहिए।

(पैरा 3.29)

12. चूंकि वर्ष 1991 में, देश की जनगणना में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ की प्रतिशतता क्रमशः 15.47% और 7.85 से बढ़कर 16.33% और 8.08% हो गई है, इसलिए विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी तदनुसार बढ़ाई जाए। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) को सभी विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को नए मार्ग निर्देश जारी करने चाहिए।

(पैरा 3.31)

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कक्ष के पास 1979-80 के बाद स्नातक पूर्व और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभी तक सारणीबद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास आंकड़े प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

(पैरा 3.34)

अध्याय 4

14. सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की जनजातीय उपयोजना 'टी॰एस॰पी॰' और विशेष संघटक योजना (एस॰सी॰पी॰) के लिए आयोजना परिव्यय के विभाज्य घटक में इस प्रकार प्रावधान करना चाहिए कि यह प्रावधान न केवल अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ की जनसंख्या के अनुपात में हो बल्कि इनके पिछड़ेपन को और विगत वर्षों में विकास लाभों से इनके वंचित रहने को ध्यान में रखते हुए इनकी जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में उच्चतर अनुपात में हो।

(पैरा 4.10 और 4.16)

15. अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ विकास निगमों को चाहिए कि वे वर्तमान बोझिल प्रक्रिया को सरल बनाएं और आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में कम से कम समय लगाएं तथा परियोनाओं का नियमित अनुवीक्षण और उनका मूल्यांकन करने और पुनर्भुगतान को सरल बनाने का कार्य भी इस प्रणाली के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।

(पैरा 4.24)

16. योजना अवधि के दौरान 50% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आठवीं योजना की शेष अवधि में ट्राईसेम (TRYSEM) के अधीन अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ को अधिक लाभ दिए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 4.29)

17. राज्य सरकारें मैला ढ़ोने के कार्य में लगे सभी लोगों का पता लगाने के लिए और अधिक विलम्ब किए बिना सर्वेक्षण करें ताकि आठवीं योजना के अन्त तक उन्हें परम्परा से चली आ रही हाथ से मैला उठाने की अपमानजनक और अमानवीय प्रथा से पूरी तरह से मुक्त कराया जा सके।

(पैरा 4.36)

18. अधिकतम सीमा से अधिशेष भूमि के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली भूमि/क्षेत्र के लिए अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लोगों को आनुपातिक रूप से अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। सिंचाई सुविधा के बाद भूमि के मूल्य में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये विभिन्न राज्यों के क़ानूनों में परिभाषित मानक एकड़ को भी पुनः परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 4.38)

19. जब कभी भूमि स्वामित्व अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के व्यक्तियों के पक्ष में निर्धारित किया जाता है तब उसे क़ानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा आबंटी को संरक्षण देते हुए अधिकारों के रिकार्ड में इसे (स्वामित्व को) तत्काल दर्ज किया जाना चाहिये और आबंटितियों को वास्तविक कब्जा दे देना चाहिये।

(पैरा 4.38)

20. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के कुछ प्रावधान भूमि के मामले में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे प्रावधानों का लाभ उठाना और मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालयों को मुक़दमें भेजना वांछनीय है।

(पैरा 4.38)

अध्याय 5

21. आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ का प्रवेश आरक्षित कोटे के स्तर तक सीमित करने के लिये चुने गये उम्मीदवारों को उनकी योग्यता पर ध्यान दिये बिना भर्ती के पैनल में सबसे नीचे रखा जा सकता है। ऐसे संभावना के लिए रक्षोपाय करने का एक तरीक़ा यह है कि साक्षात्कार के समय अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवारों की पहचान न बताई जाए। साक्षात्कार लिये गये सभी उम्मीदवारों की योग्यता सूची एक बार तैयार हो जाने पर अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ की पहचान की जाये तथा योग्यता के आधार पर चुने गये उम्मीदवार/उम्मीदवारों को सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित कोटे में समायोजित किया जाये।

(पैरा 5.16)

22. अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ अधिकारियों के लिये उपलब्ध मौजूदा रियायत के अनुसार समूह "क" के पदों के भीतर चयन द्वारा पदोन्नतियों में उनकी हितों की रक्षा करने के लिए यह अनुदेशों में तत्काल आशोधन और यह व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के जिन अधिकारियों का मूल्यांकन औसत से ऊपर किया गया है और जो रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध लिए जाने के लिए पर्याप्त रूप से वरिष्ठ भी हैं, उन्हें वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर चयन-सूची में शामिल किया जाए।

(पैरा 5.21)

23. केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के अधीन आने वाले समूह "ग" और "घ" में पदोन्नति के लिए अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिए आरक्षण की प्रतिशतता में संशोधन किया जाए ताकि यह प्रतिशतता समूह "ग" और समूह "घ" पदों के लिये भर्ती के स्तर पर उनके लिए दी जाने वाली प्रतिशतता दिल्ली से बाहर रहने वालों को प्रदान की जाने वाली स्थानीय/प्रादेशिक प्रतिशतताओं के बराबर हो सके। वैकल्पिक रूप से, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत जो आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं उन्हें तीसरे वर्ष में अग्रेनीत करने की बजाए उसी वर्ष में अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के बीच अदला-बदली से भरने की अनुमति दी जाए जैसे कि सरकार द्वारा अ॰ज॰जा॰ की अधिक आबादी वाले लक्षद्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाओं में अ॰जा॰ के लिए आरक्षित उन पदोन्नति रिक्तियों, जो न भरी गई हो, अ॰ज॰जा॰ द्वारा भरने के पक्ष में अनुमति दी गई है।

(पैरा 5.23)

24. "मोहरबंद" लिफ़ाफ़ों के मामलों(Sealed Cover Cases) के कारण पदावनति के लिये अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के विरूद्ध उपलब्ध सुरक्षणों को 1989 में जारी किये गये विभागीय पदोन्नति समितियों के संशोधित मार्ग-निर्देशों और उन सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, अपनाई जाने वाली कार्यविधि से संबंधित आदेशों के अनुसार बहाल किया जाए और शामिल किया जाए। यह भी सिफ़ारिश की जाती है कि जहां स्टाफ़ में कटौती या मोहरबंद लिफ़ाफ़े के मामले के कारण या उच्चतर श्रेणी/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होने पर किसी अधिकारी की पदावनति के कारण, पदोन्नति के बाद किसी श्रेणी में पदावनति करना आवश्यक हो जाता है, वहां ऐसे आदेश जारी किए जाएंगे कि पदावनतियां ऐसे तरीक़े से की जाएं जिनसे किसी चयन सूची में, अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ के लिए आरक्षण की कुल संख्या में कोई कमी न आने पाए।

(पैरा 5.26)

25. सरकार को न केवल 50% मानदंड की अपेक्षा करते हुए अ०जा० एवं अ०ज०जा० के अलग-अलग हिस्से के रूप में आरक्षण के बैकलॉग की रक्षा करनी चाहिये, बल्कि संविधान में संशोधन करके या उचित विधान द्वारा 1991 की जनगणना के अनुसार अ०जा० और अ०ज०जा० के आरक्षण को उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में क्रमशः 15% और 7.5% से बढ़ाकर 16.5% और 8.0 तक कर देना चाहिए।

(पैरा 5.31)

26. तारीख 25-4-1991 को लोक उद्यम विभाग द्वारा यथा निर्धारित लोक उद्यमों में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की अनुवीक्षण रणाली की उपयोगिता केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब संयुक्त सचिव/कार्मिक विभाग के प्रधान को पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों और किए गए उपचारी उपायों पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए और राष्ट्रीय आयोग को भी इसकी पूरी जानकारी दी जाए।

(पैरा 5.37)

27. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अ०जा० एवं अ०ज०जा० के अधिकारियों की गोपनीय-रिपोर्टों का मूल्यांकन सही, न्यायसंगत और पक्षपात रहित हो यह आवश्यक है कि गोपनीय रिपोर्ट लिखने के कार्य की समीक्षा की जाए और समीक्षा करने वाला अधिकारी औसत/विपरीत कोटि पाने वाले अ०जा० एवं अ०ज०जा० के अधिकारी को चर्चा के लिए आमंत्रित करे। इससे अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारियों को अपने कार्य का स्तर जानने का अवसर मिलेगा और यदि वह रिपोर्ट से असंतुष्ट है, तो अभ्यावेदन कर सकेगा। रिपोर्ट लिखने वाले/समीक्षा करने वाले अधिकारी को यह भी सुझाव देना चाहिए कि उसे प्रशिक्षण देकर किस प्रकार उसमें सुधार लाया जा सकता है और उसका विकास हो सकता है।

(पैरा 5.41)

अध्याय 6

28. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अ०जा० तथा अ०ज०जा० से संबंधित अत्याचारों के मामलों में पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज की जाए, यह सुझाव दिया गया है कि जिन स्थानीय डाकघरों में तार सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके पोस्टमास्टरों को पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतें दर्ज करने और उन्हें तार से सरकारी खर्चे पर संबंधित विशेष पुलिस स्टेशन में संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। संबंधित पुलिस थानों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए ग्राम पंचायत की सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो पोस्टमास्टर या ग्राम पंचायत के प्रधान को (चाहे उन्हें जिस भी नाम से जाना जाता हो) अवैतनिक पुलिस अधिकारी घोषित किया जा सकता है।

(पैरा 6.47)

29. उन मामलों में, जिनमें तकनीकी आधारों पर, या प्रशासनिक या अन्य चूकों के कारण, दोषी व्यक्तियों को दोषमुक्त करना पड़ता है, वहां लोक अभियोजक को मामले की पुनः जांच करनी चाहिए और पीड़ित अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए अपील दायर करनी चाहिए।

(पैरा 6.47)

30. पुलिस बल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अ०जा० एवं अ०ज०जा० पर हुए अत्याचार संबंधी विषय को विभागीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और इसे उनके अनुस्थापन (ओरिएन्टेशन)/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए।

(पैरा 6.47)

31. शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याचार की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में ग्रामीण लोगों में जागरुकता लाने के लिए संचार माध्यमों द्वारा इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को भी अस्पृश्यता की बुराइयों के विरूद्ध प्रचार करने और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(पैरा 6.47)

32. निवारक उपाय के रूप में राज्य सरकारों को अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए उचित एहतियाती उपाय करने चाहिए। अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों के ज़िलों में विशेष कलक्टर नियुक्त किए जाने चाहिए, जिससे समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जा सके।

(पैरा 6.47)

33. अ०जा० एवं अ०ज०जा० के व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार सामान्यतः उनके और अन्य लोगों के बीच लम्बे समय तक चलने वाले भूमि विवाद, न्यूनतम मज़दूरी के लिए उनकी मांग और बंधुआ मज़दूर के विरूद्ध उनमें व्याप्त रोष के कारण किए जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अ०जा० एवं अ०ज०जा० के सामने आने वाली ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ऐसी संभावित घटनाओं को प्रारंभ में ही रोक दिया जाए।

(पैरा 6.47)

34. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के प्रावधान के अनुसार अत्याचार संबंधी मामलों में यथा संभव शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

(पैरा 6.47)

35. कुछ राज्यों में, साम्प्रदायिक या जातीय दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार को राहत के रूप में कम से कम एक लाख रूपए मिलते हैं। इसलिए यह उचित होगा कि सब जगह अत्याचार के मामले में मारे गए अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्ति के परिवार को कम से कम एक लाख रूपए की आर्थिक राहत प्रदान की जाए, विशेषकर तब जब मृतक परिवार का एक कमाने वाला सदस्य हो या कमाने के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। वे राज्य, जो अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक राहत और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(पैरा 6.47)

36. संसदीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने अत्याचारों के विषय को गृह मंत्रालय को पुनः सौंपने की दो बार सिफ़ारिश की है। अत्याचार संबंधी इस विषय को अ०जा० एवं अ०ज०जा० के हित में, बिना कोई आगे विलम्ब किए कल्याण मंत्रालय से गृह मंत्रालय को अन्तरित कर देना चाहिए।

(पैरा 6.47)